

**THE BOOK WAS
DRENCHED**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_176358

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. **H321-021** Accession No. **PG H42**
V12R

Author **वैजनाथ महोदय**

Title **रियासतों का सवाल । 1947**

This book should be returned on or before the date
last marked below.

मिश्रित

रियासतों का सवाल

भारतीय रियासतें और उनकी आज की समस्याओं का विश्लेषण

भूमिका—

डॉ. पद्माभि सीतारामैया

प्रकाशक :

गोकुलदास धूत,
नवयुग साहित्य सदन, इन्दौर.

जनवरी १९४७

मूल्य १-१२-०

मुद्रक-

सी. पम्. शाह,

मॉडर्न प्रिन्टरी लि., इन्दौर.

प्राकृथन

(२५३६)

यों तो रियासतों पर लिखे गये मार्गित्य में अभिवृद्धि करने वाली प्रवेश रचना का व्यागत करते हुए आनंद होता है। परन्तु जब वह रचना श्री वेंकटाम मण्डिय जैसे पुराणप लेखकों की हो, जिन्होंने विषय को अधिक अद्भुत तरह समझने में सहायक होने वाली बुनियादी जानकारी को ग्रहन करने में सच्चे दिल से यत्न किया है, तो उह क्रियार स्वागत करने योग्य हों जाती है। वयोंकि लेखक ने निःस्वार्थ सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में बरसों बिताये हैं, गांधी सेवा संघ के प्रतीकी की हैसियत से तथ्यों को तौलकर उनका ठीक ठीक मूल्यांकन करने की उन्हे काफी ट्रैनिंग मिली हुई है, और फिर इत तमाम वर्षों में सदा रियासते और रियासती जनता की दोहरी गुलामी से मुक्ति, उनकी खास दिलचस्पी का विषय रहा है।

एक समय ऐसा था, जब रियासतों के सचाल की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता था। अंधकार और लापरवाही उसकी किस्मत में थी। आज वह इस ग्रन्थस्था से बाहर निकल चुका है। और उसने ऐसा महत्व धारण कर लिया है, तथा इतना ज़रूरी बन गया है कि जिसकी शायद ही पहले किसी ने कल्पना की हो। तमाम महान् आनंदोलनों का ऐसा ही होता है। पहले लोग उन्हे लापरवाही की तजर से देखते हैं, फिर वे सन्देह की वस्तु बन जाते हैं और अंत में जाकर लोग उनका सही राही स्वरूप समझ पाते हैं। इंग्लैण्ड के मजदूर आनंदोलन को भी इसी शिकास-क्रम से से गुजरना पड़ा है। सन् १८५८ में इंग्लैण्ड की पार्लियामेट में उसका केवल एक सदस्य था। पर आज मजदूर दल के सदस्यों की संख्या चार सौ अस्ती है, और वे ब्रिटेन तथा शक्तिशाली ब्रिटिश

साम्राज्य पर हुकूमत कर रहे हैं। रियासती जनता के आन्दोलन को तो इसका एक तिहाई समय भी नहीं लगा है। अभी अभी बीस साल पहले तक कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता था, ऐसी दुर्दशा थी। आठ साल पहले हरिपुरा के अधिवेशन में वह प्रथम श्रेणी का प्रश्न बन गया। और आज तो राष्ट्र के प्रश्नों में उसने ऐसा महत्त्व धारण कर लिया है कि दूसरे अनेक प्रश्नों को अलग रखकर पहले उस पर चिचार किया जाता है।

सचमुच, अगर भारतवर्ष स्वतंत्र होता है पर उसके एक तिहाई हिस्से को काटकर उससे अलग कर दिया जाता है और उसे स्वतंत्रता का उपभोग नहीं करने दिया जाता‘ तो भारतीय स्वतंत्रता निरी एक मिथ्या वस्तु होगी। उस भारत को हम स्वतंत्र भारत नहीं कह सकते। भारतीय स्वतन्त्रता एक गोल है—द्वितीया के नहीं, पूर्णिमा के चन्द्र के समान वह एक पूर्ण बिस्तर है। इस अर्थ में कांग्रेस ने रियासती जनता के आन्दोलन को देश की स्वतंत्रता के आन्दोलन का एक और अविभाज्य अंग के रूप में माना है। एक समय एक ही उद्देश से प्रेरित ये दोनों आन्दोलन विभिन्न दिशाओं में जाते हुए दिखाई देते थे। बाद वे दोनों समानान्तर रेखाओं पर बढ़ते रहे। और अन्त में वे दोनों एक ही केन्द्र-बिन्दु के आस-पास घूमने वाले वर्तुल की रेखा पर आ मिले। दोनों की मिलकर एक ही द्रेन बन गई और दोनों के ड्रायवर भी पं० जवाहरलाल नेहरू के रूप में—जब सन् १९४६ में वे राष्ट्रीय महासभा और प्र० भ० देशी राज्य लोक परिषद के सभापति थे, एक ही हो गये। उस दिन से कश्मीर, और हैदराबाद, बडोदा और भावुआ, मलेरकोटला और फरीदकोट, मंसोर और त्राणव कोर, ग्वालियर और भोपाल, सांगली और कोल्हापुर, तालचेर और धेनकनाल, मणिपुर और कूचबिहार, चित्रल और कलात और सिरमौर और बिलामपुर की रियासतें, देशी-राज्य-लोक-परिषद् तथा कांग्रेस की भी, समान दिलचस्पी के विषय बन गई।

(ग)

देशी राज्यों की जनता का असली शत्रु, नरेशों की निरंकुशता अथवा जनता की अकर्मण्यता नहीं, बल्कि राजनैतिक विभाग के षडयन्त्र हैं। अतः जब तक उनका खात्मा नहीं कर दिया जाता, तब तक रियासती जनता की-बल्कि नरेशों की भी-मुक्ति की कोई आशा नहीं करनी चाहिए। कैसी भी बीमारी को दूर करने में हमें उसी मात्रा में सफलता मिलेगी, जिस मात्रा में उसकी जड़ को हम काटेंगे। इसके सिवा और सब उपाय तो ऊपरी ही होंगे। वे बीमारी को कम कर सकते हैं, उसे पूरी तरह दूर नहीं कर सकते। इसी प्रकार जबसे अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना हुई है, हमने इस बीमारी की जड़ से हाथ डाला है। और यद्यपि आज राजनैतिक विभाग से उसका बहुत सीधा सम्बन्ध नहीं है, तथापि उसका नेतृत्व प्रभाव तो उस विभाग पर प्रतिक्षण पड़ता ही रहता है, और निःसन्देह यह प्रभाव इस विभाग के फौलादी कवच को तोड़कर फेंक देगा। असल में तो जब अस्थाई सरकार बनने वाली थी उसी समय इस नई सरकार तथा नरेशों के बीच के सम्बन्धों को व्यवस्थित करने के लिए एक सलाहकार समिति बनाई जाने वाली थी। पर ऐसी कोई बात नहीं हो सकी। खैर !

प्रान्तों और रियासतों को जोड़ने वाली एक नई कड़ी विधान-परिषद का अधिवेशन है। इसमें दोनों के प्रतिनिधियों को एक साथ बठकर विचार करना पड़ता है। और आज तो राष्ट्रका संपूर्ण ध्यान इस यत्न में लगा हुआ है, कि इस परिषद में रियासतों के प्रतिनिधि वास्तव में, और पर्याप्त मात्रा में, रियासती जनता के हो प्रतिनिधि हों।

अफसोस की बात है कि ऐसे मौके पर, सांगली और कोचीन जैसे शुभ अपवादों को छोड़कर, शेष सब नरेश अपना हिस्सा ठीक तरह से अदा नहीं कर रहे हैं। वे अपने प्रजाजनों की अकांक्षाओं को कुचलने की मानो होड़ में लगे हुए हैं। दुनिया जनती है कि अंग्रेजों की सार्वभौम सत्ता बहुत जल्दी यहां से उठने वाली है। तब याद रहे, काम

(ध)

पड़ेगा नरेशों को सीधा अपने प्रजाजनों से ही। नरेश चाहें तो यह सम्बन्ध प्रेममय हो सकता है; और यदि वे न चाहें तो उनके और प्रजाजनों के बीच निरंतर संघर्ष भी चल सकता है। उस समय अंगरेजों की संगीते नहीं, प्रजाजनों का प्रेम और सद्भाव ही उनकी ढाल होगी। अगर हम याद करते कि पिछले महायुद्धों में जर्मनी के कैसर, इटली के राजा, आस्ट्रिया के बादशाह और रूस के जार जैसे और नरेशों से कहीं अधिक शक्ति-शाली तथा वनजन से सम्पन्न लोगों तक का नामोनिशान मिट गया है, तब नरेशों के सामने उनकी प्रजाजनों से और प्रजाजनों की उनसे होने वाली लाई का सही सही चित्र खड़ा होगा और उसके परिणामों का उन्हें ठीक-ठीक भान होगा। आज राष्ट्रीय महासभा का धीरज कसौटी पर है, पर अब उसकी भी हृद आ पहुंची है। हिम-शिखर की भाँति किसी भी क्षण वह जोर से टूटकर गिर सकता है, या महासागर के ज्वार के समान, अपनी अतल गहराई से उमड़ कर, स्वाधीनता के प्रवाह को रियासतों में जान से रोकने वाले इस फेन को हवा में उड़ाकर फेक सकता है। सचमुच, नरेशों का भविष्य क्या होगा, वही सोचें। अपनी किस्मत के निर्माता वे खुद ही हैं।

नई दिल्ली
५ दिसम्बर १९४६

{ (डॉ) पट्टाभिसीतारामैया

दो शब्द

~~*~

पिछले वर्ष “रियासती जनता की समस्यायें” नामक मेरी एक छोटीसी पुस्तिका उदयपुर अधिवेशन के समय प्रकाशित हुई थी। वह दो-तीन महीनों में ही ब्रिक गई और प्रकाशकों की तरफ से मुझे उसका दूसरा संस्करण तैयार करने के लिए कहा गया। पर मैं महीनों इस काम को हाथ में नहीं ले सका। अभी जब उसे मैंने शुरू किया तब तक देश की स्थिति काफी बदल गई थी। उसके अनुरूप जब मैं उस पुस्तक को बनाने वेटा तो इतनी अधिक नई सामग्री उसमें देनी पड़ी कि वह दूसरा संस्करण नहीं बिलकुल दूसरी पुस्तक ही बन गई। इसलिये नाम भी बदल देना पड़ा।

रियासतों के सवाल पर इस प्रश्न के अधिक जानकार या कोई नेता लिखते तो अच्छा होता, परन्तु वड़े नेता इतने कार्यमग्न हैं कि उन्हें इस छोटेसे काम के लिए अवकाश मिलना कठिन है। फिर भी छोटी-मोटी रियासतों में काम करनेवाले असंख्य ग्रामीण कार्यकर्ताओं को इस विषय की कुछ आवश्यक जानकारी देनेवाली किताब की जरूरत तो थी ही। वही इस पुस्तक में देने का यत्न किया गया है।

इस आवश्यकता को किसी अंश में यह पुस्तक अगर पूरी कर सके तो मैं इस प्रयत्न को सफल समझूँगा।

रत्नाल-यात्रा में,
६-११-४६.

बैजनाथ महोदय

अनुक्रमणिका

१ देशी रियासतों पर एक दृष्टिपात्र	१
२ रियासतों के नियन्त्रण की व्यवस्था	३
३ नरेश और उनका शासन	७
४ वे दावे और उनकी वास्तविकता	१६
५ रियासतें और देशव्यापी जागृति	३३
६ नरेन्द्र मण्डल की घोषणा	५५
७ मंत्री मण्डल का मिशन	६१
८ नरेशों की प्रतिक्रिया	७४
९ जनता की प्रतिक्रिया	८८
१० रियासतों का समूहीकरण	९२
११ आज के प्रश्न	१०२

परिशिष्ट

(१) संधिवाली चालीस रियासतें	११७
(२) छैः प्रसुख रियासतें	११६
(३) धारासभा वाली रियासतें	१२०
(४) हिन्दुस्तान की कुल रियासतें	१२२
(५) रियासतों का वर्गीकरण	१४७
(६) लोक-परिषद्	१४८
(७) नमूने का विधान	१६०
(८) नरेन्द्र मण्डल	१६४

रियासतों का सवाल

पूर्व—स्वरूप

: १ :

देशी रियासतों पर एक दृष्टिपात

रियासतों की समस्याओं पर विचार करने से पहले यह जरूरी है कि उनके बारे में कुछ जरूरी बातें हम जान लें। भारतवर्ष में कुल ५६२ रियासतें हैं। (लोक-परिषद के प्रकाशन में इनकी संख्या ५८४ है।) रियासतों का कुल रकमा ७,१२,५०८ वर्ग मील और जन-संख्या ६,३१,८६,००० (सन् १९४१ की मनुष्य-गणना के अनुसार) है। एकवे के हिसाब से यह समस्त देश का ४० प्रतिशत और जन-संख्या के ऊंचाग २३-२४ प्रतिशत है।

मोटे तौर पर रियासतें दो हिस्सों में बँटी हुई हैं।

(१) सैल्यूट स्टेट्स (जिनको सलामी का हक है)।

(२) नॉन सैल्यूट स्टेट्स (जिनको सलामी का हक नहीं है)।

२. हिन्दुस्तान में कुल १२० सलामी की हकदार रियासतें हैं और ४४२ ऐसी रियासतें या जागीरें हैं, जिनको सलामी का हक नहीं है।

रियासतों का सवाल

३. उपर्युक्त पुस्तक के परिशिष्ट 'ए' से ज्ञात होता है कि कोई ४५४ रियासतें या जागीरें ऐसी हैं, जिनका रकवा १००० वर्गमील से कम है। और ४५२ ऐसी हैं जिनकी आबादी भी एक लाख से कम है। ३७४ रियासतों की आमदनी एक लाख से कम बताई गई है।

४. सिर्फ १२ रियासतें इतनी बड़ी हैं कि जिनका रकवा १० हजार वर्गमील से ज्यादा, आबादी १० लाख से ऊपर और आमदनी पचास लाख से ऊपर है।

५. जिस हिस्से को ब्रिटिश भारत कहा जाता है, उसका रकवा १०,६४,३०० वर्गमील और आबादी २६ करोड़ (१६४१ की गणना) है। वह ४७५ जिलों में बँटा है। हर जिले का औसत रकवा ४००० वर्ग मील और आबादी ८ लाख के करीब बैठती है।

६. कुछ रियासतें या जागीरें इतनी छोटी हैं कि उन्हें राज्य कहते हुए हँसी और तरस आता है।

७. पन्द्रह रियासतें इतनी छोटी हैं कि जिनका रकवा पूरा एक वर्ग मील भी नहीं। २७ दूसरी रियासतों का रकवा पूरा एक वर्गमील बैठता है। सूरत जिले में १४ इतनी छोटी-छोटी रियासतें या जागीरें हैं, जिनकी आमदनी ३०००) सालाना से ज्यादाह नहीं जाती। इनमें से तीन रियासतों की आबादी इतनी कम है कि पूरे सौ आदमी भी उनमें नहीं हैं। उनमें से पाँच की आमदनी पूरे सौ रुपये सालाना भी नहीं। सालाना २० रुपये आमदनी वाली और ३२ आदमियों की आबादी वाली एक जायदाद भी है, जिसको राज्य कहा जाता है।

८. ५६२ रियासतों में कुल ६० इतनी बड़ी हैं जो रकवा, आबादी और आमदनी के हिसाब से ब्रिटिश भारत के एक जिले के करीब बराबरी की मानी जा सकती हैं।

: २ :

रियासतों के नियन्त्रण की व्यवस्था

माएट्रो-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर पहले जिन रियासतों का सम्बन्ध प्रायः प्रान्तीय सरकारों से था, बाद में उनमें से अधिकांश का सम्बन्ध सीधा गवर्नर जनरल से कर दिया गया है। परन्तु इनका नियन्त्रण प्रायः एजन्ट के मार्फत ही होता रहता है।

भारत सरकार का पोलिटिकल डिपार्टमेंट भारतवर्ष की तमाम रियासतों के शासन के लिये जिम्मेवार है। यह सीधा वाइसराय के मातहत काम करता है। पर उन्हें तफसीलों की तरफ ध्यान देने का अवकाश कहाँ से हो ? इसलिए असल में सारे महकमे का नियन्त्रण पोलिटिकल सेक्रेटरी के हाथों में ही रहता है। वाइसराय को तमाम जानकारी अपने इस सेक्रेटरी से ही मिलती है, जिसके मातहत और भी कितने ही ऑफिसर हैं जिन्हें एजन्ट दु दी गवर्नर जनरल, पोलिटिकल एजन्ट और रेसिडेन्ट कहते हैं।

एजन्ट दु दि गवर्नर जनरल के मातहत अनेक रियासतें होती हैं और उसका सम्बन्ध सीधे वाइसराय से होता है। उसके मातहत अनेक पोलिटिकल एजन्ट होते हैं। इन प्रत्येक के मातहत कुछ रियासतें हैं। रेसिडेन्ट उस पोलिटिकल ऑफिसर का नाम है, जो अकेली बड़ी बड़ी रियासतों पर ध्यान देता है।

इन तमाम ऑफीसरों को बहुत व्यापक और अलग अलग अधिकार होते हैं। उनका न तो कहीं खुलासा है और न ऐसा खुलासा करने का यत्न कभी किया गया है। यह रियासत का महत्व, नरेश का स्वभाव और पोलिटिकल ऑफिसर की मर्जी पर निर्भर रहता है। कभी कभी तो वह बहुत छोटी छोटी बातों में भी दस्तावेजी करता है, तो कभी नरेशों से बड़े बड़े

घृणित अपराध हो जाने पर और भयंकर कुशासन होने पर भी हस्तक्षेप करने से इन्कार कर देता है। राजा अगर कमज़ोर हैं तो रोज़मर्रा की बातों में भी पोलिटिकल एभन्ड टॉग अड़ाने लगता है, तो कभी राजा के दबंग होने पर वह बहुत सोच समझ कर दस्तन्दाजी करने की जरूरत देखता है। हाँ उसे हमेशा साम्राज्य सरकार और भारत सरकार की नीति और हिदायतों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। फिर इनकी सत्ता रियासतों के आकार प्रकार पर भी कुछ निर्भर रहती है। आम तौर पर छोटी रियासतों पर इन अधिकारियों को बहुत ध्यापक अधिकार होते हैं। पर सबसे अचरज की बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि ये अधिकार क्या होते हैं। सारा काम पूरी गुप्तता के साथ होता है, जिसके कारण नरेशों पर इस महकमे का भयंकर आतंक रहता है। पर कोई इसका अर्थ यह न करे कि प्रजा-जन पोलिटिकल डिपार्टमेंट के पास इन नरेशों की शिकायत ले कर जावें तो वह उनकी सहायता करता होगा। ऐसा जरा भी नहीं। डिपार्टमेंट तो जैसी अपनी सुविधा देखता है वैसा करता है। इसे तो साम्राज्य से मतलब है। वह नरेशों को जन-जागृति का डर दिखाता रहता है और जनता को सन्धियो और सुलहनामों का बहाना बताकर इनकी निरंकुशता को बरकरार रखता है। इस तरह अपने इस दुधारे के बलपर उसने अपनी निरंकुशता की रक्षा अब तक की है।

बड़ी रियासतें हैदराबाद, मैसोर, बड़ौदा, जम्मू और काश्मीर तथा गवालियर का सम्बन्ध सीधा भारत सरकार से है। भूतान और सिक्किम का भी है। पर साधारण रियासतों की अपेक्षा इनके ताल्लुकात जरा दूसरे प्रकार के हैं।

बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल का एजेन्ट कलात और लासवेला रियासतों का नियन्त्रण करता है।

मध्यभारत की एजन्सी का एजेन्ट इन्दौर में रहता है। उसके मात्र हृषि भोपाल, बुदेलखण्ड और मालवा इस प्रकार तीन एजेन्सियाँ हैं।

इसके मातहत अटाईस बड़ी, जिनके राजा-नवाबों को सलामी का हक है, और सत्तर छोटी रियासतें हैं, जिनके नंगेशों को सलामी का हक नहीं है।

डेक्कन स्टेट्स पजेन्सी का निर्माण सन् १६३३ में उन रियासतों को अलहदा करके किया गया, जो अब तक बम्बई के मातहत थीं। इनका एजेन्ट कोल्हापुर का रेजिडेंट है, जिसके मातहत ये दूसरी छोटी-छोटी सोलह रियासतें कर दी गई हैं।

ईस्टर्न स्टेट्स पजेन्सी का निर्माण भी सन् १६३३ में हुआ। अब तक जो रियासतें मध्यप्रदेश, बिहार और उड़ीसा के भातहत थीं, उन्हें इस एजेन्सी में रख दिया गया है। इनकी संख्या ४० है। मयूरभंज, पट्टना, घस्तर और कालाहड़ी इनमें से मुख्य हैं। इनका एजेन्ट रांची में रहता है, जिसके मातहत एक सेक्रेटरी और एक पोलिटिकल एजेंट भी है, जो सम्बलपुर में रहता है।

गुजरात स्टेट्स पजेन्सी का निर्माण भी उसी वर्ष (१६३३) में किया गया था। बम्बई की मातहत की ग्यारह बड़ी सलामी की हकदार और सत्तर छोटी रियासतें या जारीरें इसके नियन्त्रण में कर दी गई हैं। बड़ौदा का रेजिडेंट इनके लिए गवर्नर जनरल का एजेन्ट है। इन रियासतों में राजपीपला मुख्य है। रेवा-काँडा एजेन्सी भी इसी एजेन्सी के मातहत है।

मद्रास स्टेट्स पजेन्सी इनसे दस वर्ष पहिले बनी थी। इसके मातहत त्रावण्णकोर और कोचीन ये दो बड़ी रियासतें हैं। एजेन्ट को मुकाम त्रावण्णकोर में रखा गया है।

सीमांत पजेन्सी के मातहत चित्राल सहित पांच रियासतें हैं। सीमांत का गवर्नर खुद इनके लिए एजेन्ट मुकर्रर है।

पंजाब स्टेट्स पजेन्सी का निर्माण १६२१ में हुआ था। इसके मातहत १४ रियासतें हैं, जिनमें भावलपुर के नवाब मुस्लिम और पटियाला

के नरेश सिख हैं। सन् १९३३ में खैरपुर को भी इन्हीं के साथ इस एजेन्सी में जोड़ दिया गया है।

राजपूताना स्टेट्स एजेन्सी का सदर मुकाम माउण्ट आबू पर रखा गया है। बीकानेर और सिरोही इनके संधे मातहत हैं। इनके अलावा वाईस दूसरी रियासतें हैं, जो जयपुर के रेजिडेन्ट, मेवाड़ के रेजिडेन्ट, दक्षिणी राजपूताना स्टेट्स के पोलिटिकल एजन्ट, पूर्वी राजपूताना स्टेट्स के एजेन्ट और पश्चिमी राजपूताना स्टेट्स के रेजिडेन्ट के मातहत कर दी गई हैं। इनमें से टोंक और पालनपूर के शासक मुस्लिम हैं और भरतपुर तथा धौलपुर के नरेश जाट हैं। शेष में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर प्रधान राजपूत राज्य हैं।

वेस्टर्न इण्डिया स्टेट्स एजेन्सी का निर्माण सन् १९२४ में किया गया। तब से काठियावाड़ की रियासतें, तथा कच्छ और पालनपूर की एजेन्सियाँ को बम्बई के मातहत से हटाकर गवर्नर जनरल के मातहत रख दिया गया। महीकॉठा एजेन्सी को भी सन् १९३३ में इनके साथ जोड़ दिया गया। इनका प्राप्ति राजकोट में रहता है, जिसके मातहत, साबरकाँठा, तथा पूर्वी और पश्चिमी काठियावाड़ के पोलिटिकल एजेन्ट्स काम करते हैं। इन सबके मातहत कुल मिलाकर कच्छ, जूनागढ़, नवानगर, और भावनगर सहित, सोलह सलामी के हकदार नरेशों की और दो सौ छत्तीस रियासतें या जागीरें छोटी हैं, जिनके शासकों को सलामी का हक नहीं है। इनके अलावा भी प्रान्तीय सरकारों के मातहत कुछ रियासतें रह गई हैं। उदाहरणार्थ—

आसाम में—मणिपुर तथा स्वासी और जणिया की १६ पहाड़ी रियासतें।

बंगाल में—कूच विहार और डिपुरा

पंजाब में—शिमला की पहाड़ियों की अठारह छोटी रियासतें जिनमें सबसे बड़ी बशर है।

युक्त प्रान्त में—रामपुर, काशी, जिनका निर्माण १६११ में हुआ और हिमालय की टेहरी गढ़वाल रियासत।

: ३ :

नरेश और उनका शासन

देशी राज्यों के शासकों अर्थात् राजाओं और नवाबों का व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन तथा शासन लगभग एकसा होता है। कुछ मामूली फेरफार के साथ उनकी टकसाली कहानी यों कही जा सकती है:—

नरेशों का बचपन अत्यन्त लाड प्यार में गुजरता है। महलों में इनकी माता ही अकेली रानी नहीं होती। उसके अलावा इनकी कितनी ही सौतेली माताएं होती हैं, जिनमें बेहद ईर्ष्याद्वेष होता है; इस बजह से युवराज की जान सदा खतरे में रहती है। इस खतरे से बचाने के लिए उसे लगभग कैदी की सी हालत में रखा जाता है। हमेशा खुशामद का वातावरण रहने के कारण बचपन से ही इनकी आदतें बिगड़ने लगती हैं।

राजकुमारों की शिक्षा के लिए देश में राजकोट, अजमेर, इन्दौर और लाहौर इस तरह चार कॉलेज हैं। सफल, चरित्रवान, और प्रजा की सेवा करने वाला शासक बनाने की अपेक्षा इन्हें यहाँ आज्ञाधारक साम्राज्य सेवक बनाने की तरफ ही अधिक ध्यान दिया जाता रहा है। इसके बाद उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंगलैण्ड भेजने की प्रथा भी रही है। यह उच्च शिक्षा इनके लिए और भी हानिकर साधित होती है। युवराज अपने प्रजाजनों से दूर पड़ जाता है, जबानी के जोश में वह विदेशों में अनेक नये आचार, नये विचार और कई ऐसी नई बातें सीख लेता है कि अपने प्रजाजनों से प्रेम पूर्वक मिलने-जुलने के बजाय वह उनको मूर्ख और गंवार समझ उनसे हमेशा दूर ही दूर रहने का यत्न करने लगता है, यहाँ

तक कि अधिकार मिलने के बाद भी वह आपना अधिकतर समय बाहर बिताता है। माननीय स्व० श्री निवास शास्त्री ने एक बार नरेशों की विदेश यात्राओं के बारे में कहा था “आप लन्दन, पेरिस या किसी भी फैशनेवल शहर में चले जाइए। वहाँ आपको कोई हिन्दुस्तानी राजा जरूर मिल जावेगा, जो अपनी अतुल संपत्ति से वहाँ के लोगों को चकित कर रहा होगा और अपने संपर्क में आने वालों को पतित और भ्रष्ट बना रहा होगा।”

नरेशों के चरित्र और तरह तरहोंके घृणित व्यसनों के विषय में कुछ न कहना ही भला है। बड़े बड़े अंतःपुर, वहाँ का गन्दा बातावरण और उनके अन्दर कैदी कासा जीवन बितानेवाली असंख्य रानियाँ, दासियाँ और रखेलों का दयनीय जीवन ही इनका प्रत्यक्ष प्रमाण है। परन्तु फिर भी उन्हें इतने से संतोष नहीं होता। अपने सैर-सपाटों तथा देश-विदेश की यात्राओं से यथा संभव इनके अन्तःपुर की और भी वृद्धि होती ही रहती है।

रियासतें शिक्षा, उद्योग और नागरिक स्वाधीनता के विषय में अत्यंत पिछड़ी हुई हैं। इस बिगड़े जमाने में भी ब्रिटिश हिन्दुस्तान ने दादा भाई नौरोजी, स्वामी दयानन्द, लोकमान्य, महात्मागांधी, पं जवाहरलाल जैसे महापुरुषों के श्रलावा उन हजारों निःस्वार्थ कार्यकर्त्ताओं को जन्म दिया है जिन्होंने हमारे राष्ट्र का निर्माण किया है। परन्तु रियासतें इस संबंध में हम सब देखते हैं अत्यन्त पिछड़ी हुई हैं। इसका कारण यहाँ का अंधकार ही है। मानों दम घुट रहा हो। तरक्की की गुंजाइश बहुत कम रहती है। छोटी रियासतों में तो आदमी बढ़ ही नहीं सकता। अतः अपनी तरक्की की इच्छा करने वाला हर आदमी यहाँ से भाग निकलने की ही इच्छा रखता है।

यही हाल उद्योगों का भी है। मैसोर, त्रावणकोर, कोचीन, बडौदा, गवालियर, इन्दौर जैसी इनी गिनी रियासतों को छोड़ दें तो कहना होगा कि वहाँ कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। केवल कुछ रियासतों में

कपड़े की मिलें हैं। दूसरी कुछ रियासतों में जिन-प्रैस वगैरा हैं। और जहाँ कुछ ऐसे कारखाने हैं वहाँ कुछ थोड़ी सी जान और जागृति भी दिखाई देती है। अन्यथा तमाम रियासतें एक दम पिछड़ी हुई हैं। खेती और सरकारी नौकरी के अलावा वहाँ आजीविका का कोई जरिया नहीं होता। तमाम पढ़े-लिखे लोग और साहसी व्यापारी अन्धकार और प्रतिक्रिया के इन अंधे कुओं से निकलकर अपनी किस्मत को आजमाने के लिए पास पड़ौस के ब्रिटिश प्रान्तों में चले जाते हैं। राजपूताने की रियासतों में आज भी गुलामी की कुप्रथा कायम है। दारोगा, चाकर, हुजूरी वगैरा गुलाम जातियों का वहाँ पशुओं के समान देन लेन होता है। इनकी न कोई संपत्ति होती और न घरबार। वे आगे मालिकों की संपत्ति होते हैं और लङ्कियों की शादी के समय दामदासियों के रूप में इन्हें लङ्की के साथ भेज दिया जाता है और तब से ये इस नये परिवार की संपत्ति बन जाते हैं।

बेगार लग-भग सभी रियासतों में जारी है यद्यपि कुछ रियासतों में वे कानूनन मना हैं। नाई, धोबी, खाती, दरजी सबको बेगार देना पड़ती है। छूटने की कोई आशा नहीं होती।

रियासतों में कर तो प्रायः अधिक होते ही हैं। किन्तु इसके अलावा छोटी छोटी रियासतों में अनगिनत लाग-बागें होती हैं। वैरिस्टर चुड़गर अपनी पुस्तक “इन्डियत प्रिन्सेस” में लिखते हैं किसानों की ६० प्रतिशत् से भी अधिक आय इन करों में ही चली जाती है।

कानून असल में प्रजा की इच्छा और जरूरत के अनुसार उसीके द्वारा बनाये जाने चाहिये। इस अर्थ में रियासतों में कोई कानून नहीं होता। कानून और शासन दोनों वहाँ राजा के व्यक्तित्व में केन्द्रित हो जाते हैं। कानून उसके जबान से निकलते हैं और दौलत उसकी नजर में होती है। कहीं कहीं अंग्रेजी इलाकों में प्रचलित कानून जारी कर दिये गये हैं। परं उनमें भी कोई स्थायित्व नहीं होता। नरेश जब चाहे उन्हें उठा-

सकता है, संसोधन कर सकता है या मुल्तवी कर सकता है। जिसको जी चाहे उठाकर मनमाने समय तक जेल भिजवा सकता है, या रियासत से निकाल बाहर भी कर देता है और इसके लिये किसी कारण आग्रोप या जाँच की जरूरत नहीं होती। हर किसी की सम्पत्ति जस की जा सकती है और अदालतों में चल रहे मामले भी रोके जा सकते हैं : कोई प्रजा जन अपने नरेश पर उसके अफसरों के खिलाफ वचन-भंग या अधिकारों के अपहरण के लिये अदालत में मामला भी नहीं चला सकता। किसी सरकारी अफसर के द्वारा अगर ऐसा गुनहा भी हो जाय, जिसका सरकार या सरकारी काम से कोई ताल्लुक न हो तो भी वगैर नरेश की आज्ञा के उसके खिलाफ कोई मामला नहीं चलाया जा सकता। राज्य में सभा-संगठन करने और अखबारों के प्रकाशन के सम्बन्ध में प्रायः कोई कानून नहीं होता। छोटे राज्यों में वगैर राजा साठ की आज्ञा के कोई सभा-सम्मेलन नहीं किये जा सकते और अगर कहीं कोई ऐसी सभा वगैरह कर भी लेता है तो फौरन् पुलिस की दस्तन्दाजी होगी और ऐसी दस्तन्दाजी के खिलाफ वहाँ कोई उपाय काम नहीं देता।

सरकारी नौकरियों के विषय में कोई खास नीति नहीं होती। सबसे बड़ा अधिकारी दीवान होता है जो प्रायः या तो राजा का कोई प्रीतिपात्र या रिश्तेदार होता है या पोलिटिकल डिपार्टमेंट का अपना आदमी होता है।

दीवान अपने साथ बाहरी आदमियों का प्रायः एक दल लाता है जो उसके विश्वासी होते हैं। यों भी आम तौर पर रियासतों में प्रायः ऊँचे ओहदे पर बाहरी आदमियों को ही रखा जाता है जो स्थानीय आदमियों की अपेक्षा अधिक आज्ञाधारक और वफादार माने जाते हैं। यह मान्यता एकदम गलत भी नहीं। क्योंकि इन बाहरी आदमियों का सर्वाधार दीवान या नरेश रहते हैं। जनता में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं रहने के कारण नरेशों और उनके दीवानों के भले-बुरे हुक्मों के अमल में इनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती। पर अगर इन स्थानों पर

ईथानीय आदमी होते हैं, तो उनके मित्र, रिश्तेदार जात-विरादरी वाले, जान पहचान के लोग भी समाज में होते हैं। अतः कोई भी बुरी बात करते समय स्थानीय आदमियों को यह ख्याल हो सकता है कि ये सब लोग उन्हें क्या कहेंगे ? बाहर के आदमियों को ऐसा कोई विचार या डर नहीं होता। इसलिए नरेशों और दीवानों की निरंकुशता में ये उनका पूरा साथ देते हैं। राज्य के हिसाब-किताब में भी सफाई कम ही रहती है। राज्य-कोष में से कितना नरेश पर तथा उसके परिवार पर खर्च होता है इस विषय में निश्चित मर्यादा बहुत कम रियासतों में होती है और जहाँ यह होती है वहाँ भी उसका पूरे विवेक और कड़ाई के साथ शायद ही पालन होता है। श्रेनेक नरेश रियासत के खजाने और जेव-खर्च में बहुत कम भेद मानते हैं और उनकी विदेश-यात्रायें, प्रीतिपात्रों को इनाम तथा अन्य प्रकार से जो खर्च होता है वह मुकर्रर खर्च से कहीं बढ़ जाता है। नरेन्द्र मण्डल के १०६ सदस्य नरेशों में से केवल ५६ नरेशों ने अपना जेव-खर्च निश्चित किया है।

छोटी रियासतों में यह विवेक और भी कम रहता है। फलतः प्रजा जनों की सेवा और जीवन-सुधार सम्बन्धी कामों के लिए कमी पड़ जाती है और ऐसे कभी इन कामों के लिये माँग की जाती है तो यही जवाब मिलता है कि वजट में कोई गुंजाइश नहीं है। सरकारों की तरफ से ऐसा जवाब मिलना तो स्वाभाविक ही है। पर अब खुद प्रजाजनों को नरेशों का खानगी खर्च कम करने पर जोर देना चाहिए। उसकी अब निश्चित प्रतिशत मुकर्रर कर दी जाय और वह कम से कम हो, ताकि लोक-सेवा के लिये राज्य-कोष का अधिक से अधिक हिस्सा बचाया जा सके।

व्यक्तिगत रूप से नरेश राज-काज में बहुत कम दिलचस्पी लेते हैं। इमेशा स्वार्थियों और खुशामदियों का झुएड़ उन्हें धेरे रहता है, जो इस बात की खूब सांत्रधानी रखता है कि उनके गिरोह को और उनके जैसे विचार वालों को छोड़कर किसी दूसरे प्रकार का आदमी नरेश तक न

पहुँचने पावे जिससे उनके स्वार्थ सुरक्षित रहें। कागजात और मिसलैं वष्टों नरेशों की प्रतीक्षा मैं पड़ी रहती हैं। खुद नरेश इतने सुझैं, बिलासी और निष्क्रिय रहते हैं तथा कम ध्यान देते हैं कि अनेक मर्तवा उन्हें वह भी पता नहीं रहता कि किन मामलों में उन्होंने किस प्रकार के निर्णय पर हस्ताक्षर किये हैं।

बहुत कम रियासतों में वैधानिक शासन के चिन्ह हम देखते हैं। कुछ बड़ी-बड़ी रियासतों में धारा सभायें बन गई हैं। पर उनमें सरकारी और गैर सरकारी नामजद सदस्यों की बहुत अधिकता है। और इतने पर भी अधिकार कुछ-नहीं के बराबर है। ये धारासभायें क्या हैं, निरी बाद-विवाद सभायें हैं। उनके निर्णयों का महत्व सलाह से अधिक नहीं होता। जिन्हें नरेश किसी हालत में मानने को बाध्य नहीं हैं।

केवल चौंतीस रियासतें ऐसी हैं, जिनमें न्याय विभाग तथा शासन विभाग को अलग-अलग रखने का यक्का किया गया है! वर्ना अधिकांश इनमें प्रायः कोई तमीज नहीं करती। न्याय-विभाग पर राजा का पूरा नियन्त्रण होता है। चालीस रियासतों में हाईकोर्टों की स्थापना हो चुकी है जिनमें से कुछ में अंग्रेजी भारत की तरह कानून के अनुसार न्याय देने का यक्का होता है। पर याद रहे, राजा पर किसी कानून की सत्ता नहीं होती। यही नहीं, बल्कि उसके आदेशानुसार काम करने वाले कर्मचारियों पर भी कानून का असर कम ही होता है। अधिकांश रियासतों में तो निश्चित कानून के अभाव में मनमानी ही चलती रहती है। प्रजाजनों या पीड़ितों को शिकायत या अपील करने तक की गुंजाइश नहीं रहती। जब पिछला गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया एक्ट बना तो रियासती जनता के मौलिक अधिकारों का चिढ़ा तक बनाना असंभव हो गया क्योंकि इस पर नरेश राजी ही नहीं होना चाहते थे। यह तो हुआ बड़ी रियासतों का हाल।

छोटी रियासतों की कहानी और भी दुःखदायी है। उनके नरेश तो एक दम निरंकुश होते हैं। अपनी सत्ता का केवल एक ही उपयोग वे जानते हैं। प्रजाजनों को मनमाना तंग करना, उनसे पैसा चूसना, और अपने ऐशो-आराम में तथा दुर्गुणों में एवं व्यसनों में उसे बरबाद करना। न्याय-विभाग और पुलिस अगर होते भी हैं तो पतित और भ्रष्ट। अन्याय और जुल्म के साधन बन जाते हैं। कर अन्यायपूर्ण और असह्य होता है। भाषण, संगठन और सुदरण जैसी मामूली नागरिक स्वाधीनता का भी वहाँ नामोनिशान नहीं होता।

नरेश अपने स्वार्थ और विपय-विलासों पर अनियन्त्रित खर्च करते रहते हैं। लोग अत्यन्त दरिद्र हैं। लाखों लोगों को दिन में एक बार भी पेट भर भोजन नहीं मिल सकता। राज और राज के कर्मचारी प्रजाजनों को यमराज के समान भयंकर और दुष्ट मालूम होते हैं। क्योंकि वे मानते हैं कि उनका जन्म प्रजाजनों से केवल पैसे वसूल करने के लिये ही हुआ है। और प्रजाजनों को उनकी टहल-चाकरी करने के लिये बनाया गया है। इनके अत्याचारों का घर्षण करना असंभव है। वह जानते हैं, जिनपर वीतती है।

लन्दन डाइम्स ने सन् १८५३ में रियासतों के सम्बन्ध में एक लेख लिखा था जिसमें छोटी बड़ी रियासतों में चल रही अन्धेर का चित्र और कारण भी खूब अच्छी तरह थोड़े में प्रकट किया गया है:—

“पूरब के इन निस्तेज और निकम्मे राजा नामधारियों को जिन्दा रख कर हमने उनके स्वाभाविक अन्त से उनकी रक्षा कर ली है। बगावत के द्वारा प्रजाजन अपने लिए एक शक्तिशाली और योग्य नरेश ढूँढ़ लेते हैं। जहाँ श्रव भी देशी नरेश हैं, हमने वहाँ के प्रजाजनों के हाथों से यह लाभ और अधिकार छीन लिया है। यह इल्जाम सही है कि हमने इन नरेशों को सत्ता तो दे दी, पर उसकी जगमेदारी से उन्हें बरी केर दिया है।

अपनी नपुंसकता, दुर्गण और गुनाहों के बावजूद भी केवल हमारी तल्खार के बल पर ही वे अपने सिंहासनों पर ठिके हुए हैं। नतीजा यह है कि अधिकाँश रियासतों में घोर अराजकता फैली हुई है। राज का कोष किराये के टट्टू जैसे सिपाही और नीचे दरबारियों पर बरबाद हो रहा है और गरीब रिआया से बेरहमी के साथ वसूल किये गये भारी करों के स्पर्ये से नीच से नीच मनुष्यों को पाला जाता है। असल में अब सिद्धान्त यह काम कर रहा है कि सरकार प्रजाजनों के लिए नहीं, बल्कि राजा और उसके ऐशोआराम के लिए जनता है और यह कि जब तक हमें राजा की सत्ता और उसके सिंहासन की रक्षा करनी अभीष्ट है, तब तक हमें भी भारत की सर्वोपरि सत्ता के रूप में वे तमाम बातें करनी ही होंगी, जो ऐसे राजा अपने प्रजाजनों के प्रति करते हैं।'

इस छोटे से उद्धरण में रियासतों मैंचल रही सारी अंधेर का कारण आ गया है। इससे स्पष्ट है कि रियासतों में जितनी गन्दगी, जितनी अन्धेर, जितना अन्याय, और जितने चुल्म हैं, उन सबके लिए साफ और सीधे तौर पर भारत सरकार का राजनैतिक विभाग ही जिम्मेवार है। उसने एक तरफ न केवल नरेशों को इन्सान बनाने से रोक रखा है, बल्कि साम्राज्य बढ़ाने के लिए जिन कुटिल और धृषित चालों-कुचालों से काम लिया जाता है उन सबका उपयोग करके उन्हें पूरी तरह निकम्मा, भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार और प्रजा-पीड़क बनाने की तरकीब और जाल रचे हैं। रियासतों में असल में नरेशों का नहीं, पोलिटिकल डिपार्टमेंट का राज रहा है। उसने रियासतों को प्रतिक्रिया का गढ़ बनाने का काम किया है जिसके बल पर देश में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की लहर को रोका जा सके। साम्राज्य सत्ता ने देशी राज्यों में उस निरंकुश शासन और शोषण को चलाने का यत्न किया। जो काम और नीति वह अपने सीधे शासन में नहीं कर सकती थी उन्हें उसने यहां परदे की ओट में बैठकर किये कराये हैं जिससे वह खुद बदनामी से बच जाय, नरेश अपने आप बालाबाला पिट जावें, और बदनाम हों;

और इसके साथ यह भी सिद्ध करते बने कि हिन्दुस्तानी लोग शासन की जिम्मेवारी को संभालने में कितने निकम्मे हैं। फिर इन रियासतों की अंधेर शाही के साथ साथ ब्रिटिश शासन को रखकर अपनी श्रेष्ठता भी संसार को बताने का इसमें यत्न है। एक तरफ अपनी लम्ही चौड़ी घोषणाओं में नरेशों को उनकी भीतरी अव्यवस्था के लिए अंगरेज सत्ताधारी फटकारते भी रहे हैं और दूसरी तरफ परदे की ओट में बैठकर प्रगतिशील नरेशों को आगे बढ़ने से बुरी तरह रोक भी तो रहे हैं। परन्तु नरेशों की निरंकुशता को रोकने के लिए उसने किसी नरेश के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाया हो ऐसा शायद ही कोई उदाहरण मिले। नाभा, भरतपुर और इन्दौर जैसे नरेशों को राजगद्दी से अलग करने में इन कारणों की अपेक्षा साम्राज्य सत्ता के स्वार्थ अधिक काम करते रहे हैं। क्योंकि कुशामन, दुराचार, जुल्म आदि की हजारों शिकायतें होने पर भी दूसरे राजाओं को जां कि साम्राज्य के स्वार्थों और प्रजा के शोषण में सहायक रहे हैं, न केवल कायम रहने दिया बल्कि उनकी इज्जत भी बढ़ाई गई है। जो हो, रियासतों और रियासती प्रथा में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। शायद इनमें आवश्यक सुधार नहीं हो सकते तो ये टिक भी नहीं सकेंगी, न केवल ब्रिटिश भारत की बल्कि देशी राज्यों की जनता भी शब्द इतनी जागृत हो चुकी है कि वह उन नरेशों को उखाड़ फेंकेगी जो समयोचित सुधार की ज़मता नहीं दिखावेंगे। आज जनता के सामने यह प्रश्न कोई मूल्य नहीं रखता की अमुक राजवंश रहे या न रहे। सबसे बड़ा सवाल आज लोक-कल्याण का है। जो व्यवस्था जनता को सबसे अधिक सुख पहुँचा सकेगी वही रहेगी। जो बाधक होगी वह नहीं ठिकेगी। अंगरेजी साम्राज्य के मातहत इस सामन्त शाही की निकम्मी प्रथा ने जनता की प्रगति के मार्ग में केवल रुकावटें ही नहीं डाली हैं बल्कि उसे दबा दबाकर उस पर तरह तरह के जुल्म करके और शोषण करके उसे पशुओं की समता में लाकर छोड़ दिया है।

नरेशों के निरंकुश निजी खर्च, इनकी शान-शौकत, व्यसनाधीनता, अजीब और निकम्मे रस्मोरिवाज और इन सब में होने वाली धन की बरबादी, कुत्ते, घोड़े, महलों में पलने वाले असंख्य नौकर-चाकर और बाँदा बाँदियों की फौज, बेरहम मारपीट, कानूनी शासन का सर्वथा अभाव, किसानों का शोषण इत्यादि ने रियासती जनता को राजनैतिक सामाजिक आर्थिक और साँस्कृतिक दष्टि से हतना पीछे रख दिया और गिरा दिया है कि जिसकी ठीक ठीक कल्पना बाहर के लोग नहीं कर सकते। रियासतों के प्रश्न को सुलझाने में हमारे सामने सबसे प्रमुख विचार रियासती जनता का रहेगा तभी उसका उचित हल हम निकाले सकेंगे।

: ४ :

वे दावे और उनकी वास्तविकता

नरेशों का और उनके शासन का यह एक मोटा सा चित्र है। इसकी तक्षसीलों में आज के बदले हुए जमाने में जाना बेकार है। आज तो भूत की अपेक्षा भविष्य की समस्याओं पर ही अधिक विचार करने की जरूरत है। फिर भी प्रश्न की सारी बाजुओं का यथावत् ज्ञान हो जाय इस ख्याल से रियासतों और नरेशों की पूर्वस्थिति का जो अब तक लगभग ज्यों की त्यों कायम है—एक मोटा सा चित्र दे दिया गया है। हर कोई जानता है कि किसी भी स्वतन्त्र देश में नरेशों का ऐसा वर्ग एक मनट भी नहीं टिक सकता। पर इस विदेशी सत्ता ने उसे यहाँ अपने स्वार्थ के लिए अब तक ढन्डे के बल पर टिका रखा है। सन् १९२१ में हिन्दुस्तान में जिस उग्र राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ, हिन्दुस्तान के प्रश्न पर ब्रिटेन के विचारशील लोगों का भी ध्यान जोरों से गया। अंग्रेज सरकार भी इस बात को जान गई कि अब राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति का रोकना असम्भव है और शासन-सुधार के तरीकों की चर्चा शुरू हुई। यह स्पष्ट था कि अब शासन का नया स्वरूप संघ शासन ही

हो सकता है। पर इस संघ में रियासतों की स्थिति क्या होगी? उनका भीतरी शासन कैसा होगा, समस्त देश के साथ उनका सम्बन्ध कैसा होगा, इत्यादि प्रश्न खड़े होते गये। और राज्यों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग होने लगी।

इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की तरफ से कहा गया कि नरेशों का सबाल बिलकुल जुदा है। उनका सम्बन्ध सीधा सम्प्राट से है। साम्राज्य सत्ता उनके साथ संधियों और सुलहनामों से बंधी है। और इनके अनुसार नरेशों के प्रति सार्वभौम सत्ता के कुछ निश्चित कर्तव्य हैं जिनका पालन करने के लिए वह चन्न-बद्ध है। इस चर्चा ने नरेशों को भी अपनी सन्धियों की याद दिलाई। उसमें उन्होंने देखा कि हमारी स्थिति तो अंगरेजी सल्तनत के साथ में समानता की है और हमारा संबंध सीधा सम्प्राट से है। नरेशों ने सोचा कि इस हलचल में हमें भी अपनी पहले की सी स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके तो किन्तु अच्छा हो। नवसंगठित नरेन्द्र मण्डल ने भी कुछ प्रमुख नरेशों में शायद थोड़ी सी वर्ग चेतना पैदा कर दी। उन्हें एक लम्बे असें से यह शिकायत थी कि उनके अधिकारों पर पिछ्जे सौ वर्षों में अनेक बार गैर कानूनी और अन्याय पूर्ण आक्रमण हुए हैं। इस अन्याय की शिकायत करते हुए नरेश अपनी तरफ से कुछ दावे भी पेश करना चाहते थे। इसलिए सन् १९२७ में उनमें से किवने ही नरेशों ने यह मांग भी की कि साम्राज्य सत्ता के साथ उनके सम्बन्धों का एक बार खुलासा हो जाना जरूरी है और फिर उसी के अनुरूप उनके साथ व्यवहार हो।

लॉर्ड बर्कन हेड उस समय भारत मन्त्री थे, उन्होंने इसके लिए एक कमिटी की नियुक्ति कर दी, जिसके तीन सदस्य थे—सर हारकोर्ट बट्टलर मि. सिड्यूसर पील और मि. होल्डस्ट्रथ। कमिटी से कहा गया कि वह रियासतों और सार्वभौम सत्ता के बीच के सम्बन्धों के विषय में खासतौर पर—

(क) सन्धियों इकरारनामों और सनदों तथा

(ख) रुद्धियाँ, व्यवहार, एवं अन्य कारणों से उत्पन्न पारस्परिक अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट करें।

समिति सार्वभौम सत्ता और रियासतों के बीच के आर्थिक सम्बन्ध और लेन-देन के विषय में भी जाँच करे और दोनों पक्षों के बीच अधिक संतोषजनक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए और भी सिफारिशें करे, जो उसे उचित जान पड़ें।

चूंकि कमिटी के अध्यक्ष बटलर थे इसलिए उसका नाम बटलर कमिटी पड़ गया। इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट ता० १४ फरवरी १९२६ को पेश की। आज की परिस्थिति में यह रिपोर्ट बहुत पुरानी और मुख्यतया केवल ऐतिहासिक महत्व की वस्तु ही मालूम होगी। क्योंकि खुद मन्त्री मण्डल के मिशन ने यह साफ जाहिर कर दिया है कि अब भारत में अंगरेजों की सत्ता नहीं रहेगी। फिर भी आज अंगरेजों का सारा व्यवहार एक दम सरल नहीं हो गया है। रियासतों के सम्बन्ध में आज भी रोज अनेक नई नई उलझनें खड़ी होती रहती हैं। उनके महत्व, कारण और रहस्यों के समझने में इस कमिटी की रिपोर्ट में लिखी कई बातों से काफी सहायता मिल सकती है। इसलिए हम उसका थोड़े में अवलोकन करेंगे।

कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ‘राजनीतिक दृष्टि से भारतवर्ष के दो हिस्से हैं—एक अंग्रेजी, दूसरा हिंदुस्तानी। अंग्रेजी भारत का शासन पार्लमेंट के स्टेट के अनुसार और धारासभा में बनाये गये कानूनों के अनुसार सम्राट द्वारा होता है। दूसरा हिस्सा भी है तो सम्राट के मातहत ही, पर उसका प्रत्यक्ष शासन वहाँ के नरेशों द्वारा होता है। भौगोलिक दृष्टि से भारत एक और अखण्ड है। और इन दोनों हिस्सों को एकत्र बनाये रखने में ही राजनीतिज्ञों की परीक्षा है।

आज की रियासतें तीन वर्गों में बांटी जा सकती हैं

वर्ग संख्या रक्कम मीलों में जन-संख्या आय करोड़ों में

(१)—वे रियासतें १०८ ५,१४,८८६ ५,०८,४७,१८६ ४२,१६
जिनके नरेश नरेन्द्र-
मण्डल के सदस्य हैं ।

(२)—वे रियासतें १२७ ७६,८४६ ८०,०४,४१४ २.८६
जिनका प्रतिनिधित्व
नरेन्द्र मण्डल में
उनके नरेशों द्वारा
अपने ही अंदर से
चुने १२ प्रतिनिधियों
द्वारा होता है ।

(३)—इस्टर्टें, जागीरें ३२७ ६,४०६ ८,६१,६७४ .७४
बगैरा ।

रिपोर्ट में जो सुझाव हैं वे मुख्यतया प्रथम दो वर्ग की रियासतों से सम्बन्ध रखते हैं । उनमें लिखा है—

“रियासतों के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की नीति में समय-समय पर कई परिवर्तन हुए—

(क) शुरू में निश्चित क्षेत्रों और विषयों को छोड़ कर रियासतों के भीतरी मामलों में कोई हस्तक्षेप न किया जाय, यह नीति रही ।

(ख) बाद में लार्ड हैस्टिंग की सलाह के अनुसार रियासतों को मातहत के तौर पर रखा गया और उन्हें शेष भारत से सावधानी के साथ अलग रखने की कोशिश की गई । कालान्तर में यह नीति भी बदली और

(ग) आज रियासतें तथा सार्वभौम सत्ता के बीच कुछ-कुछ इस प्रकार का सम्बन्ध है कि दोनों मिलकर सहयोग पूर्वक आगे बढ़ें।

“तदनुसार ता० दृ०-१६२१ को शाही फर्मान द्वारा सम्राट् ने नरेन्द्र-मण्डल की स्थापना की। कुछ बड़े-बड़े नरेशों ने उसमें जाने से इन्कार कर दिया। फिर भी मण्डल का निर्माण और उसकी स्थायी समिति की रचना एक जबर्दस्त घटना थी। क्योंकि इसमें सरकार ने रियासतों को एक दूसरे से और शेष भारत से अलग रखने की नीति को छोड़कर उनके सहयोग की इच्छा प्रकट की है।

“हम भी इस बात को मानते हैं कि रियासतों और सार्वभौम सत्ता के बीच का सम्बन्ध दरअसल उनके और सम्राट् के बीच का सम्बन्ध ही है। और उनके साथ हुई सन्धियाँ मरी नहीं, जिन्दा और बन्धनकारक हैं। यद्यपि ऐसी सन्धियोंवाली रियासतों की संख्या कुल चालीस ही है। परन्तु यहाँ सन्धियों में इकरारनामों और सनदों का भी समावेश कर दिया गया है।

“पर सार्वभौम सत्ता और रियासतों के बीच डेढ़ सौ वर्ष पहले की गई सन्धियों के आधार पर कायम किया गया यह सम्बन्ध केवल सौदे की वस्तु नहीं है। यह तो जैसा कि प्रो० वेस्ट लेक ने कहा है, इतिहास, सिद्धान्त और प्रत्यक्ष वर्तमान की घटनाओं से उत्पन्न परिस्थिति और नित्य परिवर्तनशील नीति के आधार पर बढ़ने वाली विकासशील जिन्दा वस्तु है।”

सर एच मेन ने काठियावाड़ के मामले में अपने मन्त्र्य में लिखा है (१८६४)—

“देशी रियासतों को अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है ही नहीं। वे किसी बाहरी देश से सन्धि, विग्रह या समझौता नहीं कर सकतीं। यह इक तो

सार्वभौम सत्ता को ही है। वही अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में रियासतों का प्रतिनिधित्व कर सकती है और उसके इस हक को कानून ने भी मंजूरी दी है, जो उसे सन्धियों से और अधिकारश में लुढ़ि तथा प्रत्यक्ष व्यवहार से प्राप्त है।

“अभी-अभी तक सार्वभौम सत्ता केवल अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में ही नहीं, उनके आपसी व्यवहारों में भी रियासतों की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व करती रही। परन्तु वर्तमान शताब्दी में परिस्थितियाँ इतनी बदल गई हैं कि रियासतों के आपसी सम्बन्ध में आवागमन वगैरा बहुत बढ़ी गये हैं।

“भीतरी उपद्रवों या बगावतों से रियासतों की रक्षा करने के लिये सार्वभौम सत्ता बचन बद्ध है। यह कर्तव्य उसे सन्धियों, सनदों वगैरा के शर्तों के अनुसार प्राप्त है। नरेशों के अधिकार, प्रतिष्ठा वगैरा को अक्षुण्ण बनाये रखने के सम्बन्ध में स्वयं सम्माट ने भी बचन दिया है।

“सम्माट के इस बचन के अनुसार उनपर यह कर्तव्य-भार भी आता है कि अगर किसी नरेश को हटाकर रियासत में दूसरे प्रकार के यानी लोक तंत्री शासन की स्थापना का प्रयत्न हो, तो उससे भी नरेश की रक्षा की जाय। और अगर इस तरह के प्रयत्न की जड़ में कुशासन नहीं, बल्कि शासन के परिवर्तन के लिये जनता की व्यापक माँग हो तो सार्वभौम सत्ता को नरेश की प्रतिष्ठा, अधिकार और विशेषाधिकारों की रक्षा तो करनी ही होगी, परन्तु साथ ही उसे कोई ऐसा उपाय भी सुझाना होगा, जिससे नरेश को न हटाते हुए भी प्रजा की माँग की पूर्ति हो सके। पर आज तक ऐसी नौबत नहीं आई है और शायद आगे भी न आवे, अगर नरेश का शासन न्यायपूर्ण और सहम होगा और खास तौर पर लॉर्ड इर्विन की सलाह पर, जिसको नरेन्द्र-मण्डल ने भी माना है, देशी नरेश अमल करें।” इस घोषणा में लॉर्ड इर्विन ने नरेशों को सलाह दी है कि वे अपना जेव-

खर्च बाँध लें, रियासत की नौकरियों में स्थायित्व निर्माण करें और न्यौय-विभाग को स्वतंत्र एवं तेजस्वी बना लें।

“फिर भी नरेशों के एक सचमुच गम्भीर भय (यह कि कहाँ सार्वभौम सत्ता रियासतों के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों को उनकी सम्मति के बगैर ब्रिटिश भारत में आनेवाली भारतीय सरकार को—जो कि धारासभा के प्रति जिम्मेदार होगी—न सौंप दे) की तरफ ध्यान दिलाये बगैर हम नहीं रह सकते। इस सम्बन्ध में हम यहाँ पर अपनी यह राय बलपूर्वक पेश कर देना अपना कर्तव्य समझते हैं कि नरेशों और सार्वभौम सत्ता के बीच पुराना ऐतिहासिक सम्बन्ध है। अतः नरेशों को जब तक वे राजी न हो जायें, भारतीय धारासभा के प्रति जिम्मेदार रहने वाली किसी नई सरकार के आधीन न सौंप दिया जाय।”

नरेशों का भय और साम्राज्य सरकार की चिन्ता दोनों अध्ययन करने की वस्तु हैं। इतने लम्बे आसे से जो प्यारे आश्रित रहे हैं, उनको अंग्रेज भी स्वतंत्र भारत के अथाह समुद्र में कैसे ढकेल दें? यह प्रेम सम्बन्ध कितना पवित्र है, नरेशों को उनकी तथा-कथित सन्धियों के अनुसार ब्रिटिश सरकार के मातहत कितना सम्मानजनक (या अपमान-जनक) स्थान रहा है तथा इस सम्बन्ध में सार्वभौम सत्ता का कितना स्वार्थ है इसका पता भी बटलर कमिटी की सिफारिशों और रिपोर्टों के अध्ययन से लग सकता है।

भारतीय नरेशों को अपने राजत्व की रक्षा की बड़ी चिन्ता है और इसके लिये वे अपने पुरखों के साथ की गई संधियों बगैर की दुहाई देते हैं। पर दरअसल वे साम्राज्य सरकार की दया पर ही जिन्दा हैं, क्योंकि खुद साम्राज्य सरकार का इसमें स्वार्थ था। देखिये बास्तविक स्थिति क्या है :

कमिटी ने दोरों सबूत एकत्र किये, नरेशों की तरफ से नियुक्त किये गये नामी वकीलों की बहस भी सुनी। उसके बाद वह जिस नतीजे पर पहुँची है, उसका सार इस प्रकार है:—

(अ) रियासतों की कोई अन्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठा नहीं

कमिटी ने अपनी रिपोर्ट के पैरा नं० ३६ में लिखा है :—

“ऐतिहासिक तथ्य से यह कथन मेल नहीं खाता कि ब्रिटिश सत्ता के संपर्क में देशी रियासतें जब आईं तब वे स्वतंत्र थीं, प्रत्येक राज्य पूर्णतया सर्व सत्ता धारी ‘सावरिन’ था और उसको वह प्रतिष्ठा थी, जिसे एक आधुनिक वकील की राय में अन्तराष्ट्रीय कानूनों के नियमानुसार सचमुच अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा कहा जा सकता हो। सच तो यह है कि इन रियासतों में से एक को भी अन्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठा नहीं थी। प्रायः सब रियासतें मुगल साम्राज्य, मराठों या सिक्खों की सत्ता के आधीन या मॉडलिक थीं। कुछ को अग्रेजों ने छोटा बना दिया और कुछ का नया निर्माण किया।”

(आ) उनकी स्वतंत्र सत्ता भी नहीं थी

कमिटी ने अपनी रिपोर्ट के ४४ वें पैरे में लिखा है :—

यहाँ पर यह कह देना उचित होगा कि आज कल के राजनीतिज्ञों की भाषा में ‘राजत्व’ का तो विभाजन हो सकता है, परन्तु स्वतंत्रता का नहीं। ‘आंशिक स्वतंत्रता’ शब्दों का प्रयोग भी साधारणतया किया जाता है। पर वह तो सरासर गलत है। इसलिये भारत में ‘राजत्व’ या ‘राज-सत्ता’ अनेक प्रकार की पाई जा सकती हैं। परन्तु स्वतंत्र राज-सत्ता तो केवल ब्रिटिश सरकार ही है।”

असल में जिनको सुलहनामा कहा जा सकता है, हिन्दुस्तान की २६२ रियासतों में से सिर्फ ४० रियासतों के साथ ही हुए हैं। (बटलर कमिटी की रिपोर्ट पैरा १२)।

शेष रियासतों में से कुछ के साथ इकरारनामे हैं, तो कुछ को सनदें दी हुई हैं। और जिनके साथ इन दो में से एक भी सम्बन्ध नहीं, उनका

नियन्त्रण रुदी और शुरू से चले आये तथा समय समय पर बदलने वाले व्यवहार के अनुसार होता है।

सुलहनामे १७३० से लेकर १८५८ तक के हैं। ये ईस्ट इन्डिया कम्पनी के अफसरों और नरेशों के बीच व्यक्तिगत हैसियत में नहीं, बल्कि अपनी रियासतों के वैधानिक शासक की हैसियत से पारस्परिक बचाव या सम्मिलित रूप से आक्रमण करने के लिए की गई मित्रता की सम्बिधयों के रूप में हुए हैं। रियासत (स्टेट्स) शब्द में जनता भी शामिल है।

ये तमात सुलहनामे एकसे नहीं हैं। जिस बक्त जैसा मौका या हेतु रहा है, वैसी उनकी शर्तें या स्वरूप हैं। इसलिए तमाम रियासतों के लिए अधिकारों या उनके प्रति जिम्मेदारियों का सर्वसामान्य नाप इनमें नहीं पाया जाता।

इन तमाम सुलहनामों में एक आश्वासन साफ तौर से प्रकट या अप्रकट रूप में पाया जाता है। यह की श्रगर नरेश का शासन सन्तोष-जनक रहा तो साम्राज्य सत्ता राज्य की (व्यक्तिगत नरेशों की नहीं) रक्षा करेगी।

समय और परिस्थितियों के परिवर्तन और राजनैतिक व्यवहारों के साथ-साथ इन सुलहनामों का महत्व और मूल्य बहुत कम हो गया है।

इन सुलहनामों के बावजूद और स्वतन्त्र रूप से भी सार्वभौम सत्ता ने अनेक कारणों से देशी राज्यों के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप करने के अपने हक का हमेशा दावा किया है और उस पर अमल भी किया है। सार्वभौम सत्ता के इस अधिकार पर कभी किसी ने उत्तर भी नहीं किया है।^१

१ नरेश अर्ज जो भीतरी उपद्रवों से भ्रौर बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित हैं सो अन्ततोगत्वा ब्रिटिश सरकार की कृपा की बदौलत ही। जहां साम्राज्य के हितों का सवाल होगा, या किसी रियासत के शासन

नरेशों की तरफ से उनके अधिकारों की पैगंबी करने के लिए सरलेस्ली स्कॉट मुकर्रर थे। कमिटी के सामने उनकी बहस कई दिन तक जारी रही। वह सब सुन लेने के बाद बटलर कमिटी ने पाया कि सार्वभौम सत्ता को नीचे लिखी हालतों में रियासतों के मामलों में नियन्त्रण, व्यवस्था और हस्तक्षेप करने का अधिकार है:—

१. वैदेशिक संबंध

- (क) विदेशी राज्यों से युद्ध छेड़ना या सुलह करना तथा बातचीत करना या अन्य प्रकार से व्यवहार करना।
- (ख) रियासतों के अन्दर विदेशी राज्यों के प्रजाजनों की रक्खा करना।
- (ग) अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों में विदेशों में रियासतों का प्रतिनिधित्व करना।
- (घ) सार्वभौम सत्ता अगर अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी ले, तो उसका पालन रियासतों से करवाना।
- (ङ) वैदेशिक अपराधियों को (जो रियासतों में पहुँच गये हों) सौंपने पर रियासतों को मजबूर करना।
- (च) गुलाम-प्रथा को मिटाना।
- (छ) विदेशी प्रजाजनों के साथ अच्छा सलूक करने पर रियासतों को

की वजह से रिआया के हितों को गम्भीर या दुखदायी ढांच पहुँच रही होगी, और इसे दूर करने के लिये किसी उपाय के अवलम्बन की जरूरत होगी तो इसकी अन्तिम जिम्मेदारी सार्वभौम सत्ता की ही होगी। नरेश-गण अपने राज्य की सीमाओं के अन्वर जिस विधि प्रकार की राजसत्ता का उपभोग करते हैं, सो सार्वभौम सत्ता की इस जिम्मेदारी के मतहत ही कर सकते हैं।

(हैदराबाद-निजाम के नाम लार्ड रीडिंग के पत्र २७-३-३६ से)

मजबूर करना और अगर उन्हें कोई चोट पहुंची हो, तो उसका हर्जाना दिलवाना । (बटलर कमिटी की रिपोर्ट पैरा ४६) ।

२. रियासतों के आपसी ताल्लुकात

(क) सार्वभौम सत्ता की अनुमति के बगैर रियासतें अपने प्रदेश में से कोई हिस्सा आपल में दे-ले नहीं सकतीं, वेच नहीं सकतीं या अदल-बदल नहीं कर सकतीं ।

(ख) रियासतों के आपसी भगड़ों को रोकने और तय करने का हक सार्वभौम सत्ता का है ।

३. बचाव और संग्रहण

(क) देशरक्षा-विषयक फौज वगैरा का रखना, युद्ध-सामग्री और आवागमन के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय सार्वभौम सत्ता का होगा ।

(ख) गत (१६१४ कं) महायुद्ध में तमाम रियासतें साम्राज्य की रक्षा के लिए जुट गईं और उन्होंने अपनी सारी साधन-सामग्री सरकार के सिपुर्द कर दी । यह खुद भी सार्वभौम सत्ता के अधिकार और उसके प्रति रियासतों के कर्तव्यों का एक सबूत है ।

(ग) रियासतों की रक्षा के लिए सार्वभौम सत्ता रियासतों के अंदर जो कुछ भी करना मुनासिब समझे रियासतों को उसे वह सब करने देना होगा ।

(घ) सड़कें, रेलवे, हवाई जहाज, डाकघर, तार, टेलीफोन, और वायरलेस, केंटोनमेंट, किले, फौजों के आवागमन, शस्त्रास्त्र तथा युद्ध-सामग्री की प्राप्ति वगैरा के विषय में युद्ध की दृष्टि से जो भी आवश्यक होगा उसे रियासतों से प्राप्त करने और करवाने का अधिकार सार्वभौम सत्ता को है । (बटलर कमिटी रिपोर्ट—पैरा ५७)

४. भीतरी शासन

(क) जब कभी जरूरत या मांग की जायगी, सार्वभौम सत्ता को रियासतों में शासन-सुधार करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। इसका कारण यों बताया गया है—

“सार्वभौम सत्ता ने भीतरी वगावत से नरेशों की रक्षा करने का जिम्मा तो लिया है, पर उसके साथ-साथ उस पर यह भी जिम्मेदारी आ गई है कि वह इस वगावत के कारणों की जाँच करे और नरेशों से यह चाहे कि वे वाजिब शिकायतों को और तकलीफों को दूर करें। सरकार को इसके लिए उपाय भी सुझाने ही होंगे।”

(बटलर कमिटी रिपोर्ट—पैरा ४७)

(ख) रियासतों में प्रजाजनों की मांगों को पूरी करने के लिए सार्वभौम सत्ता का यह कर्तव्य और अधिकार भी है कि वह शासन में परिवर्तन करने की मांग का संतोष करे। इस सम्बन्ध में रिपोर्ट का ५० वां पैरा खास तौर पर वर्तमान समय में अत्यन्त महत्वपूर्ण है—

“सम्माट ने नरेशों के अधिकार और विशेषाधिकारों को एवं प्रतिष्ठा तथा शान को ज्यों-का-त्यों कायम रखने का वचन दिया है। उसके साथ उन पर यह भी जिम्मेदारी आ जाती है कि अगर नरेश को हटाकर राज्य में दूसरे प्रकार की (अर्थात् जनतन्त्रीय) सरकार कायम करने का प्रयत्न किया जाय तो उससे भी उसे बचाया जाय। अगर इस प्रकार के प्रयत्न शासन की बुराई की वजह से हुए तो नरेशों की रक्षा केवल पिछले पैरे में बताये अनुसार ही होगी। पर अगर इनकी तह में शासन की खराबी नहीं, बल्कि शासन के तरीके में परिवर्तन करने की व्यापक मांग होगी तो सार्वभौम सत्ता को नरेश के अधिकार, विशेषाधिकार और प्रतिष्ठा की रक्षा करनी ही पड़ेगी। परन्तु साथ ही उसे ऐसे उपाय भी सुझाने पड़ेंगे, जिससे नरेश को कायम रखते हुए भी जनता की मांग की पूर्ति की जा सके।

५. राज्य की भलाई के लिए इस्तक्षेप

रियासत के शासन में जब कभी भयंकर खराबी पैदा हो जायगी तो सार्वभौम सत्ता नीचे लिले उपाय काम में लावेगी—

(१) नरेश को गही से उतार देना ।

(२) उसके अधिकारों में कमी कर देना ।

(३) शासन पर नियन्त्रण रखने के लिए कोई अपना अफसर मुकर्रर कर देना ।

(४) वकादारी कबूल करवाना तथा बेवफाई की सजा देना । कई नरेश वकादारी को अपना एक व्यक्तिगत गुण समझते हैं और बार-बार उसका प्रकाशन-प्रदर्शन करते हैं । पर असल में वह एक शर्त है, जिसका पालन उनके लिए लाजिमी है ।

(५) घोर आत्याचारों की सूरत में नरेश को सजा देना । मसलन प्रत्यक्ष अन्यायपूर्ण अत्याचार या जंगली सजायें आदि ।

(६) गंभीर अपराधों के लिए नरेश को सजा देना ।

(बटलर कमिटी रिपोर्ट—पैरा ५५)

६. झगड़ों के निपटारे और समझाने के लिए

कभी-कभी कोई रियासत इतनी छोटी होती है कि वह एक सरकार की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकती । तब भी सार्वभौम सत्ता को बीच में पड़कर उसकी सहायता करनी होगी ।

(ब. क. रि. पैरा ५४)

७. समस्त भारत के हित में

उदाहरणार्थ रेलवे-लाइन डालने, तार या टेलीफोन की लाइन लै जाने, ब्रिटिश भारत के सिक्के जारी करने आदि के विषय में ।

(रिपोर्ट पैरा ५५)

६. ध्याय-दान में

कहे सुलहनामों में इस बात का उल्लेख है कि ब्रिटिश अधिकारियों को देशी रियासतों के अन्दर कोई अधिकार न होगा, परन्तु छावनियों के अन्दर की फौजों या इसी तरह के अन्य मामलों में उनको अधिकार होगा।

(रिपोर्ट पैरा ५६)

६. जनरल

बट्टलर कमिटी अपनी रिपोर्ट के ५७ वें पैरे में लिखती है—

“सत्ता की सार्वभौमता के ये कुछ उदाहरण और नमूने मात्र हैं। पर असल में तो सार्वभौम सत्ता को सार्वभौम ही रहना है। उसे अपने कत्तृव्य और जिम्मेदारियों को निवाहना ही होगा और यह करते हुए समय की बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार तथा रियासतों के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार अपने आपको जब जैसी जरूरत हो, संकुचित या विस्तृत बनाना होगा।”

सार्वभौम सत्ता ने रियासतों के बारे में समय-समय पर जो घोषणाएँ की हैं और यह कैसे समय समय पर अपने रूप को बदलती रही उसका अध्ययन बहुत मनोरंजक है। जब तक नरेश बलवान रहे, उनकी ताकत को तोड़ने के लिए अंग्रेज सरकार अपनी सोची-समझी नीति के अनुसार शुरू-शुरू में कभी प्रजाजनों के हित की, कभी रियासतों के अन्दर सुशासन की, और कभी उनके प्रति सार्वभौम सत्ता की अपनी जिम्मेदारी की दुहाई देकर रियासतों के भीतरी शासन में हस्तक्षेप करने के अपने अधिकार का समर्थन और अमल करती रही है। परन्तु बाद को जब प्रजाजनों में जागृति फैली और स्वाधीनता तथा उत्तरदायी शासन की मांग जोरदार बनने लगी, तो अंग्रेजी हुक्मत को दूसरा खतरा दिखाई देने लगा, जो बहुत बड़ा था। अब नरेशों की प्रतिष्ठा, उनके पूर्वजों के साथ किये गये पवित्र सुलहनामे, वगैरा का बहाना बताकर (जिनका पर्दा बट्टलर कमिटी

ने अपनी रिपोर्ट में पूरी तरह फाश कर दिया है) उसने लोक-जागृति की बढ़ती हुई ताकत को तोड़ने के यत्न किये । इस मनोवृत्ति का विकास नीचे दिये गये भाषणों और घोषणाओं में स्पष्ट दिखाई देता है । सन् १८८१ में लार्ड लिटन ने अपने एक डिस्पैच में स्टेट सेक्रेटरी को लिखा था:—

“अब ब्रिटिश सरकार तमाम देशी राज्यों को बाहरी आक्रमणों से बचाने के कर्तव्य का भार ग्रहण कर रही है । इसके साथ ही वह नरेशों की कानूनी सत्ता की रक्षा एवं प्रजाजनों को कुशासन से बचाने के लिए आवश्यक उपायों के अवलभ्यन की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले रही है । समर्त साम्राज्य में शान्ति बनी रहे तथा प्रजाजनों का सब तरह से भला हो, इस दृष्टि से उसपर यह जिम्मेदारी भी अपने आप आ ही जाती है कि वह नरेशों को यह भी सलाह दे कि उनके शासन का तरीका और उसका स्वरूप क्या हो और इस बात पर जोर दे कि वे उस पर अमल करें ।”

इसी प्रकार लार्ड कर्जन ने कहा है:—

“एक देशी नरेश, जहाँ तक उसका सम्बन्ध साम्राज्य से है, वह सम्राट की वफादार रिआया होने का दावा करता है । पर अपने प्रजाजनों के सामने तो वह एक गैर जिम्मेदार निरंकुश अत्याचारी बना रहता है और खेल तमाशों में तथा वाहियात बातों में अपना समय और धन बरबाद करता रहता है । ये दो चीजें साथ-साथ नहीं चल सकतीं । उसे यह साचित करना चाहिए कि उसे जो अधिकार दिया गया है उसका वह पात्र है । उसका वह दुरुपयोग न करे । वह अपने प्रजाजनों का मालिक तथा सेवक भी बने । वह इस बात को समझे कि राज्य का खजाना उसके अपने ऐशो-आराम के लिए नहीं, बल्कि प्रजाजनों की भलाई के लिए है । वह जान ले कि रियासत का भीतरी शासन सार्वभौम सत्ता के हस्तक्षेप से उसी हद तक बरी रहेगा जहाँ तक कि वह ईमानदारी से

कर्तव्य करता रहेगा। उसका सिंहासन विषय-विलासों के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य-पालन के लिए है। वह न्याय-कठोर आसन है। केवल पोलो ग्राउण्ड, रेस कोर्सेस और यूरोपियन होटलों में ही वह दिखाई न दे। उसका असली स्थान और काम तथा राजोचित कर्तव्य तो यही है कि वह अपने प्रजाजनों में रहे। जो हो, एक नरेश के बारे में कम-से-कम मेरी अपनी कसौटी तो यही होगी। और आगे चलकर यही कसौटी उसके भाग्य का निर्णय करेगी, या, तो वह जिन्दा रहेगा या दुनिया से मिट जायगा।'

इसी नीति की समर्थन करने वाली घोषणायें समय-समय पर सम्प्राट के अन्य अनेकानेक प्रतिनिधियों ने उदाहरणार्थ लार्ड हार्डिंग्ग, लार्ड नार्थब्रूक, लार्ड हैरिस, लार्ड फैन ब्रोक, लार्ड मेयो, लार्ड चेम्सफोर्ड, लार्ड रीडिंग और लार्ड इरविन ने भी की हैं। परन्तु इनके बाद सम्प्राट के प्रतिनिधियों की घोषणाओं का सुर एकाएक बदलने लगा। रियासतों में वैधानिक सुधार का प्रश्न उपस्थित होते ही अंग्रेज अधिकारी इस तरह की भाषा का प्रयोग करने लगे कि अगर देशी नरेश अपने राज्यों में कोई वैधानिक सुधार दे रहे हों तो न तो सम्प्राट की सरकार उनमें अपनी तरफ से कोई रोड़ा अटकाना चाहती है और न देसे सुधार देने के लिए उन पर किसी प्रकार की जोर-जश्वर्दस्ती करना ही पसंद करती है। पर आगे चलकर वह इससे भी आगे बढ़ी। ज्यों-ज्यों ब्रिटिश भारत का वातावरण बदलता गया ब्रिटिश सरकार की भाषा भी बदलती गई। वह नरेशों को प्रत्यक्ष रूप से इस आशय की सलाह देती गई कि नरेशों को अपने राज्यों के शासन में समयानुकूल परिवर्तन करने चाहिए। पर व्यवहार में इन हिदायतों के अमल पर कभी जोर नहीं दिया गया। बल्कि पोलिटिकल डिपार्टमेंट का रुख प्रायः प्रतिगामी ही रहा है, और नरेश उसके इशारों पर चलते रहे हैं। क्योंकि नरेश सार्वभौम सत्ता के पूरे मात्रहत है, जैसे कि उसके दूसरे अधिकारी, इसलिए वह उनके प्रति अपनी पवित्र जिम्मेदारी की दुहाई देकर भारतवर्ष की

राजनीति में उनका उपयोग करती रही है। वह इस बात के लिए भी खूब सावधान रही है और उसकी भरसक कोशिश भी रही है कि वे उसके पंजे से निकल कर भारतीय स्वाधीनता के चाहने वाले दल में अपने आपको न मिला लें। इसलिए उनकी छोटी-मोटी माँगों को पूरा करने के लिए वह यदशील भी रही हैं। अगर उन्होंने चाहा कि उनका सन्वन्ध सीधे सम्प्राट से हो और भावी भारत से नहीं, तो सरकार को इसमें क्यों आपत्ति हो सकती थी? आखिर सम्प्राट को कहाँ पालियामेंट से कोई स्वतन्त्र सत्ता है? हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरल को सम्प्राट का प्रतिनिधि भी कह कर इससे इनका सम्बन्ध जोड़ देने भर से तो सारा मामला सरल हो जाता था। अब तक जितने भी शासन-सुधार के विधान आये उन सब में इस मूल बात का बराबर ध्यान रखा गया है।

पर एक बात और भी ध्यान देने लायक है। पहले—जबतक भारतीय जन-जागृति ने काफी बल ग्रहण नहीं किया था—ब्रिटिश हुक्मत नरेशों को अत्यन्त स देह की नजर से देखती रही। उन पर कड़ी निगरानी थी। उनका आपस में मिलना-जुलना तक, बगैर पोलिटीकल डिपार्टमेंट की स्वीकृति के मुश्किल था। पर अब हवा बदल गई। सन् १९२१ में नरेन्द्र मण्डल की बुनियाद सरकार द्वारा ही ढाली गई। और ब्रिटिश भारत की बढ़ती हुई जन-जागृति के मुकाबले में इसका उपयोग होने लगा। नरेशों ने भी देखा कि अब उनकी कुछ पूछ होने लगी है। इन्हें फिर अपनी संन्धियाँ और सुलहनामों की याद आईं। इनकी याद दिलाई भी गई। खूब दौड़-धूप हुई। पर इतने पर भी सन् १९३५ के शासन-सुधार में भी उनके पल्लै कुछ नहीं पड़ा। अतः ब्रिटिश भारत के नेताओं के साथ-साथ वे भी इस सुधार-योजना से असनुष्ट ही रहे। और योजना जहाँ-की-तहाँ रखी रह गई।

संक्षेप में, शासन-सुधार की जितनी भी योजनाएँ आई हैं। उन सब में यह धारणा बराबर कास करता आ रहा है कि सत्ता पूर्णतः अपने ही हाथों

मैं रहे। हाँ, बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार समय-समय पर भाषा-प्रयोग जरूर बदलते रहे हैं। शोषण के अख्यरने लायक तरीकों को छोड़ दिया गया है और उनके स्थान पर अधिक सूक्ष्म तरीकों से काम लिया जाने लगा है। अनिवार्य आवस्थाओं में अपने कदमों को थोड़ा बहुत आगे-पीछे भी किया गया है। पर यह ध्यान तो सदा ही रहा है कि कहीं सत्ता सम्राज्य सरकार के हाथों से निकल न जाय।

: ५ :

रियासतें और देशव्यापी जागृति

कांग्रेस और लोकपरिषद का कूच

नरेश और सार्वभौम सत्ता जब अपने अपने स्वार्थों की साधना में लगे हुए थे, तब रियासतों की जनता एक दम सोई नहीं थी। उसमें भी जागृति के चिन्ह प्रकट हो रहे थे। यही नहीं, बल्कि कुछ बड़ी बड़ी रियासतों की जनता तो प्रान्तों के राष्ट्रीय आनंदोलनों के साथ कदम बढ़ाते हुए चलने का यत्न करती थी। अनेक रियासतों में कांग्रेस कमिटियाँ कायम हो गई थीं और रियासतों की जनता इनके द्वारा कुछ करना भी चाहती थी। पर कांग्रेस शुरू से इस मत की रही है कि अभी कुछ समय देशी राज्यों में हस्तक्षेप न किया जाय। पहले हम प्रान्तों में अपनी शक्ति को संगठित करें, यहाँ विदेशी सत्ता से मोर्चा लेकर उसकी ताकत को तोड़ें, तो इसका असर देशी राज्यों के शासन पर अपने आप होगा। विदेशी सत्ता और देशी राज्यों के साथ के सम्बन्ध में उसने कुछ फर्ह भी रखा है। देशी नरेशों के साथ उसने सदा मित्रतापूर्ण व्यवहार करने की कोशिश की है। उसका पहला प्रस्ताव सन् १८६४ में महाराजा मैसोर की मृत्यु पर शोक प्रकाशन और राज्यपरिवार तथा मैसोर के प्रजाजनों के साथ सहानुभूति प्रकट करने वाला था। मैसोर नरेश के वैधानिक सुशासन की कद्र करते हुए कहा था कि उनकी मृत्यु से न केवल राज्य की जनता बल्कि समस्त भारतीय जनता जबरदस्त हानि अनुभव करती है।

दूसरा प्रस्ताव सन् १८६६ में नरेशों को गदी से हटाने के सम्बन्ध में इस आशय का हुआ था कि “भविष्य में किसी नरेश को कुशासन के बहाने गदी से नहीं हटाया जाय, जब तक कि उसका व्यवहार खुली अदालत में जिस पर सरकार तथा भारतीय नरेशों को भी विश्वास हो ऐसा सिद्ध न हो जाय।”

लोक-जागृति और राष्ट्रीय आनंदोलन के विकास का निर्दर्शक तीसरा प्रस्ताव कॉर्ग्रेस के नगपुर अधिवेशन में हुआ, जिसमें उसने तमाम देशी नरेशों से अपील की कि “वे अपने प्रजाजनों को प्रातिनिधिक उत्तरदायी शासन तुरन्त सौंप दें।”

इसके बाद असहयोग का जबरदस्त आनंदोलन आया उससे देशी नरेश और सार्वभौम सत्ता दोनों को अपने भविष्य की चिन्ता हो गई और वे अपनी हिली हुई जड़ों को पुनः मजबूत करने की दौड़धूप में लगे। सार्वभौम सत्ता जिन नरेशों को अब तक बुरी तरह दबाती रही, अपगाधी-कैदियों की तरह सदा सावधानी से उनकी प्रत्येक हलचल पर कड़ी नजर रखती आई, उन्हें अब नजदीक खींचकर, अपने विश्वास में लेकर अपना समर्थक सहारा बनाने की जरूरत उसे महसूस होने लगी और सन् १९२१ के फरवरी मास में खुद बादशाह के हुक्म से नरेन्द्र मण्डल की स्थापना की गई। शुरू शुरू में नरेशों ने इस कदम का बहुत उत्साह से स्वागत नहीं किया। बड़े बड़े नरेश इससे अलग ही रहे। क्लोनें-बड़े के भेदभाव को हटाकर सबको एक साथ बैठाने वाला यह कदम उन्हें अखिरा और उन्होंने इसमें शारीक होने से इन्कार कर दिया। पर साम्राज्य के भक्त नरेश तो उसमें शारीक हुए ही और उन्होंने अपने वर्ग के हितों को पुष्ट करने में इसका उपयोग करना शुरू किया। सार्वभौम सत्ता से प्रेरणा और आश्वासन पाकर नरेशों ने अपनी रियासतों में दमन भी किया। इसका भला और बुरा दोनों प्रकार का असर हुआ। अंग्रेजी प्रदेशों के पड़ोस वाले राज्यों की जनता में इससे जागृति फैली और

असहयोग से चैतन्य प्राप्त होने के कारण रियासती जनता भी संगठित होने लगी। बड़ौदा में तो ठेठ सन् १९१६ में प्रजा मण्डल की स्थापना हो गई थी। काठियावाड़ की रियासतें और भी पहले से संगठित होने लग गई थीं। मैसोर भी आगे बढ़ा। इन्दौर में भी प्रजा-परिषद की स्थापना हुई। पर ऐसी रियासतें तो गिनती की थीं। शेष रियासतें गहरे अधेरे में टटोल रही थीं। वहाँ न कोई जागृति थी और न अपने अधिकारों का कोई भान। कुछ बड़ी थीं, अनेक छोटी थीं। इनके अलग अलग प्रश्न और समस्यायें थीं। ये कैसे एकत्र हों? फिर भी उन्हें एकत्र तो करना ही था। इतने सारे प्रदेश को पीछे, अंधकार में छोड़कर देश कैसे आगे बढ़ सकता था? इन रियासतों के साहसी और शिक्षित प्रजाजन बाहर प्राप्तियों में रहते थे। एक तरफ देशव्यापी जागृति को देखकर और दूसरी तरफ अपनी छोटी-मोटी-पिछड़ी रियासतों के अधेरे, अज्ञान, और दुख को देखकर उनमें रियासती जनता को संगठित करने की भावना प्रवल होने लगी। हाल ही में हुई रूस की महान् क्रान्ति का चित्र उनके सामने था जिसमें सर्व सत्ताधीश जार को सपरिवार गोली से उड़ा दिया गया था। पिछले महायुद्ध में भी देखते देखते बड़े बड़े समाजों के मुकुट जन सत्ता के सामने धूल में मिल गये थे। असहयोग आन्दोलन से खुद लोर्ड रीडिंग चकरा गया था। यह सब देखकर देशी राज्यों के जागृत प्रजाजनों में भी अपना एक अख्लिल भारतीय संगठन निर्माण करने की इच्छा पैदा हुई और इस उद्देश्य से सन् १९२६ के मई-जून मास में देशी राज्यों के कुछ सेवक बम्बई में सर्व-ट ऑफ इण्डिया सोसायटी के भवन में एकत्र हुए। इनमें बड़ौदा के डॉ० सुमन्त महेता, सांगली के प्रो० अभ्यंकर, पूना के श्री पटवर्धन, बम्बई के श्री के. टी. शाह और श्री अमुतलाल सेठ प्रमुख थे। प्रारम्भिक चर्चा के बाद तुरन्त कुछ ही महीनों में एक बड़ा अधिवेशन करने का निश्चय हुआ। कॉम्प्रेस अभी प्रत्यक्ष रूप से देशी राज्यों के प्रश्न को हाथ में नहीं लेना चाहती थी। इसलिए प्रेरणा और मार्ग दर्शन के लिए इन्हें नरम दल का सहारा लैना पड़ा और अगले

साल १९२७ में प्रसिद्ध नरम दली नेता एलोर के प्रसिद्ध नरम दली नेता दीवान बहादुर (जो बाद में सर हो गये थे) एम. रामचन्द्र राव की अधिवेशन में पहला अधिवेशन बड़ी शान और उत्साह से हुआ। अ० भा० देशी राज्य लोक परिषद की विधिवृत्त स्थापना हो गई। उसका उद्देश्य था “उचित और शांति पूर्ण उगायों से रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना।”

इस वर्ष कॉर्ग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हो रहा था। लोक परिषद का एक शिष्ट-मण्डल कॉर्ग्रेस के सभापति से मिला और उसने कॉर्ग्रेस का ध्यान विशेष रूप से देशी राज्यों की ओर दिलाया। मद्रास के अधिवेशन में कॉर्ग्रेस ने कहा—“कॉर्ग्रेस की यह जोरदार राय है कि रियासती जनता तथा नरेश दोनों के हित की दृष्टि से राजाओं को अपने अपने राज्यों में शीघ्र ही प्रातिनिधिक धांरासभायें एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना कर देनी चाहिए।”

इन तगाम हलचलों से नरेशों में फिर एक भय की लहर दौड़ गई। अपने अपने राज्यों में सभूर्ण सत्ता मिलने के लिए वे चिल्हाहट मचाने लगे। इन्हीं दिनों काठियावाड़ के कुछ बन्दरगाहों को सुधारने का प्रश्न भारत सरकार ने उठाया था। और इसमें उसने जो रख अखत्यार किया था उस पर बहुत से नरेश बड़े अंग्र हो रहे थे। उन्होंने चाहा कि उनकी सत्ताओं पर इस तरह भारत सरकार आक्रमण न कर और उनके साथ सन्धियों के अनुसार व्यवहार हो। नरेशों और भारत सरकार के बीच वास्तव में क्या सम्बन्ध हो इसकी जाँच करने की उन्होंने जोरदार मार्ग भी की। इस पर बटलर कमिटी की नियुक्ति हुई। पर इसमें किस तरह उन्हें लेने के देने पड़ गये इसका निरीक्षण हम पीछे कर ही चुके हैं। बटलर कमिटी की जाँच के दिनों में एक शिष्ट-मण्डल लोक परिषद् की तरफ से भी इंग्लैंड गया था और उसने इंग्लैंड की जनता के सामने रियासती जनता के प्रश्न को रखते तथा उसका ठीक ठीक परिचय देने का महत्वपूर्ण काम वहाँ किया। इस शिष्ट मंडल में स्व. प्रो. अम्यंकर तथा श्री पोपटलाल चुडगर थे।

अगले वर्ष कॉग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। बारडोली की विजय से देश में चारों तरफ आशा और आत्मविश्वास का वातावरण फैल गया था केवल टीकायें करने के बजाय अपने भावी स्वराज्य की कोई निश्चित योजना पेश करनो चाहिए इस तरह की माँग के जबाब में पं. मोतीलाल नेहरू के संशोजकत्व में एक कमिटी की नियुक्ति हुई थी। इस कमिटी ने कलकत्ता के अधिवेशन में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। देशी राज्यों के सम्बन्ध में इस रिपोर्ट में लिखा था—

“नई संघ सरकार देशीराज्यों पर और उनके प्रति उन्हीं अधिकारों और जिम्मेदारियों का पालन करेगी जो वर्तमान भारत सरकार सुलहामों के अनुसार तथा अन्य प्रकार से उनके प्रति आज कर रही है।

कमिटी का आशय यह था कि भारतीय पार्लियामेंट में उनके जिम्मेदार देश भ.ई होंगे। नरेशों को विश्वास करना चाहिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्यों को उनके अधिकारों, शान और प्रतिष्ठा वगैरा का जितना ख्याल और आत्मीयता हो सकती है उससे कम तो उनके इन देश भाइयों को नहीं होगी।

पर अपने कलकत्ता अधिवेशन में कॉग्रेस ने जनता के अधिकारों के विषय में सफ साफ रह दिया कि “नरेशों को चाहिए कींवे अपने प्रजाजनों को प्रातिनिधिक उत्तरदायी शासन प्रदान कर दें और तुरन्त ऐसी धोषणायें कर दें या इस आशय के कानून राज्यों में जारी कर दें कि जिससे जनता को भाषण, सुदृग, संगठन और अपनी जान माल की सुरक्षा सम्बन्धी नागरिक स्वाधीनता के अधिकार मिल जावें।” इसी प्रस्ताव में कॉग्रेस ने रियासती जनता को यह भी आश्वासन दिया कि उत्तरदायी शासन की प्रसिद्धि के लिए वह जो जो भी उचित और शान्तिमय प्रयत्न करेगी उसमें कॉग्रेस की पूरी सहानुभूति और समर्थन रहेगा। (—assures the people of Indian states of its

sympathy with and support to their legitimate struggle for the attainment of full responsible Government in states) इसी अधिवेशन में कॉम्प्रेस विधान की धारा द के नीचे लिखे शब्द पं. जवाहरलाल नेहरू के आग्रह से हटा दिये गये—“मंतदाताओं में रियासती जनता को शामिज़ करने का अर्थ यह नहीं कि कॉम्प्रेस रियासतों के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप करेगी।” सन १९२६ के लाहौर अधिवेशन में जब कि कॉम्प्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य को अपनाया था कॉम्प्रेस ने नरेशों से फिर कहा कि अब देशी राज्यों में भी जिम्मेदाराना हुक्मरूप स्थापित करने का समय आ गया है।

इन्हीं दिनों पटियाला से ख्रियों के उड़ाये जाने, बलात्कार, और भयंकर हत्याओं के रोंगटे खड़े करने वाले समाचार आये। यह खबर थी कि महाराजा पटियाला ने किसी अमरसिंह नामक आदमी की औरत को उड़ाया और अपनी पाशविक विषय लालसा को तृप्त करने के लिए हत्यायें तक करवाई। लोक परिषद को यह उनित मालूम हुआ कि वह इस मामले को हाथों में ले और उसने निष्पक्ष जांच की माँग की। पर नरेश और खासकर पटियाला नरेश भारत सरकार के प्रीतिपात्र थे। इसलिए वह उनका बचाव करना चाहती थी। बार बार माँग करने पर भी जब कोई नतीजा नहीं निकला तब परिषद ने अपनी तरफ से स्वतन्त्र जांच करने का निश्चय किया और इसके लिए परिषद स्व. श्री सी. वाई चिन्तामणि की अध्यक्षता में हुए अपने दूसरे अधिवेशन में एक कमिटी नियुक्त कर दी। इस कमिटी में खुद श्री चिन्तामणि के अलावा प्रो. अभ्यंकर, श्री अमृतलालसेठ, श्री ठकर बप्पा, श्री लक्ष्मीदास तेरसी थे। कमिटी ने बड़े परिश्रम से पंजाब में घूम घूमकर सबूत एकत्र किया और अपनी रिपोर्ट “पटियाला हन्डायवटमेंट” के नाम से प्रकाशित की। इस रिपोर्ट ने नरेश वर्ग में तहलका मचा दिया। और दुनिया के सामने प्रकट कर दिया कि देशी राज्यों में नरेश कैसे कैसे घृणित पाप करते

रहते हैं और किस तरह अपनी प्रजा को तबाह करते रहते हैं। और आश्चर्य यह कि इन फुलकन रियासतों के पोलिटिकल एजन्ट ने भी उस औरत को उड़ाने में महाराजा पटियाला की सहायता की है। क्या देशी राज्य और क्या प्रान्त समस्त देश की जनता का दिल दहल गया और उसने अपने दिल में फँका निश्चय कर लिया कि इस अन्धेरशाही का श्रंत तो करना ही होगा। परन्तु अभी कॉग्रेस खुद रियासतों में प्रत्यक्ष कोई काम करने के पक्ष में नहीं थी। और न रियासतों की जनता में इतनी ताकत आई थी कि वह खुद अपने बल पर वहाँ कुछ करती। अतः अभी तो देशी राज्यों में चल रहे अन्यायों को दूर करने का एक-मात्र उपाय यही था कि देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत दोनों जगह के निवासी मिलकर नरेश जिस सत्ता के बूते पर यह सब जुल्म अधेर करते थे उसकी कमर तोड़ें। तदनुसार देशी राज्यों की जनता ब्रिटिश भारत के आन्दोलन में और भी उत्साह के साथ भाग लेकर उसे बलवान बनाने में योग देने लगी।

इस बीच शासन-सुधार के सम्बन्ध में भारत की परिस्थिति का निरीक्षण करके रिपोर्ट करने के लिए साथमन कमीशन आया। उसका सर्वत्र बहिष्कार हुआ। उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। पर उसे सारे देश में स.वर्जनिक रूप से जलाया गया। सन् १९२८ के कलकत्ता अधिवेशन में कॉग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को सामने रखकर सरकार को यह चेतावनी दी थी कि एक साल में इसमें पेश की गई मांग को सरकार मनजूर कर लेगी तब तो उसे औपनिवेशिक स्वराज्य मनजूर होगा वरना एक साल बाद वह पूर्ण स्वतंत्रता के ध्येय की घोषणा कर देगी और अपने मार्ग पर अग्रसर होगी। तदनुसार लाहोर के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता को ध्येय बनाकर २६ जनवरी १९३० को सारे देश में स्वाधीनता दिवस अपूर्व उत्साह से मनाया गया। और इस वर्ष के मध्य में संघर्ष भी छिड़ गया। इधर इस बढ़ते हुए असन्तोष का उपाय ढूँढ़ने की गरज से सरकार ने लन्दन में

हिन्दुस्तान के लिए एक शासन-विधान तैयार करने की गरज से एक गोले मेज परिषद का आयोजन किया। इसके सदस्यों का खुनाव, संगठन और कार्य-प्रणाली सब साम्राज्यशाही ढंग की थी।

ब्रिटिश भारत से लोक प्रतिनिधियों की जगह अपने मन के खुशामदी और नरमदली लोगों को नामजद करके वहाँ बुलाया गया था। रियासतों से भी जनता के प्रतिनिधियों को नहीं, नरेशों को निमन्त्रित कर लिया गया था। कांग्रेस ने ऐसी परिषद में जाने से साफ इन्कार कर दिया। और जहाँ कांग्रेस न हो ऐसी परिषद क्या सफल होती? इधर देशभाषी संघर्ष छिड़ा, सारे देश भर में कानून भंग की लहर फैली धड़ाधड़ गिरफ्तारियाँ होने लगी लोग हजारों की संख्या में जेल में रखे जाने लगे और उधर लन्दन में गोल मेज परिषद का नाटक चल रहा था। रियासतों की जनता भी इस संघर्ष में कूद पड़ी और उसने अपनी शक्ति भर इसमें योग दिया। आखिर सरकार भी समझी कि ऐसी परिषदों से काम न चलेगा, जैसे तैसे उस नाटक को पूरा किया, कांग्रेस के तमाम नेताओं को छोड़ा, समझौता किया और दूसरी गोल मेज परिषद की योजना की। इस परिषद में कांग्रेस की तरफ से महात्माजी एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में भेजे गये थे। इसमें भी रियासती जनता को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। अतः लोकपरिषद का एक शिष्ठ मण्डल महात्माजी से जाकर मिला और उनसे प्रार्थना की कि वे रियासती जनता के पक्ष को भी परिषद में पेश करें। महात्माजी ने कहा ‘मैं पूरे बल के साथ आपके पक्ष को पेश करूंगा पर आप यह अपेक्षा न करें कि रियासतों के प्रश्न पर नातचीत को मैं तोड़ दूँ।’

इसी मौके पर मॉर्डन रिव्यू के प्रसिद्ध संगादक श्रीरामानन्द चटर्जी के सभापतित्व में परिषद का तीसरा अधिवेशन बम्बई में जल्दी जल्दी में यह विचार करने के लिए निमन्त्रित किया गया कि गोलमेज परिषद में रियासती जनता की आवाज पहुँचाने के लिए परिषद को क्या उपाय

करना चाहिए। आखिर यह तय हुआ कि महात्माजी की सहायता करने के लिये प्रो० अम्ब्यंकर और श्रीअमृतलाल सेठ का एक शिष्ट मण्डल इंगलैंड भेज दिया जाय। रियासतों की जनता का शासन में परिणाम-जनक हाथ हो इस दृष्टि से शिष्ट मण्डल को परिषद में कोई सफलता नहीं मिली। परन्तु जहाँ तक इंगलैंड के लोकमत को जागृत करने का प्रश्न था इसने खूब अच्छा काम किया। दीवान बहादुर रामचंद्र राव भी परिषद के सदस्यों में से थे। उन्होंने भी शिष्ट मण्डल की बड़ी कीमती सहायता की।

पूज्य महात्माजी ने इस परिषद में रियासती जनता की तरफ से बोलते हुए नरेशों से कहा—

“चूँकि मैं जनता का सेवक हूँ और समाज के निम्नतम अंगों का भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ इसलिए, मैं नरेशों से आग्रहपूर्वक कहूँगा कि इस विधान समिति की मंजूरी के लिए जो भी योजना आप सब बनावें उसमें इनके लिए भी जरूर स्थान रखें। अगर नरेश इतना भी मंजूर कर लें कि सारे भारत में प्रजाजनों के कुछ मौलिक अधिकार होंगे—फिर वे जो कुछ भी हों, और इनका ठीक तरह ने पालन हो रहा है या नहीं इसकी जाँच करने का अधिकार न्यायालयों को दे दिया जाय, ये न्यायालय भी भले ही नरेशों के बनाए हुए हों और एक तीसरी बात—नरेश शासन में प्रजाजनों का प्रतिनिधित्व स्वीकार लें चाहे वह प्राथमिक ढंग का हो, तो मेरा ख्याल है यह कहा जा सकेगा कि प्रजाजनों को संतोष दिलाने के लिए नरेशों ने कुछ किया।”

इस उद्धरण में हम देखते हैं कि महात्माजी कितनी सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। रियासतों के प्रश्न पर अभी अधिक जोर देने के पक्ष में वे नहीं थे। उनके विचार और कांग्रेस की स्थिति बाद को श्रीनरसिंह चिन्तामणि केलकर के लिये पत्र से और भी स्पष्ट हो जाती है। जिसमें

उन्होंने लिखा है कि “रियासतों के सम्बन्ध में कांग्रेस अ-हस्तक्षेप की जिस नीति का अवलम्बन कर रही है, उसमें बड़ी समझदारी है।”

“ब्रिटिश भारत के नाम से पहचाने जानेवाले हिस्सों को रियासतों की नीति के निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है।—ठीक उसी तरह जिस प्रकार कि हम अफगानिस्तान और सीलोन के विषय में कुछ नहीं कर सकते। मैं बहुत चाहता हूँ कि ऐसा न होता तो बहुत अच्छा होता। पर मैं विवश हूँ। हम रियासतों में कांग्रेस के सदस्य बनाते हैं उससे हमें काफी सहायता भी मिलती है। फिर भी हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम उनकी कद्र नहीं करते बल्कि इसमें हमारी बेवसी है।”

पर मेरा यह मत है कि (ब्रिटिश) भारत में हम जो सफलता हासिल करेंगे उसका असर रियासतों पर भी अवश्य पड़ने वाला है। (जुलाई १९३४)

सन् १९३५ के अप्रैल मास में जबलपुर में कांग्रेस की महासमिति (A. I. C. C.) की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस किस प्रकार धीरे धीरे, पर सावधानी के साथ रियासती जनता के पक्ष को बल पहुँचाने में आगे बढ़ती जाती थी। इस प्रस्ताव में कहा गया था “कांग्रेस को देशी राज्यों के प्रजाजनों के हितों की भी उतनी ही चिन्ता है, जितनी ब्रिटिश भारत के निवासियों के हितों की ओर वह रियासती जनता को आश्वासन देती है कि वह अपनी आजादी के लिये जो लड़ाई लड़ेगी, उसमें कांग्रेस की पूरी सहायता रहेगी।”

इसी वर्ष के अक्टूबर मास में महासमिति की सजाह से कांग्रेस की केन्द्रीय कार्यसमिति ने नीचे लिखे आशय का वक्तव्य प्रकाशित किया था “रियासती जनता भी स्वराज्य पाने की उतनी ही हकदार है जितनी कि ब्रिटिश भारत की जनता। तदनुसार कांग्रेस ने अपनी इच्छा की घोषणा

भी कर दी हैं कि वह रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना देखना चाहती है। और उसने नरेशों से यह अनुरोध भी किया है।”

“कॉम्प्रेस अपनी नीति पर ढढ़ है। वह समझती है और स्वयं राजाओं का भी भला इसी में है कि वे अपने राज्यों में शीघ्रातिशीघ्र उत्तरदायी शासन कायम कर दें। जिससे उनके प्रजाजनों को नागरिकता के पूर्ण अधिकार मिल जावें।”

अपनी मर्यादा को प्रकट करते हुए कॉम्प्रेस ने इसी वक्तव्य में आगे कहा है कि यह बात समझ लेने की है कि उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष जारी रखने का भार खुद देशी राज्यों के प्रजाजनों को ही उठाना है। कॉम्प्रेस तो राज्यों पर नैतिक और मैत्री पूर्ण प्रभाव ही डाल सकती है। और जहाँ कहीं भी संभव होगा यह प्रभाव वह अवश्य डालेगी। परन्तु वर्तमान परिस्थिति में कॉम्प्रेस के पास कोई सत्ता नहीं है, यद्यपि भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से सारे भारतवासी—चाहे वे अंगरेजों के आधीन हों या देशी नरेशों के या अन्य किसी सत्ता के—सब एक हैं। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता।”

इसी मौके पर संघ योजना के सम्बन्ध में कॉम्प्रेस ने देशी राज्यों के प्रजाजनों को यह भी अश्वासन दिया कि नरेशों का सद्योग प्राप्त करने के लिए अपनी अन्तिम योजना में कॉम्प्रेस प्रजाजनों के हितों का बलि कदापि नहीं होने देगी। “असल में कॉम्प्रेस शुरू से ही असंदिग्ध रूप से जनता के हितों की समर्थक रही है। और जहाँ इनके खिलाफ दूसरे स्वार्थ खड़े होंगे, कॉम्प्रेस जनता के न्याय-हितों का अवश्य समर्थन करेगी।”

इस बीच लोक परिषद के दो और अधिवेशन महाराष्ट्र के नेता श्री नरसिंह चिन्तामणि केलकर और मद्रास के प्रसिद्ध समाज सुधारक श्री नठराजन की अध्यक्षता में हो गये। शुरू से लेकर इन पाँचों अधि-

वेशनों में परिषद ने अधिकांश में प्रारम्भिक काम ही किया। वास्तव में परिषद के अन्दर सच्चा प्राण-संचार तो उसके कराची अधिवेशन से ही हुआ जब कि उसके समाप्ति डॉ० पट्टामिसीतारामैय्या हुए। रियासती जनता के प्रश्नों में दिलचस्पी लेकर उन्होंने जितने जोर और वेग के साथ काम किया उतना अब तक किसी अध्यक्ष के कार्यकाल में नहीं हुआ था। राजपूताना, काठियावाड़ और दक्षिण भारत में उन्होंने लम्बे दौरे किये और रियासती जनता को खूब बल पहुँचाया। डॉक्टर सा. कॉग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति के भी सदस्य थे, परिषद में उनके शारीक होने से परिषद का कॉग्रेस के साथ भी अनायास घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया। सन् १९३६ के लखनऊ अधिवेशन में और १९३७ के फैजपुर अधिवेशन में देशी राज्यों में नागरिक स्वाधीनता की दुरवस्था पर दुख प्रकट करते हुए कहा गया था—“क्या देशी राज्य और क्या ब्रिटिश भारत कॉग्रेस चाहती है कि सबको संपूर्ण नागरिक स्वाधीनता प्राप्त हो। और जब तक यह नहीं मिल जाती वह बराबर आगे बढ़ती रहेगी। परन्तु कॉग्रेस महसूस करती है कि इसके लिए सबसे जरूरी चीज राजनैतिक आजादी ही है। इसलिए उसकी प्राप्ति में देश को अपनी सारी ताकत बटोर कर लगा देनी चाहिए।”

रियासती जनता के प्रश्नों में कॉग्रेस की बढ़ती हुई दिलचस्पी के साथ साथ उसकी भाषा भी रियासतों के विषय में अधिक आत्मीयता भरी और तेजस्वी होती गई। सन् १९३७ में मैसोर के दमन का कड़ा निपेध करते हुए महासमिति के एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश भारत तथा रियासतों की जनता से मैसोर निवासियों की सहायता करने की शपील की। महात्माजी की राय में इस प्रस्ताव में कॉग्रेस की अ-हस्तक्षेप की नीति का अतिक्रमण हो रहा था। रियासती कार्यकर्त्ताओं में इस पर खूब चर्चा चलती रही। उन्हें कॉग्रेस की यह अतिसावधानी की नीति कुछ अच्छी नहीं लगी आखिर इतना परहेज क्यों? इसलिए अपने नवसारी कन्वेन्शन

मैं रियासती कार्यकर्ताओं ने कॉर्प्रेस से श्रीपील की किंवद्धि विभासतों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदले, और रियासती जनता को बल पहुँचावे। सन् १९३८ में हरिपुरा के अधिवेशन में रियासतों सम्बन्धी प्रस्ताव इन्हीं कोशिशों का प्रतिफल था। इसमें कॉर्प्रेस ने अपनी अहस्तक्षेप की नीति को दोहराते हुए भी रियासतों के प्रति अपने रुखों तथा रियासतों सहित समस्त भारत की स्वतन्त्रता के लिये यत्न करने का जितनी साफ तरह से ऐलान किया है उतना पहले कभी नहीं किया था परन्तु साथ ही रियासतों के उद्धार का भार कॉर्प्रेस ने स्वयं रियासती जनता पर ही डाल दिया और कह दिया वह जो कुछ भी कार्य या संघर्ष वर्गैरा करे अपने बलपर ही करे। स्थानीय प्रजामण्डल जैसी संस्थाओं के द्वारा करे। कॉर्प्रेस के नाम प्रतिष्ठा वर्गैरा का उपयोग न करे। पूरा प्रस्ताव यों है—

“नूँकि रियासतों में सार्वजनिक जीवन का विकास और आजादी की माँग बढ़ती जा रही है, वहाँ नई समस्या खड़ी हो रही है और नये नये संघर्ष भी निर्माण हो रहे हैं इसलिये कॉर्प्रेस रियासतों के सम्बन्ध में अपनी नीति को पुनः स्पष्ट कर देना चाहती है .”

“कॉर्प्रेस रियासतों को हिन्दुस्तान का ही एक अंग मानती है जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। अतः शेष भारत में जिस प्रकार की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वाधीनता वह चाहती है वही रियासतों में भी हो, ऐसा उसका यत्न है। पूर्ण स्वराज अर्थात् सम्पूर्ण स्वाधीनता कॉर्प्रेस का ध्येय है। यह रियासतों सहित सम्पूर्ण भारत के के लिए है। क्योंकि जो एकता गुलामी में कायम रही है उसे आजाद होने पर भी अवश्य ही रक्खा जाना चाहिए। कॉर्प्रेस तो केवल ऐसे ही संघ (शासन विधान) को मंजूर कर सकती है जिसमें रियासतें स्वतन्त्र इकाइयों के रूप में शारीक हो सकेंगी। और जिसमें वे भी उसी जनतान्त्रिक स्वाधीनता का उपयोग करेंगी, जो शेष भारत में होगी। इसलिए कॉर्प्रेस देशी राज्यों में पूर्ण उत्तरदात्री शासन तथा नागरिक स्वाधीनता की

गैरणी चाहती है। और आज कई रियासतें जो पिछ़ी हुई हैं तथा उनमें नागरिक स्वाधीनता को दबाया जा रहा है, एवं स्वाधीनता का संपूर्ण अभाव है, इस पर कॉर्प्रेस को अत्यन्त दुःख है।

“रियासतों के अन्दर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यत्न करना कॉर्प्रेस अपना अधिकार और गैरव समझती है परन्तु आज रियासतों के भीतर इस उद्देश की पूर्ति के लिए वह परिणामजनक काम नहीं कर सकती। रियासतों के शासकों ने या उनके पीछे काम करने वाली अंग्रेजी हुक्मत ने अनेक कैद और बन्दिशों कायम कर दी हैं जो कॉर्प्रेस के लिये वहाँ काम करने में बाधक हो रही हैं। और उसके नाम तथा प्रतिष्ठा के कारण रियासतों के प्रजाजनों में जो आशायें और आश्वासन पैदा हो जाते हैं, उनकी पूर्ति न होते देख उनमें निराशा होती है। कॉर्प्रेस की प्रतिष्ठा को भी यह शोभा नहीं देता कि वह रियासतों में ऐसी कमिटियाँ कायम करें जो अच्छी तरह काम न कर सकें। वह यह भी नहीं चाहती कि वहाँ राष्ट्रीय भरणे का अपमान हो। और एक बार आशायें पैदा कर देने पर अगर कॉर्प्रेस ठीक तरह से रक्षा या सहायता न कर सके तो रियासती जनता के अन्दर एक प्रकार की वेवसी फैलती है और इससे उनकी स्वाधीनता को लड़ाई के विकास में बाधा पहुँचती है।

“चूंकि रियासतों और शेष भारत की स्थिति अलग अलग है, इसलिए कॉर्प्रेस की सर्वसाधारण नीति रियासतों के लिए आम तौर पर मौजूद नहीं होती। वह शायद रियासतों की स्वाधीनता की हलचल के स्वाभाविक विकास के लिए बाधक भी हो। वहाँ की जनता में स्वावलंबन पैदा करते हुए स्थानीय परिस्थिति को भली प्रकार ध्यान में रख कर तथा बाहरी सहायता अथवा कॉर्प्रेस के बड़े नाम पर दारोमदार रखकर कोई काम करने के बजाय ऐसी हलचलें खुद रियासत की जनता के बल-बूते पर खड़ी हों, और आगे बढ़ें तो उनका विस्तार भी खूब व्यापक होगा। कॉर्प्रेस चाहती है कि ऐसी हलचलें हों। परन्तु स्वभावतः और आज की

परिस्थिति में रियासतों में स्वाधीनता की लड़ाई का भार वहाँ के प्रजाजनों, की ही उठाना चाहिए। कॉम्प्रेस की शुभ कामनायें और समर्थन ऐसे, शान्तिपूर्वक और उचित तरीकों पर चलाये जाने वाले संघर्षों को सदा, मिलते रहेंगे। परन्तु कॉम्प्रेस-संगठन की यह सहायता मौजूदा परिस्थिति में केवल नैतिक समर्थन और सहानुभूति के रूप में ही होगी। हाँ, कॉम्प्रेस-जनों को यह आजादी रहेगी कि वे खुद व्यक्ति-गत रूप से इससे अधिक सहायता भी करें। इस तरह कॉम्प्रेस के संगठन को बगैर उलझाते हुए और साथ ही बाहरी बातों या परिस्थितियों के ख्याल से न रुकते हुए भी रियासतों जनता की लड़ाई आगे कदम बढ़ाती जा सकती है।

“इसलिए कॉम्प्रेस आदेश करती है कि फिलहाल, रियासती कॉम्प्रेस की समितियाँ कॉम्प्रेस की केन्द्रीय कार्यसमिति के मार्ग-दर्शन और नियन्त्रण में ही काम करेंगी। कॉम्प्रेस के नाम अथवा तत्वावधान में न तो पालियामेटरी काम करेंगी और न सीधे संघर्ष को उठावेंगी। राज्य की जनता की कोई भीतरी लड़ाई कॉम्प्रेस के नाम से नहीं उठाई जानी चाहिए। इसके लिए राज्यों में स्वतन्त्र संगठन खड़े किए जावें। और अगर पहले ही से हों तो उनको जारी रखना चाहिए।

“कॉम्प्रेस रियासती जनता को यह आश्वासन देना चाहती है कि वह उनके साथ है और स्वाधीनता के लिए चलाई जाने वाली उनकी लड़ाई में उसकी पूरी सहानुभूति और सक्रियतथा सावधान दिलचस्पी है। कॉम्प्रेस को विश्वास है कि रियासती जनता की मुक्ति का दिन भी दूर नहीं है।”

इस प्रस्ताव से स्पष्ट है कि—

जहाँ तक देश की एकता, स्वाधीनता की लड़ाई और स्वतन्त्रता के भावी निर्माण से सम्बन्ध है, देशी राज्य और ब्रिटिश भारत में कोई

भेद-भाव काँग्रेस नहीं करती। स्वतन्त्र भारत में जो स्वतन्त्रता ब्रिटिश भारत के प्रजाजनों को होगी वही देशी राज्यों के प्रजाजनों को भी होगी। फर्क सिर्फ यह रहेगा कि देशी राज्यों के अन्दर स्वाधीनता सम्बन्धी राजनैतिक कार्य काँग्रेस द्वारा काँग्रेस के तत्वावधान में या उसके नाम से नहीं होगा। यह काम वहां के प्रजामण्डल करें।

और स्वतन्त्र भारत में देशी राज्यों के अन्दर पूर्ण जिम्मेदाराना हुक्मत होगी और वे भारतीय संघ के ऐसे ही स्वतन्त्र घटक होंगे जैसे कि ब्रिटिश भारत के प्रान्त।

रियासतों के सम्बन्ध में काँग्रेस की नीति को प्रकट करने वाला यही अन्तिम प्रस्ताव है।

इस प्रस्ताव का असर आम तौर पर रियासती जनता पर बड़ा अच्छा पड़ा। वह जान गई कि हमें अपने ही पैरों पर खड़े रहना है और अपनी लड़ाई खुद लड़नी है फलतः १९३८ से राज्यों में जागृति और कियाशीलता की एक अपूर्व लहर आई और अनेक रियासतों में खूब काम हुआ। इनमें से कुछ तो राजनैतिक जागृति और कुरवानी के ख्याल से ब्रिटिश भारत के प्रान्तों की कतार में खड़े होने का दावा करने में इतनी बलवान् बन गई हैं।

कराची अधिवेशन से लेकर कुल्ह वर्ष तक डॉ० पट्टाभिलगातार परिषद का कार्य करते रहे। उनके कार्यकाल में परिषद के दफ्तर 'स्टेट्स पीपल' नामक एक पार्श्वक भी निकलता रहा। जो सन् १९४२ तक चलता रहा। इस बीच डॉ० साहव पर काम का अत्यधिक बोझा आ जाने के कारण परिषद को नये सभापति की चिन्ता हुई, तब परिषद के सभापतित्व के लिए कार्यकर्ताओं की दृष्टि पं० जवाहरलालजी पर पड़ी। पर उन्हें भय था कि वे कहीं इन्कार न कर जावें। इसलिए डरते डरते उन्होंने पंथिङ्गतजी के सामने अपने मन की बात रखवी। पंथिङ्गतजी

ने कुछ भिन्नक के साथ परिषद के अधिवेशन का सभापतित्व करना मंजूर किया पर इस शर्त के साथ कि अगर वह उनके यूरोप से लौटने के बाद हो। कार्यकर्ताओं ने यह खुशी से मंजूर कर लिया। नरेशों में जहाँ पंडितजी सभापति हो रहे हैं यह सुनते ही तहलका मच गया। तद्दृ रियासती जनता के खुशी का पारावार नहीं रहा। उसने सोचा जवाहरलाल देश के प्राण हैं। सारा संसार उनकी आवाज आदर के साथ सुनता है। इसलिए उनका सभापतित्व हमारे लिए बरदान होगा।” अगला अधिवेशन लुधियाना में बड़ी शान से हुआ।

लुधियाना अधिवेशन ने रियासती आनंदोलन में एक नया अध्याय शुरू किया। जनता के लिए जनता का राज्य स्थापित करने के उद्देश्यों का इसमें समर्थन किया गया। और यह साफ बताया गया कि बदली हुई परिस्थिति में छोटी छोटी रियासतों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। इस विषय के प्रस्ताव में बताया गया था कि “आने वाले संघ-शासन में वे ही रियासतें या उनके संघ स्वतंत्र इकाई के रूप में सुधरे हुए शासन की सुविधाये अपने प्रजाजनों को दे सकेंगे जिनकी आवादी कम से कम २० लाख और आय पचास लाख रुपये होंगी। जो राज्य इस शर्त का पालन नहीं कर सकते उन्हें एक एक करके या मिला कर पढ़ोस के प्रान्त में जोड़ दिया जाय।” इस सिद्धान्त को आमे चल कर सरकार ने भी अपनी “मर्जर स्कीम में” अपना लिया। पर इसके अमल में चालाकी से काम लिया गया। छोटी छोटी रियासतों को प्रान्त में मिलाने की अपेक्षा अपने साम्राज्य के स्तंभ रूप बड़ी रियासतों को मजबूत करने के लिए उनमें मिला दिया गया। और यह करते हुए जनता की राय तक जानने की कोशिश नहीं की गई। एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा परिषद ने उन सन्धियों और सुलहनामों को मानने से हृत्कार कर दिया, जो दो पक्षों के बीच अपने स्वार्थों के लिये हुई थीं पर जिनकी वे बड़ी दुहाइयों दिया करते थे और ठेठ समाट से अपना सम्बन्ध बताते थे। लुधियाना के अधिवेशन के

बाद परिषद के केन्द्रीय दफ्तर का भी पुनः संगठन करके उसमें एक संशोधन और प्रकाशन विभाग जोड़ कर उसे इलाहाबाद ले जाया गया।

इस प्रकार प० जवाहरलालजी के नेतृत्व में परिषद जोर के साथ अपने कदम बढ़ाते हुए जा रही थी कि सन् १९३६ में एकाएक दूसरा महायुद्ध छिड़ गया। और सरकार ने प्रांतीय मन्त्रमण्डलों से बगैर सलाह लिये ही हिन्दुस्तान को युद्ध में शामिल कर लेने की घोषणा कर दी। कॉर्झेस ने इस मनमानी का जोर के साथ विरोध किया और सरकार से युद्ध के उद्देश्यों को साफ करने के लिए कहा। परिषद ने भी नरेशों के द्वारा रियासतों के लक्ष्याई में घसीटे जाने पर इसका विरोध किया। हधर कॉर्झेसी मन्त्र मण्डल त्याग पत्र देकर आलग हो गये और युद्ध और भी भीषण रूप धारण करने लगा। हिन्दुस्तान पर आक्रमण का खतरा भी बढ़ गया। साम्राज्य महा संकट में आ गया तब एक योजना लेकर सर स्टॉफर्ड क्रिप्स भारत आये। इनके प्रस्तावों में रियासतों का जिक्र तो था पर रियासती जनता का कहीं पता नहीं था। दिल्ली में उस समय नई परिस्थितियों पर विचार करने के लिए स्टॉरिंगा कमिटी की बैठक बुलाई गई। डॉ० पद्मभिं सीतारामैया क्रिप्स से बातचीत करने के लिए चुने गये। मुलाकात में सर स्टॉफर्ड ने प्रस्तावों में कोई फेर बदल करने में अपनी असमर्थता जाहिर कर दी और रियासती जनता के प्रतिनिधियों का विधान परिषद में शामिल करने के प्रश्न पर विचार करने से भी इन्कार कर दिया। पर क्रिप्स के प्रस्ताव के बल रियासती प्रजाजनों के लिए ही नहीं देश के सभी दलों के लिए असन्तोष जनक रहे और सभी ने उनको दुकरा दिया। क्रिप्स लौटे और बम्बई में महासमिति के ता० द अगस्त १९४२ के प्रस्ताव के फलस्वरूप सारे देश में एक जनरलस्ट टूफान फैल गया। महासमिति की बैठक के अवसर पर देशी राज्यों के कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया था। और आनंद वाले “भारत छोड़ो” संघर्ष में उन्हें भी सम्मिलित होने के लिए निमन्त्रित किया गया था। यह तथ्य हुआ था कि

ये कार्यकर्ता अपने अपने राज्यों में पहुँचने पर प्रजा मण्डल के द्वारा नरेशों से कहें कि वे अंग्रेजी हुकूमत से अपना सम्बन्ध तोड़ कर प्रजा को फौरन उत्तरदायी शासन दे दें। अगर वे यह मंजूर करें जिसकी बहुत कम सम्भाषना थी—तो ठीक अन्यथा वे भी ब्रिटिश भारत के समान संघर्ष छेड़ दें। तदनुसार ता० ६ को पू० महात्माजी कार्यसमिति के सदस्य तथा देश के अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद देशी राज्यों के कार्यकर्ताओं ने भी उपयुक्त आदेशों का पालन किया और अनेक रियासतों में भी जबरदस्त संघर्ष छिड़ गया। सारे देश में खुली बगावत फैल गई इतनी बड़ी, उम्र और देशव्यापी बगावत पहले कभी नहीं हुई थी। दमन भी अभूतपूर्व हुआ। गाँव के गाँव वीरान हो गये। पर कई जिलों में से विदेशी हुकूमत एक दम उठ गई। जनता ने असंख्य कष्ट बहादुरी से सहे और नेताओं के न रहने पर भी खुद अपनी बुद्धि से जिस ब्रह्म सूझा जल्मों का छट कर प्रतिकार किया। अंत में तूफान शान्त हुआ। महायुद्ध भी समाप्त हुआ और महात्माजी तथा कार्यसमिति के सदस्यों की रिहाई के साथ फिर आजादी की लड़ाई शुरू हुई। पं० जवाहरलालजी ने सारे देश में घूम घूम कर प्रत्येक प्रान्त का निरीक्षण किया और देखा कि आजादी की आग पहले से कहीं अधिक प्रज्ज्वलित है। देश अधीर हो रहा था। इसी मौके पर आजाद हिन्द फौज का मामला शुरू हो गया जिसने सारे देश में विजली का संचार कर दिया और अंग्रेजों को इस बात का निश्चय करा दिया कि अब तो फौज भी उनके हाथ से निकल गई और यह कि हिन्दुस्तान में अब उनके लिए हुकूमत करना असम्भव है। सारा बातावरण एक दम बदल गया।

इसी बातावरण में पिछले वर्ष राजपूताने की कड़कड़ाती सरदी में दिसम्बर में देशी राज्य लोक परिषद का आठवाँ अधिवेशन हुआ। सभा पति फिर पं० जवाहरलाल ही चुने गये थे। अधिवेशन पहली बार एक देशी राज्य में हो रहा था। फिर भी उसकी शान को देख कर यही मालूम हो रहा था मानों कांग्रेस का खुला अधिवेशन है।

उदयपुर अधिवेशन

इस अधिवेशन के साथ जैसा कि शायद पंडित जवाहरलालजी ने कहा था परिषद ने बालिंग अवस्था में प्रवेश किया। देश की लगभग १०० प्रमुख रियासती संगठनों के ४०० से ऊपर प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, जिनकी सदस्य संख्या दस लाख से ऊपर थी। आवादी के हिसाब से इन रियासतों में समस्त रियासती जनता की करीब ६२ प्रतिशत के करीब आवादी आ जाती है। इस प्रकार उदयपुर अधिवेशन ने लोक परिषद को रियासती जनता का सबसे अधिक शक्तिशाली और एक ग्राम अधिकारी संगठन बना दिया। नरेन्द्र मण्डल का रियासतों के एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा इस पर से कितना झूठ और हास्यस्पद है यह अपने आप प्रकट हो जाता है। अध्यक्षीय भाषण में पंडित जवाहरलालजी ने व्यापक अन्तरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से रियासतों के प्रश्न पर नवीन प्रकार से रोशनी ढाली थी। क्योंकि रियासतें भारतवर्ष का एक हिस्सा है और खुद भारतवर्ष संसार के विशाल परिवार का एक हिस्सा है। अब तक तथा गत संघर्ष में भी रियासती जनता समय के साथ बराबर बढ़ती हुई आई इस पर हर्ष प्रकट करते हुए आधार्दी; नरेशों द्वारा सौ वर्ष पहले की सन्धियों तथा सुलहनामों के आधार पर उनके अधिकारों के रक्षण के सम्बन्ध में उठाई जाने वाली पुकार को उन्होंने हास्यस्पद बताया और यह साफ कह दिया कि नरेशों को आने वाले परिवर्तनों के अनुकूल अपने आप को बनाना ही होगा। नई अवस्था में रियासतों के स्थान का जिक्र करते हुए पंडितजी ने लुभियाना वाले प्रस्ताव का उल्लेख किया और कहा इस सम्बन्ध में हमारे सामने सबसे प्रमुख ख्याल जनता का कल्याण होगा। इसे छोड़ कर दूसरी तमाम बातें गौण होंगी। जनता के कल्याण से हमारा मतलब है—

१ राजनैतिक स्वतन्त्रता

२ प्रातिनिधिक शासन-तंत्र

६ मौलिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता की गैरणी

४ स्वतंत्र न्याय प्रणाली

५ आर्थिक स्वतन्त्रता और

६ मनुष्य के विकास में आधार्ये होलने वाले सामन्तशाही आथवा अन्य सभी प्रकार के बन्धनों और बोझों से मुक्ति ।

वर्णोंकि जिस भविष्य को हमारी तस्वीर प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार होंगे और सबको अपनी तरकी के लिए भी अवसर भी समान ही होंगे ।

रियासतों के संधीकरण में उन्हें दूसरी बड़ी रियासतों के साथ नहीं चलिक प्रान्तों से मिलाने पर जोर दिया । हैदराबाद की स्थिति पर अफसोस प्रकट किया । औंध की सराहना की । विधान परिषद में प्रजा के ही चुने हुए प्रतिनिधि लेने पर तथा इनकी चुनाव की पद्धति पूर्णतया जनतन्त्रात्मक होने पर जोर दिया । और नरेशों को अपने भीतरी शासन में भी प्रान्तों के समान परिवर्तन करने की हिदायतें दी ।

अधिवेशन के प्रस्ताव भी लगभग हन्हों विषयों पर थे । मुख्य प्रस्ताव में आने वाले शासन विधान में परिवर्तनों के बारे में कहा गया था कि “वे परिवर्तन तभी स्वीकृत हो सकेंगे जब कि उनका आधार स्वतंत्र भारत के अंगभूत हिस्सों की शब्द में रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन होगा और विधान परिषद के प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रान्तों के समान व्यापक आधार पर चुने हुए होंगे ।” यह भी कहा गया था कि “यदि रियासतों की सरकारों की नीति में कोई परिवर्तन होता हो तो पहले नागरिक स्वतन्त्रताओं को पूरी तरह से मान्य किया जाना चाहिए । जिनके बिना स्वतंत्र चुनावों का होना या आजादी और प्रातिनिधिक शासन की दिशा में कोई भी महत्वपूर्ण प्रगति का होना असंभव है ।”

छोटी बड़ी रियासतों के सम्बन्ध में मुख्य आधार यह बताया कि जनता की सामाजिक और आर्थिक तरक्की आधुनिक दर्जे के अनुकूल हो। लुधियाना वाले प्रस्ताव को भी इसी अर्थ में पढ़ा जाय। जो रियासत या रियासतें इस शर्त को पूरी नहीं कर सकतीं उन्हें पड़ोस के प्रान्त में मिलां दिया जाय और यदि सम्भव हो तो इन्हें सांस्कृतिक या अन्य प्रकार की आवश्यक स्वायत्ता दी जाय। इनके नरेशों के लिए मुनासिब कायदे बना कर उनके व्यक्तिगत सम्मान और स्थिति की रक्षा की जाय।

इण्डोनेशिया का अभिनन्दन और पिछले संघर्ष के शहीदों के सम्मान विषयक प्रस्तावों के अलावा, औंध की ग्राम प्रजातन्त्री पद्धति की सराहना करने वाला भी एक प्रस्ताव था। रियासतों में वसने वाले आदिवासियों के प्रति रियासती सरकारों और समाज के उनकी प्रगति में वाधा दालने वाले रुख पर अफसोस प्रकट करते हुए उनसे अपने ऐसे रुख को बदल कर उनके प्रति सहायक बनने को कहा गया।

एक प्रस्ताव रियासतों के अप्रगतिशील रुख की निन्दा करने वाला भी था।

संगठन को शुद्ध अनुशासन बेढ़ और मजबूत कराने की दृष्टि से स्टैरिंग कमिटी ने इस अधिकेशन में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव किये थे। एक में यह आदेश है कि कम्यूनिस्ट और रायिस्ट पार्टी के सदस्यों को परिषद या परिषद की किसी सम्बद्ध संस्था की कार्यसमिति में अथवा उसके संगठन में किसी चुने हुए पद पर नहीं रखवा जाय। और दूसरे में परिषद के तथा उससे संलग्न तमाम संस्थाओं के सदस्यों को आदेश है कि वे एक दूसरे की या संगठन की किसी कमिटी की राय पर निर्णय की आम समाजों में या अखबारों-पत्रों में सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं करें। बल्कि अपनी बात सम्बन्धित समिति में रखें और अगर वहाँ सुनवाई या उपाय न हो सके तो उससे ऊपर की कमिटी में अपनी बात भेजें।

नरेन्द्र मण्डल की घोषणा

आसल में सन् १९४५ में जब मे कार्यसमिति के सदस्य रिहा हुए देश का बातावरण वड़ी तेजी से बदलता जा रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सारे देश में घूम कर मानों विजली का संचार कर दिया। जब तक वे देशीराज्य लोकपरिषद के सभापति नहीं हुए थे तब तक उनके विचार बड़े उग्र थे। कभी कभी तो वे यह भी कह जाते कि स्वतन्त्र भारत में नरेशों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। परन्तु लोकपरिषद के सभापति होने के बाद उनकी भाषा सौम्य होने लगी। पहले वे रियासतों में जाना पसन्द नहीं करते थे। पर अब की बार रिहा होने पर काश्मीर, जयपुर, जोधपुर आदि रियासतों में वे गये और वहाँ उनका स्वागत सल्कार भी अच्छा हुआ। उनकी भाषा भी नरेशों के प्रति सौम्य होने लगी। इसका कारण यह नहीं था कि उनके आदर्श या विचारों में कोई अन्तर हो गया। चलिक यह था कि नरेशों को स्वाधीनता के आन्दोलन की तरफ खींचने की उनकी उत्सुकता ने उनके व्यवहार में यह परिवर्तन कर दिया। इसका प्रत्यक्ष परिणाम भी हुआ। नरेश जो अब तक उनसे चौंकते थे उनके नजदीक आने लगे। अपने दिल की बातें करने लगे और रियासतों के आन्दोलनों को भी बल पहुँचा। उदयपुर के अधिवेशन ने तो रियासतों के सारे संकोच को तोड़ दिया। इस अधिवेशन में मेवाड़ की सरकार ने स्वागत समिति की हर तरह से सहायता की। खुद नरेशों के मानस में भी प्रत्यक्ष परिवर्तन होता हुआ दिखाई देने लगा। इसका कारण केवल भारतीय जागृति ही नहीं थी। सांसारिक परिस्थिति के कारण ब्रिटेन की स्थिति बहुत नाजुक हो गई। और खुद उसे भीतर से ऐसा महसूस होने लगा कि अब अगर संसार की एक वड़ी सत्ता के रूप में उसे अपना अस्तित्व कायम रखना है तो साम्राज्य के सभी अंगों के सम्बन्धों में संशोधन करके उनको मित्र बना लेना होगा। इस दिशा में उसने हिन्दुस्तान में भी प्रयत्न जारी कर दिया। औरता० १८ जनवरी १९४६ को

नरेन्द्र मण्डल की जब बैठक हुई तो इसमें वाइसराय ने अपनी नई नीति का स्पष्टीकरण करते हुए नरेशों को आने वाले युग की कुछ अस्पष्ट सी रेखा बताई। और नरेशों से आग्रह किया कि वे इस नये परिवर्तन के लिये अपने आप को तैयार कर लें। अपने भाषण में वाइसराय ने जहाँ नरेशों को आश्वासन दिया कि नरेन्द्र मण्डल की सम्मति लिए बगैर उनकी वर्तमान स्थिति और अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा। वहाँ उनको यह भी आगाह कर दिया कि उन्हें अपने शासनों में समयानुकूल परिवर्तन करने होंगे।

यह घोषणा हो जासे के बाद स्वभावतः लोगों ने यह उम्मीद की थी कि नरेन्द्र मण्डल के चान्सलर और उनके तरेश भाई तुरन्त ही अपने शासनों में इसके अनुकूल सुधार करेंगे। परन्तु आज तक इनके शासनों में कोई अन्तर नहीं हुआ है। वहाँ आज तक ज्यों का ज्यों पहले का सा अन्धकार बता हुआ है। परन्तु कालचक्र बराबर अपनी गति से बढ़ता गया।

ता० १९ जनवरी १९४६ को नरेन्द्र मण्डल के अधिबेशन में मुख्य राजनैतिक प्रत्यावर पेश करते हुए मण्डल के चान्सलर नवाब भोपाल ने नीचे लिखी महत्वपूर्ण घोषणा की:—

१ “पिछले छः वर्षों से संसार पर एक महान अंकद छाया हुआ था। पर जिन ताकतों ने शान्ति को भंग किया उनकी पराजय हुई। युद्ध भी समाप्त हुआ। पर हम अभीष्ट शान्ति और सुख के युग से अब भी दूर हैं। आज भी संसार पर एक प्रकार का भय का आतंक छाया हुआ है। छोटे बड़े सभी राष्ट्र उससे बेचैन हैं। और के एक दूसरे को भय और शंका की दृष्टि से देख रहे हैं। मित्र राष्ट्रों ने हज़ारों और वैमनस्यों को शान्ति-पूर्वक दूर करने का जो साहस भरा यत्न किया है वह प्रशंसनीय है। अगर यह न किया जाता तो ये मतभेद और भक्षणे संसार को ऐसे संकट में झाल देते जिससे उसका निकलना असंभव हो जाता।”

२ परन्तु यह संसार व्यापी महान् संगठन तभी सफल होगा जब उसके सदस्य राष्ट्र और उनके निवासी मानवता की सेवा के लिए न्याय, सहिष्णुता और सहयोग का निःस्वार्थ भाव से आचरण करेंगे। क्योंकि इन गुणों के बगैर कभी कोई राष्ट्र और जातियाँ न तो एक साथ रह सकती हैं और न तरकी कर सकती हैं।

३ यही बात हमारे अपने देश के बारे में भी है। बदकिस्मती से आज मतभेदों और नाइतिकाओं के कारण हम छिन्न-विच्छिन्न हो रहे हैं। पर यहाँ भी मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हीं न्याय, सहिष्णुता और सहयोग के बल पर हम उस लक्ष्य को पहुँच सकेंगे जिसकी आकांक्षा हस देश के राजा से ले कर रंक तक कर रहे हैं। क्या हम मैं ऐसा एक भी मनुष्य है, जो हमारी हस मातृभूमि को स्वतन्त्र, महान् और सारे संसार में आटत नहीं देखना चाहता या यह कि जिस प्रकार प्राचीन काल में मानव जाति को ऊपर उठाने में उसने जो जबरदस्त काम किया वैसा वह श्रव भी न करे ?

अगर हम सब यही चाहते हैं तो आइए हस महान् लक्ष्य को पूरा करने में हम सब लग जावें और इसके लिए आवश्यक त्याग करने को तैयार हो जावें। हम यह याद रखें कि लेने के बजाय देने में अधिक आनन्द है।

यह जो प्रस्ताव मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसमें बताया गया है कि हम भी भारतवर्ष की वैधानिक समस्या को हल करने के लिए अपना हिस्सा अदा करना चाहते हैं। पर यह हिस्सा क्या होगा यह अभी से ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता। क्योंकि आज पूरी तर्सीर हमारे सामने नहीं है। पर हम इतना बचन जरूर दे सकते हैं कि न्याय और समझदारी के आधार पर भारत की वैधानिक समस्या को हल करने के लिए जो जो भी प्रयत्न किये जावेंगे उनमें हमारा पूरा पूरा सहयोग होगा।

इस दिशा में एक प्रयत्न के रूप में और रियासतों को कल के भारत में अपना हिस्सा आदा करने योग्य बनाने की गरज से मैं रियासतों में वैधानिक परिवर्तनों के सम्बन्ध में नीचे लिखी घोषणा करता हूँ—

१ नरेन्द्र मण्डल ने मन्त्रियों की समिति के साथ रियासतों के अन्दर वैधानिक संधारों के विकास के प्रश्न पर अचन्ताप्रबंधक विचार किया। रियासतों की सही सहा वैधानिक स्थिति के लिए में समाट की सरकार ने पालिंयामेन्ट में पुनः घोषणा कर दी है आइ त्राज़ का प्रातनिधि स्वरूप श्रीमान् वाइसराय ने उसे दौहराया भी है कि अपने अपने प्रजाजनों और रियासतों को किस प्रकार का शासन-विधान अनुकूल होगा—“इसका निर्णय करने का अधिकार उन उन नरेशों को ही है।” इस बास्तविक स्थिति को किसी प्रकार भी बाधा न पहुँचाते हुए नरेन्द्र मण्डल अपनी नीति को साफ साफ बता देने और उस दिशा में तुरन्त कदम उठाने की उन रियासतों को सिफारिश करता है जहाँ ऐसे कदम अब तक नहीं उठाये गये हैं।

तदून्सार नरेन्द्र मण्डल के चान्सलर को अधिकार दिया जाता है कि वह नरेन्द्र मण्डल की तरफ से और उसकी पूर्ण सत्ता से नीचे लिखी घोषणा करे—

२ उद्देश्य यह है कि प्रत्येक राज्य में तुरन्त ऐसे तंत्र खड़े किये जावें जिस में कि राजवंश और राज्य के प्रदेशों को अनुगण रखते हुए, राजा की सर्वोच्च सत्ता का अमल वैधानिक तरीकों से हो। रियासतों में तुने हुए बहुमत वाली लोकप्रिय संस्थाएं कायम हों जिससे कि राज्य के शासन में निश्चित रूप से जनता का निकट और परिणाम कारक सहयोग उपलब्ध हो सके। यह मान लिया गया है कि प्रत्येक रियासत के लिए ऐसे विधान की तरफीलें बनाने में प्रत्येक रियासत की विशेष स्थिति का ध्यान रखा जायगा।

इ अधिकाराश रियासतों ने पहले ही से अपने राज्यों में कानूनी राज्य और जान माल की रक्षा का आश्वासन देने वाले कानून बना दिये हैं। फिर भी जिन रियासतों में अभी यह नहीं हुआ है इस सम्बन्ध में अपनी नीति और उद्देश्यों को साफ साफ शब्दों में प्रकट करने की गरज से घोषित किया जाता है कि रियासतों में प्रजाजनों को नीचे लिये अत्यावश्यक अधिकारों का पूरा आश्वासन दे दिया जाय और रियासत के न्यायालयों को यह अधिकार दिया जाय कि इनका भंग होने पर वे प्रजाजनों को राहत दिलावें।

अधिकार—

- (क) कानून के बाहर किसी भी मनुष्य की आजादी न छीनी जाय और न किसी के मकान या जायदाद में कोई मुसे या उससे छीने या जब्त करे।
- (ख) हर आदमी को हेबियस कॉर्पस के अनुसार अधिकार होगा। युद्ध, विप्लव या गम्भीर भीतरी गङ्गवड़ी के प्रसंग पर ऐलान द्वारा इस अधिकार को थोड़े समय के लिए मुल्तवी किया जा सकेगा।
- (ग) हर आदमी अपने विचारों को स्वतन्त्रता पूर्वक प्रकट कर सकेगा, मिलने जुलने और सम्मेलनों की स्वतन्त्रता होगी, और कानून तथा नैतिकता के अविरोधी उद्देश्यों के लिए वौरे हथियार लिये या फौजी टंग को छोड़ कर लोग एकत्र भी हो सकेंगे।
- (घ) सार्वजनिक शान्ति और व्यवस्था का भंग न करते हुए हर आदमी को अपने विवेक के अनुसार चलने और अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार होगा।
- (ङ) कानून की नजरों में सब मनुष्य एक से होंगे इसमें जात, पाँत, धर्म विश्वास का ख्याल नहीं किया जायगा।

- (च) सार्वजनिक (सरकारी) पद, प्रतिष्ठा या सत्ता का स्थान, या व्यापार-पेशा वगैरा में जात-पाँत धर्म मतमतान्तर या विश्वास के कारण किसी पर कोई कैद न होगी ।
- (छ) बेगार नहीं रहेगी ।

४ यह पुनः घोषित किया जाता है कि शासन नीचे लिखे सिद्धान्तों पर आधारित होगा और जहाँ इन पर अभी तक अमल नहीं हो रहा है, कठोरता पूर्वक इस पर अमल कराया जायगा—

- (अ) न्याय दान का काम निष्पक्ष और सुयोग्य व्यक्तियों के ही हाथों में रहे । वे शासन विभाग से स्वतन्त्र हों । और व्यक्तियों एवं रिंगसतों के बीच के मामलों का निष्पक्ष निर्णय देने की सुव्यवस्था हो ।
- (आ) नरेश अपने राज्यों में शासन विषयक बजट से निजी खर्च को बिलकुल अलग बताया करें और राज्य की साधारण आय पर उसका कोई निश्चित और उचित अनुपात मुकर्रर कर लें ।
- (इ) कर-भार न्यायोचित और सब पर समान हो और राज्य की आय का एक निश्चित और खासा हिस्सा जनता की भलाई के कामों में खास तौर पर राष्ट्र-निर्माणकारी महकमों पर खर्च किया जाय ।

५ यह जोर दे कर सिफारिश की जाती है कि जिन राज्यों में इस घोषणा में लिखी गातों पर अब तक अमल नहीं हो रहा है वहाँ तुरन्त उन पर अमल शुरू हो जाय ।

६ यह घोषणा नरेन्द्र मण्डल स्वेच्छापूर्वक और सच्चे दिल से कर रहा है क्योंकि मण्डल को रिंगसती जनता में और राज्यों के भविष्य में पूरा विश्वास है ।

यह घोषणा इन निर्णयों पर सच्चे दिल से और तुरन्त अमल करने की नरेशों की इच्छा का प्रतीक है । लोगों को यह उत्तरोत्तर भय और

अभी व से मुक्त करे लोग मन और वाणी में अधिक स्वतंत्र हों और पारस्परिक स्नेह सहिष्णुता, सेवा और उत्तरदायित्व के मजबूत आधार पर इसका उत्तरोत्तर विकास और परिवर्द्धन हो।

इन महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे विचारों और उद्देश्यों को भूतकाल में बार बार और बुरी तरह पेश किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रस्ताव की भ पा और नरेन्द्र मण्डल की तरफ से की गई यह घोषणा अब भविष्य में किनी प्रकार की शकाओं के लिए गुंजाइश नहीं रहने देगी। इससे अधिक और मैं क्या कहूँ। आशा है आप इस प्रस्ताव को मंजूर करेंगे। प्रस्ताव यों है—

“नरेन्द्र मण्डल यह दोहरा देना चाहता है कि देश अपने पूर्ण विकास की स्थिति को तुरन्त पहुँचे इस सम्बन्ध में तमाम लोगों में जो भावना है उसमें रियासतें पूर्णतया शरीक हैं, और वे भारतवर्ष की वैधानिक गुरुत्वी को सुलभाने में अपनी शक्ति भर पूरा हाथ बंटवेंगी।”

८८ जनवरी १९४६

मंत्रि मण्डल का मिशन

नरेन्द्र मण्डल की बैठक के साथ साथ इंग्लैंड में इस सम्बन्ध में चर्चाएं चल रही थीं कि भारतीय समस्या को किस प्रकार सुलभाया जाय। और इनका अन्तिम निर्णय इस निश्चय में हुआ कि मन्त्रिमण्डलों से वज्रनदार और अधिक से अधिक अनुभवी सदस्यों का एक मिशन भारत भेजा जाय। वह भारतीय नेताओं से तथा सभी द्वांस से बातचीत करे और इस प्रश्न को हल कर के ही आवेद। उसे इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक अधिकार भी दे दिये जावें। इस निर्णय की घोषणा करते हुए इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर क्लैंसेन्ट ऐटेली ने ता० १५ मार्च को पार्लियामेन्ट में जो घोषणा की उसमें खाया था कि “भारतमन्त्री लार्ड पेथिक लॉर्स, सर स्टॉफोर्ड क्रिस्ट तथा मि. वि. एलेंजाएडर जैसे तीन

अत्यंत वजनदार और अनुभवी साथियों को मन्त्रिमण्डल की तरफ से भारतवर्ष भेजने का निश्चय किया गया है।

“मेरे ये साथी इस उद्देश्य से हिन्दुस्तान जा रहे हैं कि वे उसे जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक पूर्ण आजादी हासिल करने में संपूर्ण सहायता करें। आजकी सरकार के स्थान पर वहाँ किस प्रकार का शासन कायम किया जाय इसका निर्णय तो खुद हिन्दुस्तान ही करेगा। हाँ उसका यह निर्णय करने के लिए तुरन्त एक सभा बनाने में जरूर पूरी सहायता करना चाहते हैं।

“मैं आशा करता हूँ कि हिन्दुस्तान की जनता ब्रिटिश कामनवेलथ (राष्ट्र संघ) में रहना पसन्द करेगी, मुझे निश्चय है कि इस निर्णय से उसे बहुत लाभ होगा।

पर यह निर्णय वह अपनी स्वेच्छा से ही करे, ब्रिटिश राष्ट्र संघ या साम्राज्य वाहरी वन्धनों के आधार पर नहीं बना है। वह स्वतन्त्र राष्ट्रों का स्वेच्छापूर्वक बनाया गया संघ है। पर अगर हिन्दुस्तान एक दम स्वतन्त्र भी होना चाहे तो हमारी राय में उसे इसका अधिकार है। यह परिवर्तन जितना भी आसान और शान्तिपूर्ण हो सके उसे ऐसा बना देना हमारा काम है।”

१६ मई की घोषणा

इस घोषणा के अनुसार पूर्ण अधिकार ले कर मन्त्रिमण्डल का मिशन हिन्दुस्तान आया। उसके तीनों सदस्यों ने हिन्दुस्तान पहुँचते ही भारतवर्ष के प्रधान राजनैतिक दलों से मिल कर अपनी चर्चायें शुरू कर दी। ये चर्चायें बहुत लम्बी चलीं। उनकी कोशिश यह थी कि ये प्रधान दल आपस में मिल कर खुद ही कोई सर्वसम्मत योजना बनावें। पर ऐसा नहीं हो सका। अन्त में ता० १६ मई को मिशन ने एक वक्तव्य में अपना

निर्णय और योजना प्रकाशित कर दी। इस योजना में बताया गया था कि विधान-परिषद तथा अस्थाई सरकार का निर्माण होकर अब शीघ्र ही विधान बनाने का काम जारी होने वाला है। वक्तव्य में सर्वसंमत योजना बनाने के प्रयत्नों की असफलता का जिक्र करने के बाद कहा गया है कि “मुसलिम लीग के समर्थकों को छोड़ कर लगभग सब ने एक मत से भारत की एकता के पक्ष में अपनी इच्छा प्रकट की है। पर इसने हमें हिन्दुस्तान के बटवारे की संभावना पर निष्पक्ष भाव से और बारीकी से विचार करने से गेंका नहीं। मुसलिम लीग चाहती है कि हिन्दुस्तान के दो हिस्से स्वतंत्र राज्यों के रूप में अलग कर दिये जावें। इनमें से पहले हिस्से में पजाब, सिन्ध, सीमाप्रान्त और ब्रिटिश बलूचिस्तान हो और दूसरे में बंगाल तथा आसाम। इन प्रान्तों की सीमाओं को बाद में निश्चित किया जा सकता है। परन्तु पाकिस्तान सिद्धान्त के रूप में पहले मंजूर कर लिया जाय। इस माँग के समर्थन में दो दीलीले हैं—

१ जिन प्रान्तों में मुसलिम बहुमत है वहाँ शासन किस प्रकार का हो यह निर्णय करने का अधिकार मुसलमानों को हो।

२ और शासन तथा आर्थिक दृष्टि से यह योजना व्यावहारिक बन जाय इसलिए इसमें कुछ मुस्लिम अल्पमत वाले प्रदेश और जोड़ दिये जावें।

इनमें से पहले हिस्से में २२६ लाख अर्थात् ६२ प्रतिशत मुसलमान और लगभग ३८ प्रतिशत गैर मुस्लिम आवादी है। और दूसरे हिस्से में ३६४ लाख अर्थात् ५१ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत मुस्लिम तथा ४८ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत गैर मुसलिम आवादी है। इसके अलावा दो करोड़ मुसलमान शेष प्रान्तों में बटे हुए हैं।

इन अंकों से स्पष्ट है कि मुस्लिम लीग की माँग के अनुसार हिन्दुस्तान से ये दो हिस्से पाकिस्तान के रूप में अलग निकाल दिये जावें तो भी (१)

अल्पमत की समस्या हल नहीं होगी फिर (२) पंजाब, बंगाल और आसाम के जिन जिलों में मुसलमान कम संख्या में हैं उन्हें पाकिस्तान में जोड़ देना कैसे न्याय संगत होगा हम नहीं समझ पाते। पाकिस्तान के पक्ष में जो दलीलें पेश की जा रही हैं, वे सब दलीलें इन जिलों को पाकिस्तान में न जोड़ने के पक्ष में दी जा सकती हैं।

तब क्या इनको छोड़ कर पाकिस्तान बनाया जा सकता है और उस पर कोई समझौता हो सकता है? (३) खुद मुसलमान ही इसे अव्यावहारिक मानते हैं। फिर (४) हम भी यह निश्चित रूप से मानते हैं कि इस तरह पंजाब और बंगाल के टुकड़े टुकड़े करना वहाँ की जनता के बहुत बड़े हिस्से की इच्छा और हितों के प्रतिकूल होगा। फिर (५) ऐसे टुकड़े करने से सिक्का जाति भी दो टुकड़ों में बट जायगी। इसलिए हम बरबर इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि न तो बड़ा पाकिस्तान और न छोटा पाकिस्तान जातीय समस्या को हल कर सकेगा।

इन अत्यन्त महत्वपूर्ण दलीलों के अलावा (६) शासन, अर्थ और सैनिक दृष्टि से भी देश का विभाजन हानिकर होगा। (७) रेल, डाक और तार विभागों की रचना संयुक्त भारत के आधार पर ही की गई है। उसको तोड़ने से दोनों हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचेगा। (८) देशरक्ता का प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। इसको तोड़ने में कौज की मजबूती और एकता तो नष्ट होगी ही, पर देश की रक्ता में भयंकर खनंग खड़े हो जावेंगे। (९) खण्डित भारत के किस हिस्से के साथ गहे यह निश्चय करने में रियासतों को भी तो बड़ी कठिनाई होगी और अत में भौगोलिक दृष्टि से ये दो हिस्से एक दूसरे से इतनी दूर (७००) मील हैं कि युद्ध-काल और शान्ति के समय भी इनको अपने बीच के आवागमन के सवन्धों के लिए हिन्दुस्तान की मरजी पर निर्भर रहना पड़ेगा।

इसलिए हम ब्रिटिश सरकार को यह सलाह देने में असम्भव हैं कि वह अपनी सत्ता को दो स्वतंत्र राज्य में बांट दे।

पर मुसलमानों को जो वास्तविक भय है उसका भी हीं पूरा पूरा ख्याल है इस भय को दूर करने के लिए कांग्रेस ने एक योजना पेश की है उसके अनुसार देश रक्षा, आवागमन के साधन और वैदेशिक विभाग जैसे कुछ विषयों के अपवाद के साथ प्रान्तों को संपूर्ण स्वतन्त्रता दे दी गई है।

कांग्रेस ने इस योजना में यह भी गुंजाइश रखी है कि जो प्रान्त शासन और आर्थ के सम्बन्ध में बड़े पैगाने पर किये जाने वाले संयोजन में भाग लेना चाहें वे इन उत्तर्युक्त अनिवार्य विषयों के अलावा अन्य कुछ विषय भी स्वेच्छापूर्वक कंन्द्र को सौंप सकते हैं।

इस योजना में कई कठिनाइयाँ बताने के बाद मिशन ने रियासतों के प्रश्न पर लिखा है—

“अपनी सफारियों पेश करने के पहले हम ब्रिटिश भारत और रियासतों के सम्बन्ध पर विचार कर लें। यह तो बिलकुल स्पष्ट है कि ब्रिटिश भारत के स्वतन्त्र हो जाने के बाद—चाहे वह ब्रिटिश राष्ट्र संघ के साथ रहे या अलग—रियासतों और ब्रिटिश सम्प्राट के बीच अब तक जो सम्बन्ध रहा है वह अब आगे नहीं रह सकेगा। हिन्दुस्तान में सार्वभौम सत्ता न तो सम्प्राट के हाथों में रह सकती है और न वह नई सरकार को सौंपी जा सकती है।

रियासतों के जिन जिन लोगों से हम मिले वे सब इस बात को मानते हैं। इसके साथ ही उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि हिन्दुस्तान में आगे वाले इस नवीन परिवर्तन को वे प्रसन्द करते हैं और उसमें सहयोग देने को भी तैयार हैं। इस सहयोग का ठीक ठीक रूप क्या होगा यह तो विधान बनाते समय आपसी बातचीत में तय होगा। और यह भी कोई जरूरी बात नहीं कि इसका स्वरूप संवत्र एक सा होगा। इसलिए नीचे वाले पैरों में रियासतों के बारे में हम इतनी तफसील में नहीं गये हैं।

हमारी योजना इस प्रकार है—

(१) हिन्दुस्तान की एक यूनियन (संघ) हो, जिसमें ब्रिटिश भारत

और रियासतें भी हों। और उसके अधीन वैदेशिक आवागमन तथा देश-रक्षा के विभाग हों। इन महकमों के लिए लगने वाला आवश्यक खर्च निकालने के लिए कोष एकत्र करने का अधिकार भी इस यूनियन को हो।

(२) यूनियन का एक मन्त्र मण्डल और धारा सभा भी होगी जिसमें ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के प्रतिनिधि होंगे।

अगर कोई ऐसा सवाल आवे जिसमें कोई चड़ा जातीय प्रश्न उपस्थित होता हो, तो उसके निर्णय के लिए दोनों जातियों के उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों तथा तमाम सभा में उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों की बहुमति कसरत राय लाजिमी होगी।

(३) यूनियन के विषयों को छोड़ कर तमाम विषय और सारी सत्ता—जिसका निर्देश नहीं कर दिया गया है—प्रान्तों के अधीन होंगे।

(४) यूनियन को जो विषय सौप दिये जावें उनको छोड़ कर अपनी सारी सत्ता और विषय रियासतों के अपने अधीन होंगे।

(५) प्रान्तों को अपने गुट बनाने की आजादी होगी जिनकी अपनी धारा सभा और मन्त्रमण्डल भी होंगे। प्रत्येक गुट यह भी निर्णय कर सकता है कि वह किन सामान्य प्रान्तीय विषयों को अपने हाथ में ले सकता है।

(६) यूनियन और प्रान्तों के विधान में भी यह धारा रहे कि जिसके आधार पर कोई भी प्रान्त अपनी धारा सभा की बहुमति से शुरू में दस वर्ष और फिर हर दस वर्ष बाद अपने प्रान्त के विधान पर पुनर्विचार कर सके।

विधान परिषद का संगठन इस प्रकार है—

(१) परिषद में प्रतिनिधित्व जनता की आजादी के आधार पर—प्रति दस लाख पर एक प्रतिनिधि इस हिसाब से होगा।

(२) प्रत्येक प्रान्त में प्रधान जातियों की जैसी आबादी होगी उनकी संख्या के अनुसार इन प्रतिनिधियों की संख्या जातियों में बंट जायगी।

(३) [वास्तव में यह प्रतिनिधि जनता के द्वारा ही वालिग मताधिकार के आधार पर चुने जाने चाहिए। परन्तु आज इस तरह के चुनाव में अनेक कटिनाइयाँ हैं और बहुत अधिक विलम्ब हो जाने की संभावना है। इसलिए] इन प्रतिनिधियों का चुनाव प्रान्तीय धारा सभाओं के सदस्य ही जातिवार कर लेंगे।

परिषद के लिए तीन प्रधान जातियां मानी गई हैं—

- १ जनरल
- २ मुस्लिम
- ३ सिक्ख

छोटी छोटी जातियों को उपर्युक्त नियम के अनुसार या तो स्वतंत्र प्रतिनिधित्व मिल ही नहीं सकता या बहुत थोड़ा मिल सकता है। इसलिए उनको जनरल विभाग में शामिल कर दिया गया है।

प्रान्तों तथा रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या

सेक्षन A.	जनरल	मुस्लिम	कुल
मदरास	४५	४	४९
बम्बई	१६	२	२१
युक्तप्रान्त	४७	८	५५
बिहार	३१	५	३६
मध्य प्रदेश	१६	१	१७
उड़ीसा	६	०	६
	१६७	२०	१८७

रियासतों का सवाल

सेक्षन B.	जनरल	मुसलिम	सिक्ख	कुल
पंजाब	... ८	१६	४	२८
सीमाप्रान्त	... ०	३	०	३
सिन्ध	... १	३	०	४
	—	—	—	—
	६	२२	४	३५

सेक्षन C	जनरल	मुसलिम	कुल
बंगाल	... २१	३३	६०
आसाम	... ७	३	१०
	—	—	—
	३४	३६	७०

ब्रिटिश भारत के
+ रियासतों के

२६२ } +३८५
६३ }

दिल्ली (A) १

अजमेर (A) १

ब्रिटिश वलूचिस्तान १

—

३८८

उद्देश्य यह है कि विधान परिषद के अतिम अधिवेशन में रियासतों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाय। यह आवादी के अनुसार ६३ से अधिक नहीं होगा। इन प्रतिनिधियों का चुनाव कैसा हो यह आपसी वातनीत द्वारा तय कर लिया जायगा। शुरू शुरू में रियासतों का प्रतिनिधित्व । कनिगोशियेटिंग कमिटी करेगी। (जो रियासतों द्वारा बनाई जावेगी)

कार्य पद्धति —

(१) परिषद की बैठकें नई दिल्ली में होंगी

- (२) पहले अधिवेशन में नीचे लिखे कार्य होंगे—
- (क) कार्यक्रम का निश्चय
 - (ख) सभापति तथा अन्य पदाधिकारियों का चुनाव
 - (ग) नागरिक अधिकार, अल्पसंख्यक जातियाँ, कबीलों और आदिमवासी सम्बन्धी प्रश्नों पर सलाह देने वाली कमिटी की नियुक्ति.
- (३) इसके बाद प्रान्तीय प्रतिनिधि तीन (A. B. C.) विभागों में बंट जावेंगे। और वे नीचे लिखे काम करेंगे—
- (क) अपने अपने विभाग के प्रान्तों के लिए विधान बनाना।
 - (ख) इन प्रान्तों के लिए कोई सम्मिलित विधान बनाने या न बनाने के बारे में निश्चय करना।
 - (ग) अगर ऐसा सम्मिलित विधान बनाने का निश्चय हो तो उसके विषयों का निर्णय करना।
- प्रान्तों को इन समूहों से अलग होने का अधिकार रहे।
- (४) इसके बाद तीनों सेनानों के तथा रियासतों के प्रतिनिधि बैठ कर यूनियन का विधान बनावेंगे।
- (५) यूनियन का विधान बनाने वाली परिषद में ऊपर पैराडाफ १५ में लिखी बातों में फर्क करने वाले अथवा कोई बड़ा जातीय सवाल खड़ा करने वाले प्रस्ताव का निर्णय दोनों गें से प्रत्येक जाति के सदस्यों के बहुमत से होगा। परिषद के अध्यक्ष इस बात का निर्णय देंगे कि कौन सा प्रस्ताव महत्वपूर्ण जातीय सवाल खड़े करता है। और दो में से किसी एक जाति के भी सदस्य अगर बहुमत से मार्ग करें कि सभापति अपना निर्णय देने से पहले फेडरल कोर्ट की सलाह लेवें।
- (६) नये विधान का अमल शुरू हो जाने के बाद अगर कोई ग्रान्त चाहे कि जिस ग्रप में उसे रखवा गया है उसमें वह न रहे तो वह उससे

अलग हो सकेगा । नये विधान के अनुसार किये गये चुनाव हो जाने के बाद नई धारा सभा यह (अलग होने का) निर्णय करेगी ।

७ नागरिकों, अल्पसंख्यकों तथा कबीलों और आदिम निवासियों के मौलिक अधिकारों के बारे में सलाह देने वाली समिति में सम्बन्धित जातियों का समुचित प्रतिनिधित्व होगा । कमिटी यूनियन की परिषद को रिपोर्ट देगी कि—

- (क) मौलिक अधिकार क्या क्यों होगे ?
- (ख) अल्पसंख्यकों के बचाव की क्या क्या तज्जीब हों ?
- (ग) कबीलों के तथा आदिम वासियों के शासन की योजना क्या हो ?
- (घ) इन अधिकारों का समावेश प्रान्तीय ग्रूप के या केन्द्रीय विधान में कर लिया जाय अर्थवा नहीं ? इस विषय में भी यह कमिटी सलाह देगी ।
- (द) वाइसराय तुरन्त प्रान्तीय धारा सभाओं से विनिति करेंगे कि वे अपने अपने प्रतिनिधियों के चुनाव तुरन्त कर लें । और रियासतों से कहेंगे कि वे निगोशिएटिंग कमिटी बना लें ।
- (इ) आशा है कि विधान बनाने का काम यथासम्भव जल्दी से शुरू हो जावे । ताकि अस्थाई सरकार का काम छोटे से छोटा हो सके । यूनियन का विधान बनाने वाली परिषद और युनाइटेड किंगडम के बीच इस सत्ता परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले कुछ विषयों के बारे में एक सन्धिनामा बना लेना जरूरी होगा ।

एक तरफ जहाँ विधान बनता रहेगा दूसरी तरफ देश का शासन तो जारी ही रहेगा । इसलिए हमारी राय में यह अत्यन्त जरूरी है कि देश में विधान दलों का समर्थन प्राप्त अस्थायी सरकार की तुरन्त स्थापना कर दी जाय । भारत की सरकार के सामने जो कठिन काम हैं वे इस

मध्यकाल में अधिक से अधिक सहयोग के साथ हों यह बहुत जरूरी है। इस सम्बन्ध में वाइसराय ने बातचीत भी शुरू कर दी है उन्हें आशा है कि वे बहुत जल्दी ऐसी अस्थाई सरकार की स्थापना कर लेंगे जिसमें युद्ध मन्त्री सहित सभी जिम्मेदारियाँ भारत की जनता के संपूर्ण विश्वास का उपभोग करने वाले नेताओं के हाथों में होंगी।

ब्रिटिश सरकार भी इस सरकार को शासन में तथा इस परिवर्तन को सरलता और शान्ति पूर्वक लाने में पूरा सहयोग देगी

इन प्रस्तावों से आप को शायद पूर्ण संतोष न हो। पर भारतवर्ष के इतिहास में इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग पर राजनैतिक दूरदर्शिता का यह तकाजा है कि आप मेल जोल से काम लें और करें। जरा सोचें कि अगर इन प्रस्तावों को मंजूर नहीं किया गया तो नतीजा क्या होगा? कितनी भयंकर मार काट, अव्यवस्था और यह युद्ध होगा। इसलिए हम इस आशा के साथ इन प्रस्तावों को आप के सामने पेश करते हैं कि वे उसी सन्दर्भ के साथ मंजूर कर लिये जावेंगे, जिसके साथ उन्हें पेश किया गया है हिन्दुस्तान का भला चाहने वाले तमाम सज्जनों से हम अपील करते हैं कि अपनी अपनी जाति तथा स्वार्थों से ऊपर उठ कर चालीस करोड़ के हितों का ध्यान रख कर जो कुछ करना चाहें करें।

सन्धियों और सार्वभौम सत्ता पर नरेन्द्र मण्डल के चान्सलर को मिशन छारा मैर्जा गया स्पष्टीकरण

१ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में साधारण सभा में जो वक्तव्य दिया है उससे नरेशों को यह आश्वासन दिया था कि सन्धियों और सुलह-नामों से जो अधिकार नरेशों को प्राप्त हैं उनमें वगैर उनकी स्वीकृति के कोई भी परिवर्तन करने का उद्देश्य सम्प्राट का नहीं है। इसके साथ ही (सम्प्राट को नरेशों की तरफ से) यह कहा गया था कि इन बात चीत के फल स्वरूप कोई परिवर्तन करना तय हुआ तो नरेश भी उसके लिए

आपनी स्वीकृति देने से नाहक इन्कार नहीं करेंगे। इसके बाद तो नरेन्द्र मण्डल ने यह कह कर कि नरेश भी सारे देश के साथ यही चाहते हैं कि भारतवर्ष जल्दी से जल्दी अपनी पूर्ण प्रतिष्ठा को प्राप्त करे उपर्युक्त आश्वासन का समर्थन कर दिया है। सम्राट की सरकार ने भी अब यह घोषणा कर दी है कि यदि हिन्दुस्तान की भावी सरकार या सरकारें स्वतन्त्रता चाहेंगी तो उनकी राह में रुकावटें नहीं ढाली जावेंगी। इस घोषणा का असर यह हुआ है कि हिन्दुस्तान के भविष्य के विषय में जिन्हें कुछ भी दिलचस्पी है, वे सब चाहते हैं कि हिन्दुस्तान आजाद हो—फिर चाहे वह ब्रिटिश राष्ट्रसंघ के साथ रहे या अलग। हिन्दुस्तान की इस इच्छा की पुर्ति में सहायता करने के लिए मिशन यहाँ आया है।

२ जब तक कि नया विधान बन कर हिन्दुस्तान में नई सरकार स्थापित हो कर पूरी तरह से स्वराज्य का उपभोग नहीं करने लग जाता यहाँ सार्वभौम सत्ता (अंग्रेजों की ही) रहेगी। पर उसके बाद (स्वतंत्र सरकार कायम हो जाने पर) ब्रिटिश सरकार अपनी यह सार्वभौमता किसी भी सूरत में नई सरकार को न तो सौंप देना चाहती है और न वह ऐसा कर ही सकती है।

३ इस बीच देशी रियासतें हिन्दुस्तान के लिए नया विधान बनाने में महत्वपूर्ण भाग अदा कर सकती हैं। और सम्राट की सरकार से रियासतों की तरफ से कहा गया है कि उनके अपने तथा सारे देश के हित को ध्यान में रखते हुए वे इस विधान के बनाने में अपना हिस्सा अदा करना चाहते हैं और उसके बन जाने पर उसमें अपना उचित स्थान भी ग्रहण करना चाहते हैं। इसमें उन्हें पूरी अनुकूलता हो इस दृष्टि से अपने राज्यों में वे अपनी शक्ति भर ऐसे तमाम सुधार करेंगे जिससे उनका शासन ऊँची से ऊँची श्रेणी का बन सके। इससे उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ेगी ही। और जो रियासतें छोटी हैं तथा अपने साधनों की कमी के कारण शासन को इतना ऊँचा उठाने में असमर्थ हैं, वे शासन के लिए

अनेक मिल कर ऐसी संयुक्त इकाइयाँ बना लेंगी जिससे नई व्यवस्था में वे ठीक बैठ सकें। अगर रियासती सरकारों ने अपनी जनता के साथ नजदीक का और रोजमर्रा का संपर्क अभी कायम नहीं किया है तो इस निर्माण-कार्य में राज्य के अन्दर प्रातिनिधिक संस्थाओं की स्थापना कर के वह करें। इससे उनकी शक्ति बढ़ेगी ही।

४ इस बीच के काल में रियासतों को ब्रिटिश भारत के साथ अर्थ और कोप जैसे सामान्य विषयों के सम्बन्ध में बातचीत करना पड़ेगा। रियासतें नई वैधानिक व्यवस्था में शारीक हों या न हों यह बातचीत और मशविरा जरूरी है और इसमें काफी समय लगेगा। जब नई सरकार स्थापित होगी शायद तब तक यह बातचीत अधूरी भी रहे। ऐसी सूख में शासन सम्बन्धी अमुविधाये खड़ी न हों इसलिए रियासतों और नई सरकार या सरकारों के बीच कोई ऐसा समझौता कर लेना जरूरी होगा कि जब तक कि इन सामान्य विषयों के सम्बन्ध में नये इकरानामे नहीं बन जाते तत्कालीन व्यवस्था में ही जारी रहें। इस विषय में अगर चाहा गया तो ब्रिटिश सरकार और सम्राट के प्रतिनिधि अपनी तरफ से शक्ति भर आवश्यक सहायता करेंगे।

५ जब ब्रिटिश भारत में संपूर्ण सत्ताधारी नई स्वराज्य सरकार या सरकारें कायम हो जावेंगी तब सम्राट की सरकार का इन सरकारों पर ऐसा असर या प्रभाव नहीं रह सकेगा कि वह सार्वभौम सत्ता की जिम्मेवारियों को अदा कर सके। फिर वे यह भी कल्पना नहीं कर सकते कि इसके लिए हिन्दुस्तान में अंग्रेजी फौजें रखती जा सकेंगी। इस प्रकार तर्क से भी यह साफ है और रियासतों की तरफ से जो इच्छा प्रकट की गई है उसे ध्यान में रखते हुए भी सम्राट की सरकार सार्वभौम सत्ता का अमल करना छोड़ देगी। इसका अर्थ यह है कि सम्राट के साथ के इस सम्बन्ध से रियासतों को जो अधिकार प्राप्त हैं वे खत्म हो जावेंगे और रियासतों ने अपने जो अधिकार सार्वभौम सत्ता को सौंप दिये थे वे वापिस रियासतों के पास लौट जावेंगे।

इस प्रकार रियासतों और ब्रिटिश भारत तथा ब्रिटिश क्राउन (सम्प्राट) के बीच अब तक जो राजनैतिक सम्बन्ध था वह समाप्त हो जावेगा। और इसका स्थान वह सम्बन्ध ले लेगा जो रियासतें ब्रिटिश भारत की नई सरकार या सरकारों के साथ संघ में शामिल हो कर स्थापित करेंगी। अगर यह न हो सका तो वे इन सरकार या सरकारों के साथ कोई खास राजनैतिक समझौता या सुलह कर लेंगी।

[यह स्पष्टीकरण चान्सलर को ता० १२ मई १९४६ को भेजा गया। पर अखबारों में प्रकाशन के लिए यह ता० २२ मई को भेजा गया। इसके साथ जोड़ी गई टिप्पणी में मिशन ने यह भी कहा है कि पार्टी लीडर्स के साथ उसने बातचीत शुरू की उसके पहले यह लिखा गया था।]

नरेशों की प्रतिक्रिया

अब हम केबिनेट मिशन के वक्तव्य पर नरेशों तथा जनता पर जो असर पड़ा उसका निरीक्षण करें।

नरेशों की प्रतिक्रिया चेम्बर ऑफ प्रिनसेस अर्थात् नरेन्द्र मण्डल की स्टॉपिंग कमिटी के द्वारा जारी किये गये नीचे लिखे वक्तव्य से प्रकट होती है जो ता० १६ मई को नवाब भोपाल ने वाइसराय को लिखे अपने पत्र के साथ भेजा था और जो उन्हीं दिनों अखबारों में भी प्रकाशित किया गया था—

केबिनेट डेलिगेशन की घोषणा पर नरेन्द्र-मण्डल की स्टॉपिंग कमिटी का वक्तव्य

१ कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स तथा कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइसरी कमिटी के साथ मिल कर नरेन्द्र मण्डल की स्थाई समिति ने केबिनेट डेलिगेशन की और वाइसराय की १६ मई वाली घोषणा पर ध्यान पूर्वक विचार किया। कमिटी ने केबिनेट डेलिगेशन के उस मेमोरांडम का भी जो कि सुलह-

नामों और सार्वभौम सत्ता के बारे में दिया है—गौर से अध्ययन किया। कमिटी की राय है कि यह योजना हिन्दुस्तान को अपनी आजादी हासिल करने के लिए आवश्यक तंत्र तथा आगे की बातचीत के लिए न्याय पूर्ण आधार प्रदान करती है। सार्वभौम सत्ता के बारे में मिशन की घोषणा का कमिटी स्वागत करती है परन्तु बीच की अधिकारी के लिए कुछ तात्कालिक व्यवस्था की जरूरत होगी।

२ किर भी योजना में कुछ बातें ऐसी हैं जिनका खुलासा हो जाना जरूरी है। फिर कई जड़ की महत्वपूर्ण बातें बातचीत और निर्णय के लिए छोड़ दी गई हैं। इसलिए निर्गांशियोटिंग कमिटी बनाने के लिए वाइ-सराय ने जो निमन्त्रण दिया है उसे कमिटी ने स्वीकार कर लिया है और चान्सलर सा. की योजना में बताये अनुसार बहस और बातचीत करने की व्यवस्था करने की अधिकार दे दिया है। यह योजना की गई है कि इन बातचीतों का नतीजा नरेंद्रों की आम परिपद तथा रियासतों के प्रति-निधियों के सामने पेश कर दिया जाय।

३ अंतःकालीन व्यवस्था के बारे में चान्सलर ने जो नीचे लिखे ग्रस्ताव किये हैं उनका यह कमिटी समर्थन करती है:-

- (क) अंतःकाल की अधिकारी में सामान्य हितों के मामलों में बातचीत कर के निर्णय करने के लिए एक स्पेशल कमिटी बना दी जाय जिसमें रियासतों के और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि हों।
- (ख) न्याय पाने योग्य, कर सम्बन्धी और आर्थिक प्रश्नों के सम्बन्ध में बाद उपस्थित होने पर उन्हें पंच के सामने देश करने का अधिकार रहे।
- (ग) व्यक्तिगत या राजवंश से सम्बन्ध रखने वाले मामलों में जस आपस में निर्णय हो जाय उसके अन्तर अन्तर का और भावार्थ

का भी पालन होना चाहिए और ताज के प्रतिनिधि सामान्यतया चान्सलर तथा कुछ अन्य नरेशों की भी सलाह ले लिया करें अगर सम्बन्धित रियासतों को आपत्ति न हो ।

- (घ) रेलवे, बन्दरगाह और सायर जैसे विषयों के बारे में वर्तमान व्यवस्था के बारे में विचाराधीन मामलों का निर्णय करने के लिए सम्बन्धित रियासतों की मांग हो तो रियासतों की स्वीकृति से एकतंत्र बना दिया जाय ।

इसलिए कमिटी ने ज्ञाःस्टर को अधिकार दे दिया है कि वे बातचीत को आगे चलावें ।

४ स्टॉटिंग कमिटी डेलिवरेशन की इस सूचना का समर्थन करती है कि वे अपने शासन को सर्वोच्च श्रेणी का बनावेंगे तो इससे निःसन्देह उनकी स्थिति मजबूत होगी ।

अगर गियासत वं पास अपने शासन से ऐसा बनाने के लिए स.धन नहीं है तो वह दूसरों को साथ मिला कर या उनके साथ मिल कर शासन के लिए ऐसे बड़े संघ बना लें जिससे वे देश के व्यानिक चौखटे में फिट हो सकें । अगर गियासतों ने राज्यों गे प्रातिनिधिक संस्थाएं अब तक नहीं कायम की हैं तो अपने राज्य के प्रजाजनों के साथ नित्य का और नजदीकी संपर्क स्थापन करने के लिए वे ऐसा तुरन्त करें । इससे इस नव निर्माण काल में वे अपनी मजबूती को बढ़ावेंगे ही । स्टॉटिंग कमिटी जोर देकर कहना चाहती है कि जिन रियासतों ने अब तक यह नहीं किया है वे तुरन्त अपनी रियासतों में उन भीतरी शासन सुधारों की घोषणा कर दें जिनका जिक्र चान्सलर ने चेम्बर के पिछले अधिवेशन में किया था और उनका अमल भी बारह महीनों के अन्दर अन्दर जारी कर दें ।

इस वक्तव्य के अलावा नरेन्द्र माडल के चान्सलर नवाब भोपाल ने

ताज के प्रतिनिधि को लिये अपने उपर्युक्त १६ जून १९४६ के पत्र में नरेशों के दृष्टिकोण को और भी इस प्रकार साफ किया है:—

“डेलीगेशन के वक्तव्य पर नरेशों के विचार पृथक रूप से एक वक्तव्य में प्रकाशित किये जा रहे हैं। × × परन्तु रियासतों और स्टैण्डिंग कमिटी का अन्तिम निर्णय तो इन चातचीतों के बाद संपूर्ण तस्वीर देखने पर ही प्रकट किया जा सकेगा।”

नरेशों को अभी अपने देशभाइयों और जनता से कुछ भय तो मालूम होता ही है। इसलिए चान्सलर वाइसराय को लिखते हैं—“कमिटी को यह विश्वास है कि जो चीजें अभी अनिर्णीत तथा अगली चात-चीत के लिये अधूरी पड़ी हैं उन सब का निर्णय आप की सहायता से रियासतों के लिए सन्तोष जनक रीति से हो जायगा।

पर नरेशों के दिल की चात लो उनके आपसी पत्र व्यवहार या भीतरी चातचीत से ही मालूम हो सकती है। इसका एक नमूना इस पत्रांश से मिलेगा जो एक विद्वान देश भक्त नरेश ने अपने अन्य भाइयों को सावधान करते हुए लिखा है।

“हिन्दुस्तान को निकट भविष्य में पूर्ण स्वतन्त्रता देने की जो घोषणा ब्रिटिश सत्ता द्वारा हाल ही में हुई है, उसने भारतीय नरेशों की स्थिति को निश्चित रूप से अत्यन्त कमज़ोर बना दिया है।

पिछले तीस वर्षों से जिस बुनियाद पर वे अपनी मार्शें पेश करते आये थे, वही खत्म हो गई। उनकी सत्ता का सारा स्तोत्र कुछ समय बाद सूख जायगा। महज इस घटना ने कि अंग्रेजों की सार्वभौम सत्ता शीघ्र ही समाप्त होने वाली है नरेशों और रियासतों की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया है। हमें इसका उपाय भी ऐसा ही क्रान्तिकारी और मूलगामी करना होगा और नरेशों को उसके लिए वास्तविक और भारी त्याग करने होंगे। अधकचरी योजनायें कंजूसी भरे नाममात्र के

त्याग और रुक रुक कर और फूँक फूँक कर कदम बढ़ाने से अब काम न चलेगा । इनसे हम उल्टा अपने भविष्य को चिंगाड़ लेंगे ।”

“छोटी और मझले आकार की रियासतों की समस्या को सुलभाने के लिए हम जो उपाय काम में लावेंगे वे ऐसे ही होने चाहिएं जो अंग्रेजी भारत के नेताओं को मंजूर होंगे । उनका आधार निश्चित रूप से इन सम्बन्धित रियासतों की जनता की भलाई होगा तभी वे सही भी होंगे । जनता के हित का विलिदान करते हुए अथवा उसे गौण मानते हुए वर्तमान नरेशों के अथवा उनके स्वार्थों की रक्षा के ख्याल से की गई उपाय-योजना नरेशों के लिए न बेवल आत्मघातकी सावित होगी बल्कि उनकी कल की मृत्यु को आज ही पर ले आवेगी ।”

“ब्रिटिश भारत के नेताओं ने इस विषय पर अपना मत तो प्रकट किया है पर उसमें स्पष्टता नहीं है । इस सवाल की तरफ अधिक ध्यान देने का उन्हें अवकाश भी नहीं मिला है । वे अभी अपनी ही समस्याओं में उलझे हुए हैं । अतः बागड़ोर अभी उनके हाथों में नहीं गई है, आज भी अगर नंरंश-वर्ग संभल जाय तो यह उनके अपने हाथों में रह सकती है । वे अगर आज तेजी से और साहस के साथ कदम उठायें तो अन्त में उनका भला हो सकता है ।

पिछले सौ सवासौ वर्षों से नरेश अपनी ही दुनिया में रहे हैं । अपने ऊचे असन से उतर कर राज्यों के शासन संचालन में भाग लेने की उन्हें कभी जरूरत ही नहीं मालूम हुई । बस वे ऊपर से केवल अपने हुक्म सुनाते रहे हैं । और अब तक सार्वभौम सत्ता को छोड़ कर और किसी दिशा से उनकी शान में कुछ कहा तक नहीं गया है पर अब तो सारा वातावरण ही बदल गया है । अब जब कि प्रान्तों का संघ बन रहा है, सवाल यह खड़ा होता है कि नरेशों का स्थान क्या होगा ? क्या यूनियन बनने पर वे उसमें भाग लेंगे ? वे तो इस आदर्श की आशा में अब तक बैठे थे कि वे अपने अपने राज्यों के पूर्ण सत्ताधीश नरेश होंगे पर नहीं परिस्थितियों में

तो इस आदर्श के सही सावित होने की कोई आशा नहीं रही है। आज तो यही शंका का विषय बन गया है कि उनका और उनकी रियासतों का अस्तित्व भी रहेगा या नहीं तो क्या जब कि नौवत यहाँ तक आ पहुँची है, नरेश और भी राजनीति और राजकाज से पहले की भाँति दूर दूर ही रहेंगे ? या सदियों से अपने जिस स्वर्ग में विचरते रहे हैं उससे बाहर निकल कर इस संघर्ष भरी दुनिया की भीड़ में शामिल हो जावेंगे, जहाँ कि उनके व्यक्तित्व, वैभव और सत्ता के लिये जिसका कि वे आज तक उपभोग करते आये हैं आदर का नामों निशान भी नहीं होगा। नरेशों को खूब सोच विचार कर तुरन्त निर्णय कर लेना है कि वे क्या करेंगे ?'

इसके बाद प्रान्त की रियासतों का किस प्रकार एक संघ निर्माण करना चाहिए इसका जिक्र करते हुए लिखा गया है कि "जिस यूनियन का विधान आपके विचारार्थ भेजा जा रहा है उसमें नरेशों का भी एक कौंसिल होंगा जिसके अन्दर नरेश वैठ कर अपने प्रान्त के पूरे यूनियन के शासन में भाग लेंगे। और इस यूनियन की सरकार को वे जो सत्ता और जिम्मेवारियाँ सौंपेंगे उनके निर्वहन में अपना पूरा हिस्सा अदा करेंगे। यह सच है कि यह स्थिति उससे भिन्न है जिसका कि वे अब तक उपभोग करते आये हैं और शायद इसको वे पसन्द भी न करें। पर सवाल यह है कि दूसरे किस प्रकार वे प्रान्त की यूनियन सरकार से अपना सम्बन्ध रख सकते हैं जो कि एक सुन्दर सुसंगठित शासन प्रणाली होगी। कौंसिल ऑफ प्रिन्सेस के स्थान पर बड़ी आसानी से कौंसिल ऑफ स्टेट्स बनाई जा सकती है जिसके अन्दर रियासतों की सरकारों के प्रतिनिधि बुलाये जा सकते हैं। शायद इसे कई नरेश मंजूर भी कर लें। उनके मंत्री तो जरूर पसन्द कर लेंगे और दूसरे तो ऐसा चाहेंगे भी। पर नरेशों को याद रखना चाहिए कि इससे तो सारी राजनैतिक सत्ता उनके हाथों से हमेशा के लिए निकल जावेगी और वे हाथ मलते रह जावेंगे।

तो क्या वे पेन्शन और जेब खर्च ले कर रियासत के राजकाज से निवृत्त हो जाना पसन्द कर लेंगे ? हस्ते तो वे और उनके राजवंश

पहले के राजवंशों के समान दुनिया से गिट जावेंगे। क्योंकि आगे चल कर पेन्शनों को बन्द कर देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेरी तो सलाह है कि इस समय नरेशों को अपने वैभव, भारी शान, वर्तमान सत्ता और प्रतिष्ठा के ऊपर से जारी रहने के दिखावे के मोह को भी छोड़ देना चाहिए। वे इस बात का ध्यान रखें कि उनके राजवंश नष्ट न हो जावें। यों भी उनके पर तो कट ही गये हैं। उनकी वह सत्ता, वैभव और प्रतिष्ठा भी गई। शान-शौकत भी कहाँ रही। फिर भी अगर वे अपने स्थान पर बने रहें और प्रजाजनों के साथ प्रान्त के राजकाज में भाग लेते रहेंगे तो अपने राजवंशों की बहुत बड़ी सेवा करेंगे ”

“सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसी प्रान्तीय यूनियन को हम अपनी क्या-क्या सत्ता दें? आमतौर पर नरेशों की वृत्ति इस विषय में यह हो सकती है कि हम उतनी ही सत्ता प्रांतीय केन्द्र को दें जो अनिवार्य रूप से आवश्यक हो। पर मैं सावधान कर देना चाहता हूँ कि अगर इस विषय में कोई निर्णय लेने से पहले देश की परिस्थिति व समय की आवश्यकता पर पूरी गहराई के साथ विचार नहीं किया गया तो भारी गलती होगी। हमें केवल यही नहीं सोचना है कि हम सिर्फ वही बात करेंगे कि जो टल नहीं सकती। बल्कि हमें यह भी सोचना चाहिए कि समस्त देश की दृष्टि से क्या करना लाभदायक होगा?

“यह तो प्रकट है कि देश की केन्द्रीय सरकार के अधीन बहुत थोड़े विषय रहेंगे और प्रान्तों को अधिक स्वायत्ता दी जावेगी। हसका स्पष्ट अर्थ यह है कि प्रान्तों को अपने संघ बहुत मजबूत और सुसंगठित बनाने होंगे। अब इसमें प्रत्येक राज्य प्रान्तीय यूनियन को अपनी सत्ता में से कितना अंश देगा यह प्रत्येक रियासत की स्थिति पर विचार कर के तय किया जावेगा। परन्तु एक बात साफ है। संघ के अन्दर शामिल होने वाली रियासतों की संख्या जितनी बड़ी होगी, प्रान्त के संग-

ठन और अनुशासन को उतना ही मजबूत बनाना होगा। ऐसे संघ के बनाने में नीचे लिखी बातों का ध्यान रखना होगा—

(१) बानून बनाने के सम्बन्ध में केंद्रीकरण की नीति से काम लिया जाय। अर्थात् सारी यूनियन के लिये कानून एक-से हों, परन्तु इनके अमल में विकेन्द्रीकरण की नीति बरती जाय अर्थात् प्रत्येक राज्य अपनी स्थिति को देख कर के अपने ढंग से उस पर अमल करे।

(२) जहाँ-जहाँ शासन का विकेन्द्रीकरण हो, वहाँ यूनियन को उसकी देख-भाल, मार्गदर्शन और नियंत्रण का पूरा अधिकार हो।

(३) इस यूनियन का संगठन और विधान बहुत अधिक संगठित और केन्द्रीय पद्धति का होना चाहिए, क्योंकि यूनियन की अधिकांश सदस्य रियासतों में साधनों और योग्य आदमियां के अभाव और नागरिक जिम्मेवारी की भावना का ठीक-ठीक विकास नहीं होने के कारण, वे व्यक्तिगत रूप से उत्तम प्रकार का शासन नहीं चला सकेंगी। इस अर्थ में व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक रियासत में अलग अलग जिम्मेदाराना हुक्मत न तो संभव है और न इष्ट ही है। हाँ, पूरी यूनियन में जनतंत्री शासन-पद्धति कर देने से राजनैतिक नेताओं को जरूर सन्तोष हो सकता है।

(४) यूनियन के शासन सम्बन्धी कानून और न्यायालय भी होने चाहिए। क्योंकि उसके अन्दर अनेक रियासतें होने के कारण आये दिन शासन सम्बन्धी अनेक उलझनें खड़ी होती रहेंगी, उनका यहाँ निर्णय हो जाय।

(५) यूनियन का कोष इसके लिए प्रत्येक राज्य की तरफ से कुछ कर सौंप दिये जावें।'

इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये बनाया गया विधान बहुत साफ नहीं है। विधान के अनुसार उसमें दो सभायें

होंगी। एक का नाम कौन्सिल आफ प्रिंसेस होगा और दूसरी का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्ज। पहली गे बड़ी रियासतों के नंगश और छोटी रियासतों की तरफ से सम्मिलित रूप से एक प्रतिनिधि होगा। कौन्सिल ऑफ प्रिंसेस के सदस्य नरेशों का एक एक चोट होगा।

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्ज में ५० हजार पर एक इस हिसाब संप्रजाजना के प्रतिनिधि होंगे। २५ हजार से ऊपर वाले समूह का भी एक प्रतिनिधि होगा। चुनाव के लिये रियासतें मिल भी सकती हैं। कौन्सिल ऑफ प्रिंसेस अपने में से एक सदस्य को यूनियन का अध्यक्ष चुनेगा जिसका कार्यकाल तीन साल का होगा। अध्यक्ष यूनियन का वैधानिक प्रधान होगा और यूनियन की कौन्सिल की सलाह से काम करेगा।

यूनियन की कौन्सिल में सात सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति कौन्सिल ऑफ प्रिंसेस उन नामों की सूची में से करेगी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा भेजी जावेगी। इसमें ऐसा कोई भी सदस्य हो सकता है जो यूनियन एसेम्बली की सदस्यता की पात्रता रखता है।

यूनियन के अधीन सभी विषयों पर दोनों हाउस अलग अलग विचार करेंगे।

यूनियन को सौंपे जाने वाले विषयों की सूची प्रकट है कि जमीन का लगान, महकमा जंगलात जैसे कई महकमे मय आय के रियासतों के ही अधीन छोड़ दिए गये हैं।

रियासतों के राजवंश और प्रदेशों की सीमाओं की सुरक्षितता का विधान में आश्वासन है। इसी प्रकार नरेशों के जेव-खर्च तथा उनके पद के साथ लगे हुए कई खर्चों को भी उसी प्रकार कायम रखने का आश्वासन है जैसे कि यूनियन का सदस्य बनते समय निश्चित किया जायगा।

यह योजना निःसन्देह दूसरे प्रान्तों के नरेशों द्वारा (जिनका हमें पता लगा है) बनाई गई योजनाओं से अधिक उदार, अधिक समझदारी भरी

और व्यावहारिकता का ध्यान रखने वाली भी है। परन्तु इसमें भी प्रजाजनों की सन्ना को मुक्त हृदय से सर्वोपरि नहीं माना गया है। नरेशों के हाउस को प्रजा प्रतिनिधियों के समान अधिकार देने से प्रगति में बाधा ही पड़ने वाली है। क्योंकि नरेशों और प्रजाजनों की मनोवृत्ति स्थार्थ, संस्कार तथा भूमिका में स्वभावतः बड़ा अंतर होने के कारण बार बार गतिरोध का अन्देशा रहेगा। शोपण कम जरूर होगा पर किस हद तक कम होगा इसका ठीक ठीक अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता।

दूसरी योजना बुन्देलखण्ड के नरेशों की है, वह इससे कहीं पिछङ्गी हुई और प्रतिगामी है। इसमें रूलर्स चेम्बर और पीपुल्स एसेम्बली इस तरह दो सभायें होगी। इसका नाम युनायटेड स्टेट्स ऑफ बुन्देलखण्ड होगा। शासन रूलर्स चेम्बर पीपुल्स एसेम्बली के सहयोग से करेगा। रूलर्स चेम्बर में बुन्देलखण्ड के सभी नरेश होंगे यूनियन से सम्बन्ध रखने वाले सभी अधिकार इस रूलर्स चेम्बर को होंगे, जिसकी मत संख्या ६६ होगी। सदस्य तो कम होंगे पर नरेशों को अपनी अपनी रियासतों की आवादी के अनुसार कम या अधिक मत होंगे।

पीपुल्स एसेम्बली में १२७ से ले कर १४७ तक सदस्य होंगे, जिनमें से ७७ चालिग मताधिकार के अनुसार इतने ही चुनाव क्षेत्रों से चुने जावेंगे और ५० में ले कर ७० नामजद होंगे। प्रजा प्रतिनिधियों को एक एक मत ही होगा।

नामजद सदस्यों की तफसील यह है—

(क)	प्रधान मन्त्री और अन्य मन्त्री--	५ से ७
(ख)	रियासतों के जागीरदार	२० से २५
(ग)	पिछङ्गी जातियाँ	१० से १५
(घ)	मजदूर वर्ग	१० से १५
(ङ)	विशेष हित	५ से ८
		५०--७०

मोटे तौर पर रूलर्स चेम्बर तथा पीपुल्स ऐसम्बली को प्रत्येक रियासत में नीचे लिखे अनुसार मत होंगे ।

रियासत	आवादी	रूलर्सचेम्बर्स	पीपुल्स ऐसेम्बली
ओरछा	३ लाख	१२	१०
दतिया	१५	१२	६
समधर	३३	४	३
पन्ना	२	६	७
चरखारी	१.२०	७	४
अजयगढ़	८६	४	३
मैहर	६१	४	३

इस प्रकार बड़ी रियासतों के नरेशों को अधिक और छोटी रियासतों के नरेशों को कम मत होंगे ।

रूलर्स चेम्बर एक एंजीक्यूटिव कौन्सिल का चुनाव अपने अन्दर से करेगा । उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित तीन से ले कर पाँच मदस्य होंगे । यह कौन्सिल रूलर्स चेम्बर की तरफ से यूनियन के तमाम शासन संचालन का काम करेगी । इसका कार्यकाल पाँच साल का होगा । अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव और कार्यकाल भी यही होगा ।

इस योजना का विधान अत्यत प्रतिगामी है । बजट पर दोनों सभाओं में बहस होगी, सिफारिशों भी होंगी पर उन्हें मंजूर नामंजूर करने, का अधिकार एंजीक्यूटिव कौन्सिल को ही होगा । इसके अतिरिक्त कुछ विषय और ऐसे रक्कें ही गये हैं जिन पर लोक प्रतिनिधि अपने मत नहीं देंगे ।

दोनों सभाओं के प्रस्तावों पर एंजीक्यूटिव कौन्सिल विचार करेगा । और अपना निर्णय देगा ।

बजट में नरेशों की प्रीवी पर्स के लिए राज्य की आय के २० से ले कर

३० प्रतिशत तक की व्यवस्था रखदी गई है जो स्पष्ट ही अत्यधिक है। आज के वातावरण में ऐसी योजनाओं को देख कर हँसी आती है।

मध्यभारत की कुछ छोटी रियासतों ने मिल कर यह तय किया है। बताया जाता है कि वे अपने ऐसे अलग अलग संघ बना लें जिनकी सलाना आय लगभग एक करोड़ के हो। इस योजना में खास हाथ भोपाल नरेश का दिखाई देता है। क्योंकि जब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती यह रियासत स्वतंत्र यूनिट के रूप में कायम रह ही नहीं सकती।

महाराष्ट्र की रियासतों के नरेश भी मिल कर अपना एक संघ बनाने का विचार कर रहे हैं। पिछ्ले दिनों वे महात्माजी से मिले थे। पर उनकी तरफ से उन्हें प्रोत्साहन ही मिला। महात्मा जी ने सलाह दी कि वे जो कुछ करना चाहें देशी-राज्य लोक-परिपद के शायक्त पं० जवाहरलालजी की सलाह और मार्ग-दर्शन में करें।

नंशों की एक और ऐसी योजना का भी पता लगा है। कहा जाता है कि काठियावाड़ गुजरात (वडौदा उनमें शामिल नहीं) दक्षिण राजपूताना मध्यभारत और उड़ीसा तक की रियासतें मिला कर वे पूर्व समुद्र से ले कर पश्चिम समुद्र तक का एक लम्बा रियासती कठिवन्ध बनाना चाहते हैं। दोनों समुद्रों पर उनके बन्दरगाह होंगे। और अपनी एक रेलवे लाइन भी होगी।

हिन्दुस्तान के संवाददाता ने अपने ३ अगस्त के एक सवाद में लिखा है—‘नरेश इस बात का बड़ा ढिलोरा पीटते रहे हैं कि हम भारत के वैधानिक विकास में बाधक नहीं बनना चाहते’ पर वह अब ढीला पड़ता जा रहा है। इस समय उनका रुख यह जान पड़ता है कि ब्रिटिश सत्ता के भारत से हट जाने के बाद रियासतें स्वतंत्र हो जाती हैं। उन पर किसी सर्वोंपरि सत्ता का प्रभुत्व नहीं रह जाता, भारतीय संघ में वे विदेशी

सम्बन्ध, यातायान और रक्षा के लिए समिलित होना चाहते हैं। लेकिन संधि के बाद।

संधि को नरेश अपनी पूर्ण स्वतंत्रता का घोतक मानते हैं। एक यदि भी विचार है कि केन्द्रीय संघ में समिलित होने के लिए सन्धि करने या न करने की स्वतंत्रता भी राजाओं को है।

सन्धि में अच्छी से अच्छी शर्तें पाने के लिए गुणवन्दी का प्रयत्न किया जा रहा है। ऐसे नीचे लिखे सात प्रांडांशक गुट शायद होंगे प्रत्येक गुट की रियासतों की संख्या वजैरा इस प्रकार है:—

गुट	संख्या	रकवा	जन स०	आय
(१) पश्चिमी भारत रि०	१६	२८०००	३०८	७
(२) गुजरात की रि०	१७	७०००	१०३	१८
(३) मध्य-भारत की रि०	२८	५१०००	१०७	८
(४) पूर्वी-भारत	२५	५६०००	८८	५
(५) दक्षिणी रि०	१०	१००००	२५	१०५
(६) पंजाब की रि०	१७	५००००	७५	८०५
(७) राजपूताना की रि०	२१	१०००००	१०३	१२०

यदि इस प्रकार प्रादेशिक गुट-बन गये तो स्पष्ट ही नरेन्द्र मण्डल का रूप भी जरूर ही बदलेगा। वह फिर केवल राजाओं की संस्था ही नहीं रहेगी राज्य मण्डल बन जावेगा। रियासतों की गुट बनाने की यह योजना बहुत पुरानी है। उस समय इस योजना का उद्देश्य शासन प्रबन्ध को उन्नत करने का था। इस समय यह योजना राजाओं की रियति को दढ़ करने और भावी भारत के शासन विधान में अधिक से अधिक अधिकार पाने के लिये कार्यान्वित की जा रही है। विकसित स्वरूप में यह कूप लैण्ड की

कल्पना का राजस्थान ही है, जो पाकिस्तान के जैसा ही समस्त देश की स्वाधीनता और एकता के लिये बाधा जनक होगा ।

नरेश इस हलचल में लगे हैं इसके कुछ और भी प्रमाण मिल रहे हैं । पश्चिमी भारत की कुछ रियासतों की एक कान्फ्रेन्स सितम्बर के प्रारंभ में हुई थी । जिसमें उन्होंने पश्चिमी भारत और गुजरात की रियासतों का ग्रप बनाने का निश्चय किया और उन्हें जवरदस्ती कहा अन्यत्र मिला देने का विरोध किया ।

उड़ीसा की रियासतें प्रान्त से स्वतंत्र नहीं रह सकती । उनका प्रदेश बहुत छोटा है । राष्ट्र निर्माण, कानून और सुव्यवस्था वगैरह सब उनके लिये असंभव होगा पहले वे उड़ीसा की मुहराज रही है । जात हुआ है कि उड़ीसा के प्रधान मन्त्री श्री हरं कृष्ण मेहताब से सलाह लेकर उड़ीसा के नरेशों ने अपनी एक बैठक करने का निश्चय किया था जिसमें यह तय हुआ था कि श्री मेहताब भी उपस्थित; रहेंगे और उनके सामने ये रियासतों के भविष्य पर विचार करेंगे । परन्तु कहा जाता है कि बीच ही में एक दिन उन्होंने अपनी बैठक कर ली । श्री मेहताब को उसके ममय दिन की सूचना भी नहीं दी और निश्चय कर लिया कि वे प्रान्त में शामिल नहीं होंगे जब कि इन रियासतों के कार्यर्थी श्रों ने यह तय किया है कि ये रियासतें उड़ीसा प्रान्त में मिला दी जावें ।

इस प्रकार नरेशों पर मिशन की घोषणा का असर तो सर्वत्र यही हुआ है कि अब हमारा भविष्य खतरे में है परन्तु उसकी उपाय-योजना प्रत्येक प्रान्त के नरेशों ने अपनी अपनी समझ के अनुसार अलग अलग प्रकार से की है । कुछ चिल्कुल पिछड़े हुये प्रतिक्रियावादी हैं तो दूसरे अधिक उदार हैं । परन्तु अपने पद और राजवंश का ख्याल और उसे बनाये रखने की चिन्ता सभी को है । और यह स्वाभाविक भी है ।

जनता की प्रतिक्रिया

कांग्रेस और लोक परिषद् के प्रस्ताव

कांग्रेस और अ. भा. देशीराज्य लोक परिषद् ने केबिनेट डेलीगेशन के वक्तव्य के रियासतों सम्बन्धी हिस्से पर अपनी राय नीचे लिखे प्रस्तावों में प्रकट की है—

कांग्रेस की कार्य समिति ने ता. २४ मई को मिशन के वक्तव्य पर एक लम्बा प्रस्ताव मंजूर किया था। उसमें देशी राज्यों से सम्बन्धित अंश पर कार्यसमिति ने कहा है—

कांग्रेस का प्रस्ताव

“वक्तव्य में रियासतों के बारे में जो कहा गया है वह अस्पष्ट है और बहुत कुछ आगे के निर्णय पर छोड़ दिया गया है। फिर भी कार्य समिति यह साफ कर देना चाहती है कि विधान सभा एक दम बेमेल तत्वों की नहीं बन सकेगी। और रियासतों की तरफ से भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका ऐसा जल्ल हो कि जो प्रान्तों की चुनाव पद्धति से जहाँ तक सभव हो अधिक सं अधिक मिलता जुलता हो।

कमिटी को यह जान कर बहुत चिन्ता हो रही है कि आज जब कि हम इतना आगे बढ़ गये हैं, कुछ रियासतों की सरकारें फौजों की सहायता ले कर अपने प्रजाजनों की भावनाओं को कुचलने का प्रयत्न कर रही हैं। रियासतों में ये नई घटनायें भारत के वर्तमान और भविष्य को देखते हुए बड़ा अर्थ रखती है। क्योंकि इनसे ज्ञात होता है कि कुछ रियासतों की सरकारें और सार्वभौम सत्ता का काम करने वालों की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(२४ मई १९४६ का कांग्रेस का प्रस्ताव)

अखिल भारत देशीराज्य लोकपरिपद् को—जनरल कौन्सिल ने डेलीगेशन के वक्तव्य पर नीचे लिखा प्रस्ताव मंजूर किया:—

“केविनेट डेलीगेशन और वाइसराय ने हिन्दुस्तान के लिए विधान बनाने के सम्बन्ध में समय समय पर जो वक्तव्य दिये, उन पर अ. भा. देशी रा० लोक परिपद् की जनरल कौन्सिल ने विचार किया। कौन्सिल को यह देख कर आश्चर्य और दुख हुआ कि इन तमाम बातचीतों और मशविरों में रियासती प्रजाजनों के प्रतिनिधियों को कहीं भी शामिल नहीं किया गया। हिन्दुस्तान का कोई विधान न तो कानून का रूप धारण कर सकता है और न उसका कोई परिणाम हो सकता है, जब तक कि वह रियासतों की नौ करोड़ जनता को लागू नहीं होगी। और जब तक इनके प्रतिनिधियों को इन मशविरों में शामिल नहीं किया जायगा, ऐसा कोई विधान बन भी नहीं सकता। हिन्दुस्तान के इतिहास में इस नाजुक प्रसंग पर रियासती जनता को जिस प्रकार मे अलग रख कर उसकी अवगणना की गई उस पर यह कौसिल अपना रोप प्रकट करती है।

फिर भी कौन्सिल ने तमाम खतरों का पूर्ण विचार कर लिया है और स्वतंत्र और संयुक्त भारत के निर्माण में—रियासतें जिसका आवश्यक और स्वयं शासित अंग होंगी—सहयोग देने को वह अब भी तैयार है। रियासती जनता की नीति का निर्णय उदयपुर के पिछले अधिवेशन में कर ही दिया गया है। यह कौसिल उसी पर कायम है। रियासतों में जनता की पूर्ण उत्तरदायी हुक्मत हो और रियासतें स्वतंत्र संघबद्ध भारत के अंगरूप हैं। हस आधार पर वह नीति कायम की गई है। उसमें यह भी कहा गया था कि भारत का शासन-विधान बनाने के लिए जिस किसी संस्था का निर्माण होगा, उसमें रियासती जनता के प्रतिनिधि हों और वे व्यापक मताधिकार के आधार पर चुने जावें।

नेशंसों की तरफ से स्वतंत्र और संयुक्त भारत के पक्ष में जो वक्तव्य प्रकाशित किया गया है उसका यह कौसिल स्वागत करता है। स्वतंत्र

भारत निश्चित रूप से जनतंत्री होगा। इसका तर्कसंगत प्रतिफल यह है कि रियासतों में भी उत्तरदायी शासन स्थापित हो जाने चाहिए। हिन्दुस्तान के किसी भी विधान में जनतंत्र और सामन्त प्रथा वाली एकतन्त्री हुक्मत का मेल नहीं हो सकता। कौन्सिल को अफसोस है कि इसको न तो ठीक तरह से नरेशों ने समझा है और न इसे स्वीकार किया है।

वाइसराय और डेलिगेशन की ता. १६ मई की घोषणा में रियासतों का उल्लेख बहुत थोड़ा और अस्पष्ट है। और विधान के निर्माण में वे किस तरह काम करेंगी इसकी कोई साफ तस्वीर सामने नहीं खड़ी होती। रियासतों के भीतरी ढाँचे के बारे में एक शब्द भी घोषणा में नहीं कहा गया है। रियासतों का वर्तमान संगठन तो सामन्तशाही और एकतन्त्री है और विधान परिषद् या संघीय यूनियन का संगठन प्रजातंत्री है। इनका मेल कैसे बैठेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

फिर भी नया विधान अमल में आते ही अंगरेजों की सार्वभौम सत्ता समाप्त हो जायगी इस घोषणा का कौन्सिल स्वागत करता है। सार्वभौम सत्ता की समाप्ति के मानी उन सुलहनामों और सन्धियों की भी समाप्ति है जो ब्रिटिश सरकार और रियासतों के बीच थीं। पूर्ण अन्त की तैयारी के रूप में मध्यकाल में भी इस सार्वभौम सत्ता के व्यवहार में आमूल परिवर्तन हो जाना जरूरी है।

केबिनेट डेलीगेशन और वायसराय ने विधान परिषद् की जो योजना सुझाई है, उसमें प्रान्तों के भी प्रतिनिधि होंगे। और रियासतों के भी। परन्तु रियासतों के प्रतिनिधि तो परिषद् की बैठक में आखिर आखिर में शरीक होंगे जब कि यूनियन केन्द्र के विधान पर विचार होगा।

प्रान्तों के और ग्राम्प के प्रतिनिधियों से प्रान्तों और जरूरत पड़ने पर इनके विधान बनाने के लिये कहा गया है, परन्तु इनके साथ साथ

रियासतों के लिए ऐसे ही विधान बनाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

कौन्सिल की राय है कि इस त्रुटि की पूर्ति होना जरूरी है। विधान-परिषद में प्रान्तों के साथ साथ रियासतों के प्रतिनिधियों का भी शुरू से ही जिर रहना इष्ट है। ताकि रियासतों के प्रतिनिधि भी अलग बैठ कर जब कि प्रान्तों के प्रतिनिधि प्रान्तों का विधान बनाते रहेंगे रियासतों के विधानों के लिए कुछ आधार भूत बातों को तय कर लेंगे।

इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए इस कौसल की राय है कि सीधे चुनावों के आधार पर बनी हुई धारा-सभायें जहाँ जहाँ भी हों, उनके सदस्यों को विधान-परिषद के लिए रियासतों के प्रतिनिधि चुनने वाले मनदाता बना दिये जायें। पर यह कदम तभी उठाया जाय जब सम्बन्धित रियासतों में नये सिरे से धारा-सभाओं के स्वतन्त्र चुनाव हो जावें।

दूसरी तमाम रियासतों के लिए अ. भा. देशीराज्य लोकपरिषद की रीजनल कौसिल के द्वारा विधान-परिषद के प्रतिनिधि चुने जावें। छोटी रियासतों की तरफ से सही प्रतिनिधि चुनने का मौजूदा स्थिति में यह अच्छे से अच्छा तरीका होगा।

कौसिल की यह भी राय है कि कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा सुझायी गई निगोशियेटिंग कमिटी में रियासती जनता के प्रतिनिधि होने चाहिए।

इसके अलावा नया विधान अमल में आने से पहले जो भी मध्य-कालीन व्यवस्था हो उसमें रियासतें प्रान्त और प्रान्त की सरकारों के बीच कोई सर्व सामान्य नीति कायम कर दी जावे। इसके लिए प्रान्तीय सरकारों, नंशों और रियासतों के प्रजाजनों के प्रतिनिधियों का एक सलाहकार कौसिल हो। यह कौसिल तमाम सामान्य मामलों को निपटावे, और विविध रियासतों में चलने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की नीतियों में सामंजस्य

स्थापित करने का काम करें ताकि उनके शासनों में किसी हद तक समानता लाई जा सके।

इसी प्रकार जिम्मेदारोंना हुँक्रमत की दिशा में रियासतों के भीतरी शासन में सुधारों के कदम जल्दी बढ़ाने की दिशा में भी यह कौन्सिल काम करे। फिर यह कौन्सिल रियासतों के समूहीकरण के प्रश्न पर भी विचार करे और देखे कि इनके किस प्रकार संघ बनाये जा सकते हैं, जो विशाल भारतीय संघ की इकाई बनने लायक बड़े हों और अन्य रियासतों को प्रान्तों में मिला दिया जा सके।

अंतःकाल की अवधि के बाद रियासतें एक एक या समूहों में गिल कर संघीय यूनियन में समान अधिकार वाली वरावरी की इकाइयां होंगी। उनका भीतरी शासन भी प्रान्तों के समान जनतन्त्री ही होगा।

(जून ११ सन् १९४६ दिल्ली,)

: १० :

रियासतों का समूहीकरण

वेविनेट मिशन के आगमन और उसके बाद अखिल भारतीय राजनीति और देशी राज्यों का राजनीति में भी तेजी से प्रत्यक्ष परिवर्तन शुरू हो गये हैं। प्रान्तों में स्वायत्त सरकारें काम करने लग गई हैं और कानूनों में भी अस्थाई राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो गई है। अब सवाल यह है कि भविष्य में रियासतों का स्वरूप क्या होगा?

भारतवर्ष की ५६२ रियासतों में से गिन्ती की कुछ को छोड़ कर शेष इतनी छोटी हैं कि वे एक स्वतंत्र और स्वशासित इकाई के रूप में आगे निभ नहीं सकतीं।

१७१ छोटी रियासतों की आय ६,५०,००० होती है। साधारणतः उम्मीद की जाती है कि यह रकम या इसका एक अच्छा हिस्सा इन रिया-

सतों के निवासियों की शिक्षा, आरोग्य, शासन प्रबन्ध अथवा अन्य सुख सुविधाओं पर लगाया जाता होगा। परन्तु इतनी छोटी-छोटी रियासतों की क्या तो आय हो, क्यों उनका शासन प्रबन्ध हो, और क्या वे अपने प्रजाजनों को सुख-सुविधायें दें। यह तो सारी-की-सारी रकम इनके नरेशों या जागीरदारों के खानगी खर्च में ही चली जाती है और प्रजाजन जीवन की आवश्यक शिक्षा-आरोग्य आदि की सुख-सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।

एक दूसरा उदाहरण लें। काटियावाड़ की २७४ छोटी रियासतों की आय १, ३५, ००,००० होती है। और इस आय में २७४ छोटी-छोटी सरकारें चल रही हैं। इनमें १० जरा बड़ी रियासतों को छोड़ दें तो प्रत्येक रियासत का औसत रकवा २५ वर्गमील और औसत आबादी ५०० मनुष्यों की पड़ती है। २०२ रियासतें इतनी छोटी हैं कि उनका रकवा पूरा १० वर्गमील भी नहीं और १३६ रियासतें ऐसी हैं, जिनका रकवा ५ वर्गमील के अंदर-अन्दर है। ७० रियासतें १ वर्गमील के भी अन्दर वाली हैं। स्थृत है कि ऐसी नामधारी रियायतों के लिये भावी शासन विधान में कोई स्थान नहीं हो सकता।

अतः अ. भा. देशी राज्य लोकपरिषद् ने वर्षों पहले अपने लुधियाना अधिवेशन में यह बात साफ-साफ तौर पर कह दी थी कि आने वाले स्वतंत्र भारतीय संघ में इतनी छोटी छोटी सैकड़ों रियासतें नहीं रह सकेंगी। संघ की स्वायत्त इकाई के रूप में अपने प्रजाजनों को जीवन की आधुनिक अनुकूलतायें तथा सुख-सुविधाओं की सामग्री प्रदान कर सकने लायक साधन जिनके पास होंगे वही रियासतें इक सकेंगी। शेष को या तो प्रान्तों में मिला दिया जायगा या बहुत सी रियासतों को एक साथ मिला कर उनके समूह को संघ की स्वतंत्र इकाई के रूप में बना दिया जायगा। प्रस्ताव में कहा गया था कि जिन रियासतों की आबादी लग-भग बीस लाख-और आय करीब पचास लाख रुपये होगी वे ही स्वतंत्र इकाई के रूप में

रह सकेंगी। परन्तु उदयपुर अधिवेशन में इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव हुआ, उसमें इन दो शर्तों को ऊँचा कर दिया गया। उसमें ठीक-मर्यादा तो नहीं बताई पर मोटे तौर पर यह बात जरूर कह दी कि वे ही रियासतें स्वतंत्र इकायों के रूप में रह सकेंगी, जो अपने प्रजाजनों के लिये आधुनिक सुधरे हुए शासन की तमाम सुख-सुविधायें मुहैया कर सकेंगी। इस प्रश्न पर लोक परिषद के जनरल कौंसिल की जून १९४६ वाली बैठक में फिर विचार हुआ और अपने प्रान्तीय संगठनों को कौंसिल ने यह आदेश दिया कि वे अपने प्रदेशों में रियासतों की जनता के प्रतिनिधियों की सलाह ले कर यह बतावें कि वहाँ उपर्युक्त कसौटियों को ध्यान में रखते हुए रियासतों का समूही करण किस प्रकार करना चाहते हैं। प्रत्येक प्रान्त में इस सम्बन्ध में चर्चायें हुईं। और प्रायः सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि इसी निर्णय पर पहुँच रहे हैं कि:—

(१) रियासत या उन के समूह छोटे छोटे नहीं; काफी बड़े हों, जिससे वे अपने प्रजाजनों को आधुनिक शासन की तमाम सुविधायें दे सकें।

(२) बड़ी रियासतों को भले ही रहने दिया जाय, परन्तु छोटी रियासतों के अलग समूह बनाने या उन्हें बड़ी रियासतों में शामिल करके रियासती रकबे को बढ़ाने के बजाय पासपड़ोस के प्रान्तों में मिला देना अधिक अच्छा होगा।

लोक परिषद के प्रांदेशिक संगठनों को समूहीकरण के विषय में निर्णय करने में और भी सहूलियत हो इस दृष्टि से लोक परिषद की स्थाई समिति ने गत सितम्बर में निश्चित कर दिया कि एक यूनिट की आवादी पचास लाख तथा आय कम से कम लगभग तीन करोड़ हो।

प्रांदेशिक संगठन इस आधार पर अपने प्रान्त की रियासतों के समूह किस प्रकार बनाये जा सकते हैं इस सम्बन्ध में मशविरा दर रहे हैं। अब तक इस विषय में जो जानकारी मिली है वह इस प्रकार है—

- (१) कश्मीर और जम्मू खुद बखुद एक काफी छँड़ी रियासत है।
- (२) पंजाब की प्रादेशिक लोक परिषद ने यह तय किया है कि सिक्ख रियासतों को छोड़ कर शेष को ब्रिटिश प्रान्त में मिला दिया जाय।
- (३) हिमालय प्रदेश की छोटी रियासतों को भी पंजाब में मिला देने की सिफारिश इन रियासतों के प्रतिनिधियों ने की है।
- (४) राजपृथ्वी के रिजनल कौन्सिल ने यह तय किया है कि समस्त राजपृथ्वी का एक पूरा यूनिट बना दिया जाय। और अजमेर मेरवाड़े का ब्रिटिश जिला भी इस यूनिट में जोड़ दिया जाय।

(५) मध्य-भारत में छोटी-मोटी बांसठ रियासतें हैं। युक्त प्रान्त की गामपुर और बनारस तथा मध्य प्रदेश की मकड़ाई नामक एक छोटी-सी रियासत भी मध्यभारत के साथ ही जुड़ी हुई है। प्रादेशिक कौन्सिल ने सिफारिश की है कि इन दीगर प्रान्तीय रियासतों को अपने अपने प्रान्तों अर्थात् क्रमशः युक्त प्रान्त और मध्य प्रदेश में जोड़ दिया जाय। इसके बाद इतिहास, संस्कृति, भाषा, परम्परा और भूगोल की दृष्टि से मध्यभारत के दो स्वतंत्र विभाग रह जाते हैं—मालवा और बुन्देलखण्ड-बघेलखण्ड। प्रादेशिक कौन्सिल ने सिफारिश की है कि मध्यभारत के ये ही दो स्वाभाविक यूनिट बना दिये जावें। मालवा में गवालियर, इन्दौर, भोपाल, और मालवा तथा भोपाल एजन्सी की रियासतें रहें और दूसरे यूनिट में बुन्देलखण्ड-बघेलखण्ड की तमाम रियासतें रहें। इस यूनिट को बड़ा और स्वयंपूर्ण बनाने के लिए भाषा और संस्कृति की दृष्टि से इसमें यू. पी. के बांदा और जालौन जिले भी जोड़े जा सकते हैं जो वास्तव में बुन्देलखण्ड के ही भाग हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के पुनः संगठन की चर्चायें चल रही हैं। अतः उसके भी बे हिस्से जो इन उपर्युक्त दो विभागों से संस्कृति भाषा वगैरा गे मिलते जुलते हों, उन्हें इन समूहों में जोड़ दिया जावे।

रियासतों का सवाल

इस प्रकार मध्यभारत के जो दो ग्रूप होंगे उनका आकार आवादी और आय इस प्रकार होगी:—

मध्य भारत के दो ग्रूपों के अंकड़े

ग्रूप	रि० की संख्या	रकवा	आवादी १६४१	आय १६३१
रीवाँ-बुन्देलखण्ड	३४	२४,४६६	३५४६३३१	१,२६,६५०००
बहुत् मालवा	२५	५३,७८०	७६४८८८८	५,६३,०१०००

(६) उड़ीसा की तमाम रियासतों के प्रतिनिधियों ने अपनी रियासतों को प्रान्त के साथ मिला देने की सिफारिश की है। (नरेशों ने इसका विरोध किया है।)

(७) महाराष्ट्र की रियासतें बहुत छोटी छोटी और बिखरी हुई हैं। अन्तः इनके प्रतिनिधियों की रिफारिश है कि इन्हें बम्बई प्रान्त में जोड़ दिया जाय।

(८) गुजरात-काठियावाड़ के रियासती कार्यकर्त्ताओं की कोई योजना अभी तक देखने को नहीं मिला है।

(९) मदरास अंतर्गत की रियासतों के कार्यकर्त्ताओं की यह सिफारिश है— (कोचीन के नरेश का भी उसे समर्थन है) कि त्रावणकोर और कोचीन को एक कर दिया जाय और उसके साथ ब्रिटिश मलावार का इलाका भी जोड़ कर एक बड़ा यूनिट केरल प्रान्त के रूप में बना दिया जाय।

पुढ़ कोटाई तथा बैंगनपल्ली को ब्रिटिश प्रान्त में जोड़ दिया जाय।

(१०) मणिपुर को आसाम प्रान्त में ही जोड़ दिया जाय।

(११) सिक्किम, त्रिपुरा और कूच विहार को बंगाल में जोड़ दिया जाय।

(१२) सीमान्त प्रान्त की रियासतें प्रान्त में ही मिला ली जावें।

(१३) बलूचिस्तान की कलात वगैरा रियासतें ब्रिटिश बलूचिस्तान के प्रान्त में जोड़ दी जावें।

यह तो मोटे तौर पर लोक प्रतिनिधि किस दिशा में सोच रहे हैं वह हुआ। नरेश स्वभावतः दूसरी ही दिशा में सोच रहे हैं। वे न केवल ब्रिटिश प्रान्तों में अपने प्रदेशों को मिला देने के खिलाफ हैं, बल्कि चाहते हैं कि उनकी अपनी रियासतें अलग रहें और उनकी राजगद्दी और राजसत्ता भी बरकरार रहे। बड़ी रियासतों के बारे में जहाँ तक उनकी प्रादेशिक सीमाओं और राजगद्दी या राजवंश के बने रहने से ताल्लुक है, शायद यह संभव है। बशतें कि वे अपने राज्यों में प्रातिनिधिक उत्तरदायी शासन शुरू कर दें। परन्तु ऐसी रियासतें तो ४-१० ही हो सकती हैं। शेष तमाम छोटी रियासतों को तो अपने अपने प्रादेशिक समूह बना कर संघ प्रणाली से ही राज्य करना होगा। और इन संघों में भी उत्तरदायी शासन तो होगा ही। पर प्रत्येक अंग का अलग अलग नहीं, सब का मिल कर उत्तरदायी शासन होगा। इस चीज को नरेश भी समझने लग गये हैं। परन्तु उनमें अभी इतनी दूरदर्शिता और साहस नहीं आया कि वे अभी से इस प्रकार के शासन स्थापित करके अपने प्रजाजनों के दिलों में अपने लिए स्थान पैदा कर लें। इसके विपरीत वे अभी तक अपनी गैर जिम्मेदार निरंकुशता के ही सपने देखते हैं। और इनके दीवान और सलाहकार वगैरा भी इनसे बहुत आगे नहीं है। शायद पीछे ही हैं। उत्तर-दायी शासन देने का निचार श्रागर कोई राजा कर भी रहा हो तो ये उसके इस कार्य को आत्मधातकी कहते हैं और आज इस जमाने में भी लोक-मत के प्रति इनके दिलों में निरादर और तिरस्कार पाया जाता है। अपनी कोठियों में बैठे बैठे वे शब तक यही अनुमान नहीं लगा पाये हैं कि लोक-शक्ति क्या वस्तु है। वास्तव में पोलिटिकल डिपार्टमेंट के हस्तक ये कर्मचारी ही रियासतों में लोक शक्ति के सबसे बड़े शत्रु हैं। इनके

रहते रियासतों में प्रगति की कोई आशा नहीं की जा सकती। उल्टे ये अपनी मूर्खता से रियासती जनता और नरेशों के बीच संघर्ष खड़ा करके परिस्थिति को राजा प्रजा और समस्त देश की दृष्टि से विगाड़ने का ही काम कर सकते हैं; इसलिए अ. भा. देशी राज्य लोकपरिषद की स्थाई समिति ने रियासतों में भी केन्द्र के समान अंतःकालीन सरकारें स्थापित करने और निगोशियेंटिंग कमेटी में रियासती जनता के प्रतानिधियों को शामिल करने की मांगें नीचे लिखे प्रस्तावों में आनंदी ता। १८ मितम्बर की दिल्ली वाली बैठक में की है:—

स्टैंडिंग कमिटि के वे दो प्रस्तावः—

रियासतों में अन्तःकालीन सरकारों की स्थापना के बिषय में

“अ. भा. देशी राज्य लोकपरिषद शुरू से रियासतों में जिम्मेदाराना हुक्मत की स्थापना के पक्ष में रही है और इसकी मांग असेंसे करती आई है। इस मांग की पूर्ति अब तक कभी की हो जानी चाहिए थी। पर इस माँग पर अब नई परिस्थिति के अनुसार विचार होना जरूरी है। हिन्दुस्तान में केन्द्रीय अंतःकालीन सरकार की स्थापना, तथा शीघ्र ही विधान परिषद की जो बैठकें शुरू होने वाली हैं, उनके कारण देश में नई परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं; जिनका रियासतों से भी अत्यंत नजदीक का सम्बन्ध है। और रियासतों में वैधानिक परिवर्तन का सवाल बहुत जरूरी हो गया है जिसमें अब देरी जरा भी वर्दाश्त नहीं हो सकती। रियासतों में आज जैसी हुक्मतें हैं, अगर ऐसी ही आगे भी जारी रहीं तो रियासतों की सरकारें और केन्द्रीय अंतःकालीन सरकार के बीच के सम्बन्धों में कठिनाइयाँ खड़ी होंगी और उनमें कटुता पैदा हो जायगी। भारतवर्ष के शासन में जो परिवर्तन हाल ही में हुए हैं, उनका असर जनता पर बड़ा गहरा पड़ा है। निकट भविष्य में पूर्ण स्वतंत्रता की स्थापना की संभावना का भी-जिसका उनके वर्तमान तथा भविष्य जीवन से निश्चित रूपेण घनिष्ठ सम्बन्ध

है, बड़ा गहरा असर पढ़ रहा है। जनता चाहती है कि वह समस्त देश के साथ रहे अतः इस बात के लिए जनता बड़ी अधीर और आतुर है कि ये परिवर्तन जल्दी से जल्दी हों। इन परिवर्तनों में तथा रियासतों में जिम्मेदाराना हुक्मत की स्थापना में जितनी देरी होगी उनसे गहरा असंतोष फैलेगा और शायद अनिष्ट परिणाम तथा संघर्ष भी होने की सम्भानायें हैं।

परिस्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए स्टैण्डिंग कमिटी महसूस करती है कि रियासतों में जिम्मेदाराना हुक्मत की स्थापना के कदम तुरन्त उठाये जाने चाहिए। ये कदम शेष भारत में हुए परिवर्तनों की दिशा में हों अर्थात् रियासतों में भी जनता की विश्वास पात्र अंतःकालीन सरकारों की स्थापना हो। रियासतों की ये अंतःकालीन सरकारें वहाँ पूर्ण उत्तरदायी शासनों की स्थापना के लिए तथा पड़ोसी रियासतों और प्रान्तों के साथ संघ बनाने या पूर्णतया मिल जाने के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए लोकप्रिय विधान निर्माची स्थित ओं के चुनावों की तैयारी के लिये उपयोगी-तत्र निर्माण करने का काम करें।

अखिल भारत विधान-परिषद की योजना से यह कार्य पद्धति मेल खाती हुई है। और इससे विधान परिषद में रियासतों की तरफ से उचित प्रधिनिधि भेजने में भी मदद मिलेगी।

अखिल भारतीय और रियासती परिस्थिति की गंभीरता, तथा घटनाये जिस बेग से घटती जा रही है उन्हें देखते हुए ऊपर बताये अनुसार रियासतों की समस्या को सुलझाना जरूरी है। जब कभी यूनियन और मौलिक अधिकारों और अन्य विषयों सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित हों और रियासतों के प्रतिनिधियों को अखिल भारतीय विधान परिषद में उपस्थित रहने की जरूरत हो, तो उसके लिए भी इस प्रश्न की तरफ ध्यान देना जरूरी है।

निगोशियेटिंग कमिटी के सम्बन्ध में

—ता. १८ सितम्बर की अपनी बैठक से अ. भा. देशी राज्यलोक-परिषद की स्टेटिंग कमिटी ने नीचे लिखा प्रस्ताव मंजूर किया था—

स्टेटिंग कमिटी को अफसोस है कि निगोशियेटिंग कमिटी के सदस्यों की नियुक्ति * हो गई, पर उनमें रियासती जनता के प्रतिनिधियां को नहीं लिया गया है। इस सम्बन्ध में कमिटी अ० भा० देशी राज्य लोक परिषद के ता० ११ जून के प्रस्ताव की तरफ सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान दिलाती है।

स्टेटिंग कमिटी की राय है कि केविनेट मिशन के वक्तव्य के अनुसार रियासती जनता के प्रतिनिधियों का लिया जाना जरूरी है। क्योंकि उस वक्तव्य में कहा गया है कि अन्तिम विधान परिषद में रियासतों को वे उचित प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं जो ब्रिटिश भारत के हिसाब से ६३ से

* ता० १४ सितम्बर को हिन्दुस्तान टाइम्स में निगोशियेटिंग कमिटी के सदस्यों के नाम इस प्रकार प्रकाशित हुए हैं—

- (१) भोपाल नाश्वर नरेन्द्र मण्डल के चान्सलर
- (२) महाराजा पटियाला प्रोचान्सलर
- (३) नवा नगर के जाम साहब
- (४) डूंगरपुर नरेश
- (५) सर मिर्जा इस्माइल, निजाम की एंजीक्यूटिव कॉसिल के प्रेसीडेंट
- (६) सर रामस्वामी मुदालियर, मसोर के दीवान
- (७) सर सी. पी. रामस्वामी ऐयर, ट्रांस इंकोर के दीवान
- (८) सर सुलतान एहमद, कान्टिटूयूशनल एडवाइजर टू दि चान्सलर.
- (९) सरदार के. एम. पन्नीकर, बीकानेर के प्राइम मिनिस्टर

मीर मकबूल महमूद इस कमिटी के सेक्रेटरी का काम करेंगे।

(अ. प्रे.)

अधिक नहीं होगा। पर इन प्रतिनिधियों के चुनाव का निश्चय बाद में आवश्यक मशविरा करके कर लिया जावेगा। शुरू शुरू में रियासतों का प्रतिनिधित्व निगोशियेटिंग कमिटी करेगी। फिर बाद में भारत मन्त्री ने अपने १७ मई के खुलासे में कहा है—निगोशियेटिंग कमिटी का निर्माण तभाम सम्बन्धित पक्ष की सलाह से किया जायगा।

तदनुसार कमिटी का यह मत है कि जब तक निगोशियेटिंग कमिटी में रियासती जनता का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा उसका निर्माण वैध नहीं माना जायगा।”

११ :

आज के प्रश्न

रियासतों का सवाल धीरे धीरे किस प्रकार अखिल भारतीय परिस्थिति के साथ साथ आगे बढ़ता जा रहा है यह हम अब तक देख चुके। एक समय वह था जब रियासतों की जनता एक दम निगशा के अंधकार में थी। उसे कुछ सूझता नहीं था कि वह क्या करें? वह बिलकुल नहीं जानती थी कि उसके लिए कुछ हो भी सकता है? शुरू शुरू में जब कि उनकी स्वतंत्रता हाल ही में छिनी थी नरेश ऐसे अत्याचारी भी नहीं थे। प्रजाजनों के साथ उनका निकट का सम्बन्ध था। वे जनता से मिलते जुलते थे। और अगर वे कभी कभी अन्याय भी कर डालते तो जनता को उनसे इतना रोप भी नहीं होता था। उलटे अपने श्री-हीन नरेशों के साथ उसे कुछ सहानुभूति ही थी। और पुराने नरेशों के बेरहमी के साथ लुटे हुए वैभव और सत्ता को याद करके उसकी आँखों में आंसू भी आ जाते और वह उनके अन्यायों तथा दोषों को उदारता पूर्वक सह लेती थी। पर धीरे धीरे वह समय बीतने लगा।

धीरे धीरे उत्तरदायित्वहीन सत्ता और अदृष्ट वैभव नरेशों के पतन का कारण बना। रहे सहे पुरुषार्थ और स्वाभिमान ने भी उनसे बिदा लेली। वे पूरी तरह से विदेशी सत्ता के गुजाम और मोहताज हो गये। जिसे सिवा साम्राज्य की रक्षा के जनता की भलाई और सेवा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। संरक्षित विलास को तो कर्तव्य-शून्य होना ही था। नरेशों के मातहतों ने इसका पूरा कायदा उठाना शुरू किया और वे दोनों हाथों से प्रजा को लूटने लग गये। शोषण बगैर अत्याचार के कहाँ संभव है? अब इन अत्याचारी कर्मचारियों की शिकायत प्रजाजन किसके पास ले जावें? नरेश या तो शाराव के नशों में चूर होकर कहाँ किसी महल में पड़े रहते या देश विदेश के सैर-सपाटों पर रहते। तब कानून

के जानकार उन्हें सलाह देते कि नरेशों की निगह बानी पोलिटीकल एजन्ट किया करते हैं। उनसे शिकायतें करनी चाहिए। इस तरह अ्यक्तिगत मामले पोलिटिकल एजन्ट और रेसिडेन्ट के पास पास पहुँचते। किन्तु जनता को तो कुछ भान भी नहीं था। धीरे धीरे ब्रिटिश भारत की राजनैतिक हल चलों का उस पर भी असर पड़ने लगा और सामूहिक शिकायतें भी पोलिटिकल एजन्ट के पास कार्यकर्ताओं भेजने लगे। किन्तु ज्यों ज्यों उनका स्वाभिमान जागृत होने लगा कार्यकर्ताओं को अपने ही नरेशों की शिकायतें विदेशी सत्ता के राजनैतिक विभाग के पास ले जाना अपमानजनक मालूम होने लगा। और वे कॉंग्रेस के नेताओं के पास आने लगे। किन्तु जैसा कि हम देखते हैं कॉंग्रेस ने शुरू शुरू में कई वयों तक अपने आपको रियासती राजनीति से अलग रखा। वह समझते थे कि सारी बुराइयों की जड़ तो विदेशी सत्ता है। उसके हटने पर उसके भरोसे पर कूदने वाले नरेश अपने आप सीधे हो जावेंगे और दूसरे, अगर मान लें कि हमें नरेशों से लड़ना है तो भी आज ही उनसे भी लड़ाई मोल लेना बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। इसलिए कॉंग्रेस के नेताओं ने रियासती जनता और कार्यकर्ताओं को यही समझाया कि अभी कॉंग्रेस उनके लिए कुछ भी करने में असमर्थ हैं। सबसे पहला और जरूरी सवाल तो है विदेशी सत्ता को यहां से हटाना। और इसलिए फिलहाल रियासतों में दीवार से सिर टकराने की अपेक्षा वे भी अपनी सारी शक्ति ब्रिटिश भारत की लड़ाई में ही लगा दें। नेताओं की इस सलाह को रियासती कार्यकर्ताओं और जनता ने भी माना और ब्रिटिश भारत की लड़ाइयों में पूरा सहयोग दिया। और इसका परिणाम भी अच्छा हुआ। इससे—

(१) ब्रिटिश भारत के नेता रियासतों और रियासत कार्यकर्ताओं के अधिक सम्पर्क में आये और इस प्रश्न में उनकी दिलचस्पी बढ़ी।

(२) ब्रिटिश भारत और रियासती कार्यकर्ताओं के सम्मिलित

आक्रमण से अंग्रेज सरकार की ताकत भी कमज़ोर हुई। क्रमशः वह लोक शक्ति के सामने झुक चली।

(३) कार्यकर्ताओं, तथा जनता पर भी असर पड़ा। रियासती कार्यकर्ता अपने विटिश भारत के अनुभव को लेकर रियासतों में विविध प्रकार की सार्व-जनिक प्रवृत्तियाँ शुरू करने लगे और जनता भी अब उनकी इन सेवाओं से प्रभावित होने लगी।

रियासती अधिकारियों के दृष्टि-कोण में भी क्रमशः कुछ फर्क पड़ने लगा—यद्यपि उनके प्रत्येक व्यवहार में कोई अन्तर नहीं पड़ा।

(४) रियासतों में अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिये छोटे बड़े पैमाने पर लड़ाइयाँ होने लगीं और

(५) अन्त में विटिश भारत तथा रियासतों की जनता दोनों अपने भेद भावों को भूल कर इस तरह एक जीव हो गये कि १९४२ के पिछले संघर्ष में सारा हिन्दुस्तान एक साथ बागी हो गया। रियासतों और विटिश भारत में कोई अन्तर नहीं रह गया और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? जैसा कि प्रकट है:—

(१) अंग्रेज सरकार को यह निश्चय हो गया कि अब उसके लिये हिन्दुस्तान पर हुक्मत चलाना असंभव है। क्योंकि जनता तो बागी हो ही गई थी। पर जिनके बलपर वह यहाँ राज्य करती थी वह नौज, पुलिस, जल सेना और सरकारी नौकर सब में उसके प्रति पहले जो वफादारी की भावना थी वह जड़ मूल से उखड़ गई। इसलिये इज्जत के साथ यहाँ से विदा लेने ही में शोभा है।

(२) नये विवान का अमल शुरू होते ही उसने रियासतों पर से भी अपनी सार्वभौम सत्ता हटा लेने का ऐलान कर दिया।

(३) इन घोषणाओं और प्रत्यक्ष घटनाओं से नरेशों की नींद एकदम उच्छ गई। और अब तक वे जो बिलकुल बे फिक्र थे और अपने प्रजाजनों की कोई परवाह नहीं करते थे सो होश में आ गये। प्रजा-सेवा की भाषा उनकी जबान से सुनाई देने लगी। देश की समस्त जनता के साथ वे भी भारतीय स्वतंत्रता को चाहते हैं ऐसे भाषण और प्रस्ताव भी होने लगे। पर साथ ही वे यह भी कहते हैं कि उनकी पद-प्रतिष्ठा और रियासतों की सीमायें अनुएण रहनी चाहिए।

(४) स्वतंत्र भारत तो संघ-बद्ध होगा। उसमें इतनी छोटी छोटी रियासतों का इकाई के रूप में बने रहना असंभव है। इसलिये नरेश यह भी समझ गये कि छोटी रियासतों को समूह बनाने होंगे। वे यह भी जान गये कि:-

(५) समूह बन जाने पर उनकी यह प्रतिष्ठा तो नहीं रहेगी। शासन को जनता की इच्छा के अनुकूल बन कर रहना होगा। ऐसा शासन तो जनतन्त्री पद्धति का उत्तरदायी शासन ही हो सकता है। त्रिटिश प्रान्तों में जनतन्त्री शासन हो और रियासतों में एक तंत्री रहे यह तो असंभव है। अतः इसके लिये भी नरेश अपने को तैयार करने लग गये।

पर यह सब अभी कल्पना जगत और विचार द्वेष से होकर योजनाओं के रूप में केवल कागज पर आने लगा है। प्रत्यक्ष व्यवहार की इष्टि से रियासतों के वातावरण में अभी कोई खास अन्तर नहीं पड़ा है। बल्कि इन सब घटनाओं की उल्टी प्रतिक्रिया अनेक रियासतों में देखने में आती है। हैदराबाद, काश्मीर, फरीदकोट, भोपाल, बीकानेर व गैरा इसके उदाहरण हैं। इसका कारण नरेशों की निराशा हो सकती है। पर उससे भी बड़ा कारण भारत सरकार के राजनीतिक विभाग की शरारत, नरेशों का स्वार्थ और रियासती कर्मचारियों की गुलामी भी हो सकती है और इस सब की तह में शायद अंग्रेज कौम की गन्दी नीयत भी हो। कौन जाने। इसने

भारतीय स्वतंत्रता के मार्ग में अब तक इतने और इतनी प्रकार से रोड़े अटकाये हैं कि उसकी नीयत में ऐसा शक होना आश्चर्य की बात नहीं हो सकती। अन्यथा एक तरफ दिल्ली में मन्त्रि-मिशन कॉंग्रेस से सत्ता के परिवर्तन के विषय में सलाह कर रहा है और दूसरी तरफ काश्मीर का प्रधान मन्त्री उसी कॉंग्रेस के खुद सभापति को गिरफ्तार करने की हिम्मत करता है। पोलिटिकल विभाग का इसमें हाथ नहीं है ऐसा कौन मानेगा? फिर इसी समय फरीद कोट में जनता पर अकथनीय जुल्म होते हैं। एक तरफ केन्द्र में अस्थाई सरकार कायम करने की चर्चायें होती हैं और उधर कलकत्ता में भयंकर हत्याकारण होते हैं। एक तरफ अस्थाई सरकार में लीग शामिल होने जा रही हैं और दूसरी तरफ पूर्व बंगाल में हिन्दुओं का कल्पेत्राम, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, स्त्रियों का अपहरण बलात्कार और जबरदस्ती की शादियाँ होती हैं और गाँव के गाँव जला दिये जाते हैं। बंगाल में बागी लीग का मन्त्री-मण्डल होगा। पर साम्राज्य सरकार को छलाने वाले गवर्नर और गवर्नर जनरल भी तो अभी विदा नहीं हो गये हैं। सूचनायें मिल जाने पर भी गवर्नर दार्जिलिंग की ओर गवर्नर जनरल बम्बई की सैर पर चले जाते हैं और अल्प संख्यक हिन्दू बहुसंख्यक आताताइयों के सामने बलि के पशुओं के समान अरक्षित और हत्या के लिये छोड़ दिये जाते हैं। पूर्व बंगाल के विषय में जो बयान गवर्नर ने पालिंयामेंट को भेजे उनमें भी घटनाओं की वास्तविकता को दबाया गया है। इन सब को देख कर अंग्रेजों के नियत के विषय में शक होना बिल्कुल स्वाभाविक है।

ऐसी सूत में क्या ब्रिटिश भारत की और क्या रियासती जनता को बहुत सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है। हम यह कैसे मान लें कि सब कुछ ठीक है। अब भी नरेशों को और मुस्लिम लीग को हिन्दुस्तान की आजादी का रोड़ा बना कर विदेशी हुक्मत अपनी उम्म को कुछ बढ़ा सकती है। या कम से कम ऐसा प्रयत्न तो कर सकती है। अथवा जैसी कि मुसलिम लीग के जिम्मेदार नेताओं ने धमकी दी है रूस जैसी किसी

तीसरी ताकत को लाने का प्रयत्न^१ भी हो सकता है। वह सचमुच आवेदी या उसे आने दिया जायगा या नहीं यह दूसरा सवाल है। परन्तु ये सब घटनायें और चिन्ह ऐसे हैं जो संकेत करते हैं कि हमें बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए जहाँ हम इस बात पर समाधान मान सकते हैं कि हमारी बहुत-सी समस्यायें हल होती जा रही हैं। तहाँ हमें यह नहीं भूलना है कि ऐसी ही बल्कि इनसे भी कहाँ अधिक मुश्किल समस्यायें अभी हमारे सामने हैं और संभव है वे हम से अभी कहाँ अधिक त्याग, परिश्रम, दक्षता, एकता और कुर्बानी की अपेक्षा करें।

वे समस्यायें क्या हैं?

हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी विधान परिषद में रियासती जनता के लिये पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का है। विधान परिषद में रियासतों के ६३ प्रतिनिधि होंगे। पर इनका चुनाव कैसे होगा? कुछ नरेशों ने यह घोषणा कर दी है कि उनकी रियासतों से आधे प्रतिनिधि जनता के चुने हुए और आधे नामजद होंगे। वाजिब तो यही है कि विधान परिषद में सब के सब प्रतिनिधि जनता के चुने हुए ही जावें। परन्तु यह कैसे संभव होगा यह कहना कठिन है। अतः कम से कम हमारा यह प्रयत्न तो जरूर हो कि हम अधिक से अधिक प्रतिनिधि जनता के चुने हुए भेजें। पर जब तक हमारी माँग के पीछे मजबूत और व्यापक संगठन का बल नहीं होगा वह लैफिल नहीं हो सकती। इसलिये एक संगठन के रूप में समस्त देशी राज्यों में इस समय यह जोरदार आनंदोलन छेड़ देने की जरूरत है कि विधान परिषद में जनता के प्रतिनिधि ही जावें। संगठन जितना बलवान होगा उतना ही उसका असर होगा।

दूसरे अभी जो निगोशियेटिंग कमिटी बनी है उसमें जनता का एक भी प्रतिनिधि नहीं है हालांकि भारत मन्त्री का यह साफ आश्वासन है कि उसके निर्माण के समय सभी सम्बन्धित दलों से मशाविरा कर लिया

जायगा। परन्तु इसका पालन नहीं हुआ। हमें अपनी श्रावाज इस तरह बुलन्द करनी चाहिए कि इसमें प्रजाजनों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। प्रांतों की तरफ से जो प्रतिनिधि निगोशियेटिंग कमिटी से बातचीत करने के लिए आवें उन पर, तथा ब्रिटिश सरकार पर भी हमें यह असर डालना है कि वे इस कमिटी के निर्माण को वैध न मानें और उससे कोई व्यवहार न करें। अगर उन्होंने हमारी मांग को न माना तो हम साफ़ कह दें कि उसके निर्णय हमारे लिए बाध्य नहीं होंगे। सचमुच यह एक अजीब बात है कि हमारे भाग्य का निर्णय राजा लोग और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि करने वैठे और उसमें हमारा कोई हाथ न हो। यह प्रभु अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि यही कमिटी निर्णय करने वाली है कि विधान परिषद् के लिए रियासतों के प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जावेंगे। इन प्रतिनिधियों का चुनाव न केवल जलदी बल्कि सही सही भी हो। और नंशों की मौजूदा सरकारों से इसकी बहुत कम आशा है।

इसलिए संघ की स्वतन्त्र इकाई बनने लायक बड़ी रियासतों में अभी से विधान समितियां बना दी जानी चाहिए। इसी प्रकार छोटी रियासतों को एक हो कर अपने इतने बड़े समूह बना लेने चाहिए जो संघ की इकाई बन सकें। और इन समूहों को भी अपने विधान बनाने के लिए विधान-समितियां बन लेनी चाहिए। फिर प्रान्तों में और केंद्र में जिस प्रकार लोकप्रिय मरकारों कायम हों गई हैं उसी प्रकार बड़ी रियासतों और छोटी रियासतों के इन समूहों में भी अंतःकालीन सरकारों का बन जावा जरूरी है जिससे ये सब सामंजस्य पूर्वक काम कर सकें। अन्यथा राजाओं या उनके नामजद मन्त्रियों का प्रान्तों के चुने हुए लोकतन्त्री विचार वाले प्रतिनिधियों से मेल बैठना कठिन होगा।

रियासतों के समूह या संघ बनाते समय हमें एक दो मोटी बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। एक तो यह कि ऐसे संघ काफी बड़े हों जिससे वे अपने प्रजाजनों के जीवन की सब सुख सुविधायें मुहैया कर सकें। दूसरे यह

कि रियासतों के ये ग्रूप कहाँ प्रतिगामी शक्तियों के गढ़ नहीं बन जावें। इसलिए छोटी रियासतों को वड़ी रियासतों में मिलाने के बजाय पड़ोस के प्रान्त में मिलाने पर ही हम अधिक जोर दें।

एक और बात है। कुछ नरेश जिनकी रियासतें स्वतंत्र ग्रूप बनने लायक वड़ी नहीं हैं अपने साथ दूसरी छोटी रियासतों को मिला कर उन पर अपनी छाप डालना चाहेंगे, छोटी रियासतों की जनना और उनके नरेशों को भी इस विषय में सावधान रहना होगा। और इस बात का ध्यान रखना होगा कि संघ की इकाई के अन्दर कोई किसी पर अपना प्रभुत्व नहीं जतावे।

अब शासन का अन्तिम विधान बनाने का प्रश्न रह जाता है। जाहिर है कि—

(१) भारतीय संघ को समस्त इकाइयों में शासन का तरीका एकसा ही हो। प्रान्तों में एक तरह का और रियासतों में दूसरे प्रकार का शासन जरा भी बदाश्त नहीं किया जा सकेगा।

(२) फेन्ड्रीय शासन में भी रियासती जनता के प्रतिनिधि प्रान्तों के प्रतिनिधियों के समान भागीदार होंगे।

ऐसा प्रतीत होता है कि देश की मोजदा अवस्था में नंश —कम-से-कम कुछ बड़े नरेश तो रहेंगे। और छोटे भी पैशानर के रूप में रहेंगे। बड़े नरेश अपने राज्यों में वैधानिक मुखिया के रूप में काम करेंगे। उनके अधिकार अत्यंत सीमित रहेंगे। सरे कानून धारा सभा के द्वारा बनेंगे और असल शासन धारा सभा के प्रति उत्तरदायी मन्त्र-मण्डल के द्वारा ही होगा। छोटे नरेश शायद बारी बारी से साल साल दो दो साल के लिए अपने प्रान्तीय संघ के वैधानिक मुखिया रहेंगे। अभी नरेन्द्र मण्डल के भीतर और बाहर नरेशों के जो मशविरे चल रहे हैं उनमें वे तो भरसक

यही कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास अधिक से अधिक सत्ता रहे। पर वे शायद भूलते हैं कि इसका निर्णय करना केवल उनके हाथों में नहीं है। सत्ता को मानना न मानना प्रजाजनों के हाथ की बात है। और आज ब्रिटिश भारत और रियसतों की जनता इतनी जागृत जरूर है कि वह अपनी सार्वभौमता पर नरेशों की सत्ता को कभी मंजूर नहीं करेगी।

रहा नरेशों के खर्च का सवाल? यह तो असंभव है कि उनका खानगी खर्च आज के समान ही आगे चलता रहे। लोक संगठनों ने अब तक जान बूझ कर इस प्रश्न को नहीं छेड़ा था। इसमें सिवा मर्यादा के और कोई कारण नहीं था पर अब जब कि सारी व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं, इसका भी विचार होगा ही। अब तक राज्य-कोष का एक बहुत बड़ा हिस्सा राज-परिवार पर खर्च होता रहा है जिसका मुआवजा जनता को कुछ नहीं मिलता था; और राज्य के लोकोपकारी महकमे धन के अभाव में मुस्त पड़े रहते। यह हालत अब आगे हरगिज जारी नहीं रहने दी जा सकती।

समय आ गया है कि अब भारतीय नरेश खुद-वखुद अपनी मर्यादाओं को पहचानें। अगर वे नहीं समझेंगे तो उनके प्रजाजनों को अपनी तरफ से नरेशों के अधिकारों पर नियन्त्रण और मर्यादाएं लगानी होगी। जनसंगठन इस दिशा में अब तुरन्त लोकमत को शिक्षित करना प्रारम्भ कर दे।

इस सम्बन्ध में और नहीं तो कम से कम इंग्लैंड का ही उदाहरण नरेश लें। वहाँ राष्ट्र की आय-व्यय पर पार्लियामेंट का संपूर्ण नियन्त्रण होता है। वह निर्णय करती है कि करों से कितनी रकम किस प्रकार प्रति वर्ष एकत्र की जाय और किस प्रकार उसका विनियोग हो। उसके विचार और निर्णय से बाहर एक भी मद नहीं छोड़ी जाती। दूसरी तरफ मदों के अनुसार राजा के जेव खर्च की रकम पर भी पार्लियामेंट विचार करती है और उसको खुद मंजूर करती है। पर उसमें एक खास पद्धति

है। पार्लियामेंट राजा के खानगी खर्च की मद पर शासन की अन्य मदों की भाँति प्रति वर्ष विचार नहीं करती। प्रत्येक राजा के शासन काल के प्रारम्भ में एक बार विचार करके वह निर्णय कर देती है और यह रकम—जब तक वह राजा राज्य करता है—प्रतिवर्ष उसे मिलती रहती है। इसमें फिर बीच में बार-बार जाँच या पुनर्विचार नहीं किया जाता। उस समय उसकी तमाम जरूरतों पर विचार कर लिया जाता है और तदनुसार उसमें फेर-बदल कर दिया जाता है। बस, इसके बाद जो रकम मंजूर हो जाती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। पर जो मन्जूर होता है, शासन के दूसर विभागों की भाँति बादशाह को भी उसकी मर्यादा में रहना पड़ता है। यह ख्याल करना भी गलत है कि इस प्रकार मन्जूर हुई रकम का विनियोग करने में राजा फिर स्वतन्त्र है, और उसका आँडिट वगैरा नहीं होता। आँडिट हर साल होता है और प्रत्येक राजा के कार्य काल के अन्त में उसके खानगी खर्च को प्रकाशित भी किया जाता है और इसके प्रकाश में नये राजा के लिये बजट बनते हैं। यह भी ध्यान में रहे कि पार्लियामेंट से इंगलैंड के राजा के खर्च के लिये जो रकम मन्जूर होती है उसके अलावा उसके पास आय के अन्य कोई माध्यन नहीं होते। वेशक, कार्नवाल और लैंकेस्टर की डचीज उसकी खानगी संपत्ति हैं, परन्तु इनका उपभोग वह नहीं करता। उसने यह संपत्ति राष्ट्र को अर्पित कर दे है और इंगलैंड में यह परिपाठी है कि जब नया राजा सिंहासन पर आता है तब यह पार्लियामेंट को यह संदेश भेजता है कि “राजा की व्यक्तिगत जायदाद राष्ट्र को अर्पित है और वह अपने तथा अपने निर्वाह के लिये पूर्णतः पार्लियामेंट की उदारता पर निर्भर है।” स्मरण रहे कि राजा के लिये पार्लियामेंट से जो रकम मन्जूर है उससे तिगुनी आय इन जायदादों की है।^१

इंगलैंड के राजा की सिविल लिस्ट सारे राष्ट्र के बजट के एक प्रतिशत का पन्द्रहवाँ हिस्सा है।। पर यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमें

विश्वास है नरेश समझदारी से काम लेंगे और इंग्लैंड के बादशाह की भाँति खुद ही अपने खर्च की रकमें कम कर लेंगे अःयथा जनता को तो कम करनी ही होंगी। पर असली सवाल है स्वराज्य के निर्माण का, हम उस पर विचार करें।

खैर, तो स्वराज्य की कुछ मोटी-सी रूपरेखा इस तरह धीरे धीरे बनती जा रही है। पर वह इतनी मोटी अस्थष्ट और अस्थाई है कि उसका अंतिम रूप क्या होगा यह कहना बहुत कठिन है। परन्तु जिस प्रकार हम अब तक आगे बढ़ते आये एक निश्चित उद्देश्य को लेकर आगे भी इसी प्रकार मजबूती से कदम बढ़ाते हुए हमें जाना होगा। राष्ट्र निर्माता घटनाओं को उनके अपने प्रवाह पर नहीं छोड़ दिया करते। दूरदर्शिता के साथ सोच समझ कर बरसों पहले से अपने उद्देश्यों को कायम करते हैं और तदनुसार योजनायें बना कर ढढ़ता पूर्वक उन्हें पूरी करने में लग जाते हैं प्रवाह में वे बहते नहीं प्रवाह को मोड़ने की ज़मता रखते हैं।

अभी तक जो पू० महात्मा जी के मार्गदर्शन में अपना रस्ता तय किया है। उसके अनुसार कुछ मोटी मोटी बातें ये तय पाई हैं—

- १ स्वराज्य अथवा उत्तरदायी शासन हम शान्त तरीकों से हासिल करेंगे।
- २ देश के टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे। सभी जातियाँ हेलमेल से रहेंगी।
- ३ शासन का तरीका जनतन्त्रात्मक होगा। सच्चा जनतन्त्र अहिंसा के आधार पर ही कायम हो सकता है।

जाहिर है जब तक संपूर्ण जनता अपने अधिकारों को और जिम्मेवारियों को समझ कर के तदनुसार अपने कर्तव्यों के पालन में नहीं लग जावेगी ऐसा अहिंसात्मक जनतंत्र नहीं आ सकता।

ऐसे जनतन्त्र को लाने के लिए अखिल भारतीय भूमिका पर जितना कुछ किया जा सकता था हो गया है और इसी प्रकार आगे भी होता

रहेगा। पर हमें भीतर से भी इस प्रश्न को हल करने का अपना यत्ता जारी रखना है उस दिशा में हम क्या कर सकते हैं इस पर भी थोड़ा विचार कर लें।

सब से पहली बात तो यह है कि हमें इन तमाम परिवर्तनों के लिए जनता को भी तैयार करना है। इसलिए प्रत्येक रियासत में जन संगठनों का होना जरूरी है। अतः ऐसे जन संगठन जहाँ न हो वहाँ तुरन्त कायम किये जावें और जहाँ पहले से हों उनका विस्तार गांव गांव में फैला कर जनता में अपने अधिकारों और जिम्मेवारियों का भान पैदा कर देना चाहिए। आज भी ग्रामों की असंख्य जनता अज्ञान के घोर अंधकार में पड़ी है और उसके इस अज्ञान से अनुचित लाभ उठा कर छोटे मोटे व्यापारी, वकील, दूकानदार और सेठ-साहूकार उनका शोषण करते रहते हैं और सरकारी कर्मचारी तथा गुण्डे उनको भय से आतंकित करते रहते हैं। हमें उनमें ऐसी जान डाल देनी है कि जिससे वे अन्याय के सामने झुकें नहीं और जुल्मों को कभी बरदाश्त नहीं करें। स्वतन्त्र और पुरुषार्थी देशों की जनता की सुख समृद्धि और पराक्रम की मिसालें दे कर उनके पुरुषार्थ और तेजस्विता को भी जगाना चाहिए और अच्छा और ऊँचा जीवन विताने की प्रेरणा उनके अन्दर निर्माण करनी चाहिए। यह सब काम गांवों और कस्बों की मुकामी कमिटियों के जरिये हो सकता है। इन कमिटियों में कस्बे या गांव के नेक, प्रतिष्ठित, निर्भय, त्यागी, और सूझ बूझ वाले नागरिक हों और वे जनता की रोजर्मर्ग की तकलीफों की तरफ ध्यान दे कर उन्हें दूर करने की कोशिश में रहें। जो केवल जनता की सुस्ती, अज्ञान, भीमता से पैदा हुई हों उन्हें जनता द्वारा ही दूर करावें जिनमें सरकारी कर्मचारी कारण हों उन्हें इन कर्मचारियों को समझा कर दूर किया जाय और जिनको वे भी समझाने बुझाने पर दूर न करें उनके लिये जनता को लड़ने के लिए तैयार किया जाय। पर इतनी तैयारी एक दम नहीं होती। इसलिए कार्यकर्ताओं को

अधीर नहीं होना चाहिए आम तौर पर जनता पहले यह चाहती है कि कार्यकर्ता इन तकलीफों को दूर करा दें और उसे कुछ नहीं करना पड़े। इसका कारण उसका स्वाभाविक भय और अज्ञान है इसलिए कार्यकर्ताओं को कष्ट उठा कर भी जेल जा कर भी जनता की तकलीफें दूर करने का यत्न करना चाहिए। उससे अपने आप जनता की आत्मा भी धीरे धीरे जागती जाती है। कार्यकर्ताओं की कुशलता इसी रो है कि वह जनता के सामने ऐसे कार्यक्रम रखते जावें कि जिसमें अपने आप जनता की तेजस्विता और कार्य शक्ति का विकास होता जावे।

थोड़े में जनता के सामने हम यह लक्ष्य रखें कि वह अपने गाँव या कस्बे को एक छोटा-सा परिवार समझे और अपने परिवार की जरूरतें समझ कर जिस प्रकार उसका हर सदस्य दूसरों के सहयोग पूर्वक उन्हें पूरा करने की धुन में रहता है उसी प्रकार हम अपने गाँवों को या राज्य को भी समझें और उसका पूरा शासन अपने हाथ में ले लेने के लिए जनता को समझावें। समाज की अनेक प्रकार से सेवा करनी होती है। इसी प्रकार उसकी अनेक जरूरतें होती हैं। इन जरूरतों की पूर्ति और सेवा के विभिन्न महकमें बना कर प्रत्येक काम के लिए एक एक खास कमिटी बना दी जाय। और वह सेवा में लग जावे।

गाँव की सफाई, सामूहिक टट्टियाँ, धूड़े, पीने का साफ पानी, इत्यादि का एक महकमा हो सकता है।

गाँव के तमाम भगाड़े लेन-देन के मामले वगैरा सब गाँव की पंचायतें निपटा लिया करें।

पहने के कपड़े (खादी). जूते, गुड़ शक्कर, तेल, खेती वाड़ी के औजार, खेल खिलौने, अपने गाँवों में पैदा होने वाली किसी विशेष चीज धातु की बनी बाहर भेजने लायक तैयार चीजें वगैरा ग्रामोद्योगों का प्रबंध करने वाला एक महकमा हो सकता है।

प्राथमिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, व्यायाम की शिक्षा, खेल के मैदान, मदरसे, शरीर को मजबूत और मन को प्रसन्न करने वाले तथा ऊँचा उठाने वाले मकान के भीतर और मैदान में खेलने के तरह तरह के खेलों की व्यवस्था बगैर करने वाला भी एक महकमा हो सकता है।

× बहुधनधी सहकार समितियों की स्थापना द्वारा फसलों का माल तथा बनी बनाई चीजें बेचने और जरूरत की वाही चीजें खरीदने की व्यवस्था की जा सकती है जिससे कि ग्रामीणों को अपनी चीजों के अधिक से अधिक दाम मिल जाय और बाहर की वस्तुयें किफायत से मिल सकें। बीच का मुनाफा उन्होंने को मिल जाय। यह व्यापारी सहकारिता का एक स्वतंत्र महकमा हो सकता है।

ग्राम की रक्षा के लिए ग्रामीण जनता को बलवान और वहादुर बनाना, स्वयं सेवक दलों का संगठन करना चोरों डाकुओं और बदमाशों से गाँव की रक्षा करना और उसे जातीय दंगों से दूर रखना बगैर काम भी अत्यधिक महत्व पूर्ण है। यह काम भी एक कमिटी के सिपुर्द किया जा सकता है।

फिर, अपने अपने गाँव के भीतर यह सब करते हुए हमें अलग अलग गाँवों के अन्दर पारस्परिक सम्बन्ध बायम करते हुए परगने (तहसील) और जिलों के व्यवस्थित संगठन बना लेने चाहिए जिससे सारा राज्य या सारा देश एक सजीव शरीर की भाँति चैतन्यमय और क्रियाशील संगठन बन जाय।

मतलब यह कि हमें ठेठ नीचे से सम्पूर्ण स्वराज्य की रचना मजबूत पाये पर करनी है। राजनैतिक सत्ता हमारी हाथ में लेने के लिए तथा उसके हाथ में आ जाने के बाद भी यह काम तो कम्भा ही होगा। क्यों कि यही चीज है जिसके लिये स्वराज्य की जरूरत भी है। किन्तु इस असली अर्थात्

रचनात्मक कार्य की तरफ अब तक ठीक तरह हमारा ध्यान नहीं गया है। वह अगर जावे और हम उसमें सच्चे दिल से लग जायें तो अपने आप स्वराज्य का निर्माण हो जावे।

लोक संगठनों को अपने राजनैतिक प्रचारात्मक काम के साथ साथ इन कामों को भी अपने हाथ में अवश्य लेना चाहिए। इस वास्तविक सेवात्मक संगठनात्मक, आर्थिक निर्माण करने वाले, ज्ञान वर्धक, सांस्कृतिक उत्थान के और समाज को शुद्ध और तेजस्वी करने वाले कार्यक्रम में जो लोक-संगठन जितना क्रियाशील होगा वह उतना ही अधिक सफल और प्रभावशाली होगा। शासन पर भी उसका उतना ही अधिक असर होगा। केवल अखबारी प्रचार और भाषणों में लगे रहने वाले संगठनों के कानून भंग की लड़ाइयों में भी वह बल नहीं होगा। जो इसकी एक चिढ़ी में होगा। इसलिये इस वास्तविक सेवाजनित बल की उपासना में हम लग जावें। यही सफलता की चाबी है।



पारिशिष्ट (१)

सन्धि वाली चालीस रियासतें (ईटी स्टेट्स)

जिन रियासतों के साथ ब्रिटिश सरकार की संधियाँ हुई हैं उनके नाम
इस प्रकार हैं :—

रियासत का नाम	संधिका वर्ष
१ अलवर	१८०३
२ बहावलपुर	१८३८
३ बर्सियाड़ा	१८३८
४ बड़ौदा	१८०५
५ भरतपुर	१८०५
६ भोपाल	१८१८
७ बीकानेर	१८१८
८ बुंदी	१८१८
९ कोन्चीन	१८०७
१० कच्छ	१८१७
११ दतिया	१८१८
१२ देवास (दोनों)	१८१८
१३ धार	१८१७
१४ धौलपुर	१८०६
१५ ग्वालियर	१८०४, १८४४
१६ हैदराबाद	१८००, १८५३
१७ इन्दौर	१८१८
१८ जयपुर	१८१८

रियासत का नाम

संधि का वर्ष

१६	जेसलमीर	१८४८
२०	जमू काश्मीर	१८४६
२१	भालावाड़	१८३८
२२	जोधपुर	१८१८
२३	कलात	१८७६
२४	करौली	१८१७
२५	खैरपुर	१८३८
२६	किशनगढ़	१८१८
२७	कोल्हापुर	१८१२
२८	कोटा	१८१७
२९	मैसोर	१८८१, १८१३
३०	ओरछा	१८१२
३१	प्रतापगढ़	१८१८
३२	रामपुर	१७६४
३३	रीबाँ	१८१२
३४	समथर	१८१७
३५	सावन्त वाड़ी	१८४६
३६	सिक्किम	१८१४
३७	सिरोही	१८२३
३८	त्रावण्कोर	१८०५
३९	टोंक	१८१७
४०	उदयपुर	१८१८

(इंग्लिश स्टेट्स एण्ड ब्रिटिश रिलेशन्स)

श्री गुरुमुख निहालसिंह कृत.

परिशिष्ट (२)

छः प्रमुख रियासतें

जो स्वतन्त्र यूनिट के रूप में रह सकती हैं।

	रकवा	आबादी	आय
हदराबाद	८२६६८	१६३३८५३४	१५८२ लाख (४५)
मैसोर	२४४८३	७३२८८६६	६३८ ,, (४२-४३)
बड़ौदा	८१७६	२८५५०००	३६३
गवालियर	२६३६७	४००००००	×
चावणिकोर	७६६१	६०७००१८	×
जम्मू-काश्मीर	८४४७१	४०२१६१६	३२० (४२-४३)



परिशिष्ट (३)

निम्न लिखित रियासतों में किसी न किसी प्रकार की धारा
सभाएँ हैं—

- १ मैसूर
- २ ब्रावनकोर
- ३ बड़ोदा
- ४ जयपुर
- ५ बीकानेर
- ६ काश्मीर
- ७ हैदराबाद
- ८ कोचीन
- ९ इन्दौर
- १० भोपाल
- ११ जोधपुर
- १२ उदयपुर
- १३ गवालियर
- १४ औंध
- १५ कोल्हापुर
- १६ रामपुर
- १७ भोर
- १८ साँगली
- १९ रावा
- २० भावनगर
- २१ नागोद

- २२ दैवास जूनियर
 - २३ पुडु कोठाई
 - २४ भावलपुर
 - २५ पोरबन्दर
 - २६ मंडी
 - २७ फलटन
 - २८ कूचबिहार
 - २९ जामखंडी
 - ३० कपूरथला
 - ३१ बून्दी
-

परिशिष्ट (४)

हिन्दुस्तान की कुल रियासतें

हिन्दुस्तान में कुल ५८४ रियासतें हैं इनमें सबसे बड़ी अर्थात् कर्शमीर और हैदराबाद जैसी तथा अत्यन्त छोटी भी शामिल हैं। इस समय संघीय भारत के विधान के लिए छोटी छोटी रियासतों के ग्रूप छोटे प्रान्तीय संघ बनाये जा रहे हैं। उनके बनाते समय सभी रियासतों के आकार और आवादी सामने रहना जरूरी है जिससे ग्रूप के आकार को बनाने में सुविधा हो-नीचे तमाम रियासतों की सूची दी जा रही है। इसमें उनके रखबे तो हैं। पर १९४१ की आवादी के अंक उपलब्ध नहीं हो सके। साधारण कल्पना के लिए सन् १९४५ के आंक दिये जा रहे हैं।

गुजरात स्टेट पञ्चान्ती और बडोदा रेसीडेन्सी

नाम	रियासत	रकबा	आवादी
१	अगर	१७	३५८६
२	अलवा	५	१७५७
३	अनगढ़	४	३७६८
४	आमज्ञा	११६	६२३५
५	आमरापुर	२	४०७
६	श्रीवंचर	७	६२६
७	बाला सिनोर	१८८	५२५२५
८	बाँसड़ा	२१५	४८८०७
९	बारिया	८१३	१५६४६२
१०	बरोडा	८१६४	२४४३००७
११	भडरवा	२७	११०४८

नाम रियासत	रकवा	आबादी
१२ भिलोदिया	६	२५५८
१३ विहोरा	१	२६६
१४ विलवारी	१	२५
१५ खम्भात	३६२	८७७६९
१६ छालियर	११	२६४६
१७ छोटा उदेपुर	८६०	१४४६६०
१८ चिंचली गादेद	२७	१३०५
१९ छोरंगला	१६	२७१५
२० छुदेसर	२	६४४
२१ धरवावती	७६	४३४३
२२ धमासिया (वनमाला)	१०	२३७८
२३ धरमपुर	७०४	११२०५९
२४ धारी	३	१४५४
२५ दोदका	६	१४४६
२६ दुधपूर	१	१२८
२७ गाध्योरीयद	१२८	११२६३
२८ गाडवी	१७०	७७६७
२९ गोटारडी	३	४३०
३० गोथडा	४	१४५८
३१ इतवाद	६	१५६६
३२ जंभुवोडा	१४३	११३८५
३३ जावहर	३०८	५७२६१
३४ जेसार	१	५१४
३५ भारी घरखाडी	८	५०७
३६ जिरल कमसोली	५	१२५५
३७ जुमखा	१	१७२

नाम रियासत	रक्षा	आवादी
३८ कदाना	१३२	१७५६०
३९ कानोदा	३	१३८७
४० कासला पागिनु मुवाडा	१	१३३
४१ किरली	२१	१२५८
४२ लुनावाडा	६८८	६५१६२
४३ माँडवा	१६	५५६५
४४ मेवली	५	१७०२
४५ मोका पागिनु मुवाडा	१	२०७
४६ नाहरा	३	४५३
४७ नालिया	१	१७६
४८ नानगाम	५	६२५
४९ नासवाडी	१६	६५५६
५० पालासनी	१२	२७५८
५१ पलास विहिर	२	२३६
५२ पान तलावडी	५	६३५
५३ पंडू	६	२३४१
५४ पिंपलादेवी	३	१२५
५५ पिम्परी	७२	६३८३
५६ पौचा	३	१०१८
५७ राइका	३	५५४
५८ राजपिला	१५१७	२०६०८६
५९ राजपुर	१	१६५
६० रामपुरा	४	१६८२
६१ रेंगन	४	५८७
६२ साचिन	४६	२२१०७

नाम रियासत	रक्षा	आवादी
६३ मंजेली	३४	८०८३
६४ संत	३६४	८३५८८
६५ शानोर	११	१८४०
६६ शिवचारा	४	४६६
६७ सिहोरा	१५	४५३२
६८ सिंधियापुरा	४	६६७
६९ सुरगाना	३६४	१५२३५
७० उचाद	८	३३६२
७१ उमेटा	२४	५६२२
७२ वय्यावन	५	१४७
७३ वाजिरिया	२१	५६६८
७४ वदतापुर	१	३६०
७५ वरनोलमल	३	६८४
७६ वरनोल नानी	१	८७
७७ वरनोल मोटी	२	३४२
७८ वासन सेवाढा	१२	१६०४
७९ वासन विरपुर	१२	४५७९
८० वसुरना	१३२	७३२६
८१ विरमगुरा	१	१०७
८२ वोरा	५	१४०७

राजपूताना एजेन्सी

८३ अलवर	११५८	७४८७५१
८४ बांसवाडा	१६०६	२२५१०६
८५ बूंदी	२२२०	२१६७२२
८६ दाँता	३४७	२६१७२

नाम रियासत	रक्षा	आवादी
८७ धोलपुर	११७३	२५४६८८
८८ झंगरपुर	१४६०	२२७५४४
८९ जैपुर	१५५६०	२६३१७७५
९० जैसलमेर	१६०६१	७६२५५
९१ मालावाड़	८१३	१०७८८०
९२ जोधपुर (मारवाड़)	३६०२१	२१२५६८२
९३ करौली	१२२७	१४०५२५
९४ कोटा	५७२५	६८४८०४
९५ कुशलगढ़	६४७	३५५६४
९६ पालनपुर	१७६६	२६४१७६
९७ परतावगढ़	८८८	१८८७३
९८ शाहपुरा	४०५	७४२१६
९९ सिरोही	१६६४	१४८५६८
१०० टांक	८५५३	३१७३६०
१०१ उदयपुर (मेवाड़)	१२६२३	१५६६८१०
१०२ भरतपुर	१६०६	२२५१०६
१०३ बिकानेर	२३३१७	८३६२१८
१०४ किशनगढ़	८५८	८५७८४
१०५ लावा	२०	८८०८

सिक्खिम पज्जे-सी

१०६ सिक्खिम	८८१८	१०६६५१
-------------	------	--------

पंजाब स्टेट्स् पज्जेन्सी

१०७ भावलपूर	१६४३४	८८४६१२
१०८ धुजना	१००	२८२१६

नाम रियासत	रक्तरा	आशादी
१०६ फरीदकोड़	६३८	१६४३६४
११० भिंद	१२६६	१२४६७६
१११ कपुरथला	५८६	३१६७५७
११२ लैरपुर	६०५०	२२७१८३
११३ लुहारू	२२६	२२३२८
११४ मालेरकोटला	१६५५	८३०७२
११५ मंडी	११३६	२०७४६५
११६ नाभा	६४७	८८७५७४
११७ पट्टौडी	५३	१६५७३
११८ पटियाला	५६४२	५६६६२४
११९ सुकेत	३६२	५८४०८

मैसोर पजेन्सी

१२० मैसोर	२६४७५	६५५७३१२
-----------	-------	---------

मद्रास स्टेट्स पजेन्सी

१२१ चंगनापल्ली	२७५	६६२३८
१२२ कोचीन	१४१७	१२०५०१६
१२३ पुदुकोयाइ	११७६	४००६६४
१२४ संदुर	१६७	१३५८३
१२५ चावनकोर	७६२५	५०६५६७३

पंजाब हिल स्टेट्स पजेन्सी

१२६ बागल	१२०	२६३५२
१२७ बागढ	३३	६८४६१२

नामरियासत	रकबा	आबादी
१२८ बालासन	५७	६८६४
१३१ शाहौदर	३४३६	१००१६२
१३० भज्जी	६४	१५४१३
१३१ विलासपुर (कौहलू)	४५३	१००६६४
१३२ डरकोटी	५	५३१
१३३ घामी	२८	५२३२
१३४ कलसिया	१६२	५८८४८
१३५ केओन्थाल	१८६	२५५६०
१३६ कुमारसेन	८४	१२७८१
१३७ कुनीहर	७	२०६१
१३८ कुथर	२१	३७६०
१३९ मेहलोग	४६	८१५५
१४० मंगल	१४	१२४८
१४१ नलगढ़ (हिंदुर)	२७६	५००१५
१४२ सिरमुर (नाहन)	१०४६	१४८५६८
१४३ थारोच	८६	४५६८
१४४ बिजा	५	६६४
१४५ जुभल	२७४	२६०२१
१४६ सेंगरी	२१	३४६७
१४७ टेहरी (मदवाल)	४५००	४७०१०८

मार्थ वेस्ट फ्रांटियर एजेंसी

१४८ अंव	२२५	३६०००
१४९ चितराल	४०००	८००००
१५० दिर	३०००	२५००००
१५१ फुलरा	६६	६६४४

नाम रिशामत	रक्तवा	आक्रमी
१५२ स्वाट	१८००	२१६०००

काश्मीर पञ्जस्ती

१५३ जम्मु और काश्मीर	८५८८५	३६४६२४३
१५४ नागरि	१२४५	११६७२
१५५ हुँजा	६८४८	१३२४९

हैदराबाद रेसीडेन्सी

१५६ हैदराबाद	८२६६८	१४४३६१४८
--------------	-------	----------

ग्वालियर रेसीडेन्सी

१५७ बनारस	८७५	३६११६५
१५८ ग्वालियर	२६३८७	३५२३०७०
१५९ खनियाधाना	६८	१७६७०
१६० रामपूर	८६२	४६४६१६

बलूचिस्तान पञ्जस्ती

१६१ कलात	७३२७८	३४२१०९
१६२ लासबेला	७१३२	६३३००८

भूटान रेसीडेन्सी

१६३ भूटान	१८०००	३०००००
-----------	-------	--------

सेन्ट्रल इंडिया पञ्जस्ती

१६४ अजयगढ़	८०२	८५८८५
------------	-----	-------

नाम रियासत	रक्षा	आचादी
१६५ अलीपुरा	७२	१५३१६
१६६ अलिगजपुर	८३६	१०१६६३
१६७ बंकापथरी	५	१३१६
१६८ बावनी	१२१	१६१३२
१६९ बरोधा	२१८	१६०७१
१७० बड़वानी	११७८	१४१११०
१७१ बेरी	३२	४२६६
१७२ मैसोदा	३२	४२६७
१७३ भोपाल	६६२४	७२६४५५
१७४ खिहट	१६	४५६५
१७५ विजावर	६७३	११५८५८
१७६ विजना	८	१५६७
१७७ छतरपुर	११३०	१६१२६७
१७८ चत्तारी	८८०	१२०३५१
१७९ दतिया	६१२	२५८८३४
१८० देव.स (सानियर)	४४८	८३३२९
१८१ देवास (जूनियर)	४१६	७०५१३
१८२ धार	१८००	२४६५२१
१८३ धुर्खाई	१५	२०३०
१८४ गोली	३६	४६६५
१८५ गोरीहर	७१	६७१३
१८६ हौर	६६०२	१३२३८८
१८७ जाव।	६०२	१००१६६
१८८ जसो	७२	७८२३
१८९ झाबुआ	१३८६	१४५४२२
१९० जिगनी	१८	२६५२

परिशिष्ट ४

३३१

नाम सियासत	रक्ता	"आचादी
१६१ जोवट	१३१	२०५२
१६२ कामता राजुला	१३	१११४
१६३ कटियावाडा	७०	६०६
१६४ खिलचीपुर	२७३	४१४८८३
१६५ कंठी	१६६	२१४२४
१६६ कुरवाई	१४२	२२०७६
१६७ लुग सी	४५	६१६२
१६८ गैहर	४०७	६८६६१
१६९ गकड़ाई	१५५	१५५१६
२०० गथार	१२६	२८८७
२०१ गहनूरगढ़	२६	२६५८
२०२ नांगोद (उच्चे-)	५०१	७४५८८
२०३ नैगरांच्चाइ	१२	२४५२
२०४ नरसहाड़	७३४	११३८७३
२०५ शोल्या	२०८०	३१४२६८
२०६ पद्मा (चौंडिपुर)	२७	३४६६
२०७ पानदेव (नया गाँव)	४३	८४५७
२०८ पन्ना	२५६६	२१२८३०
२११ पड़गी	३०	२८४०
२१० पिलीश्वा	५२	६६२७
२११ रजगढ़	६६२	१३४८६१
२१२ रतनमाला	३२	२१८३
२१३ रतलामा	६६३	१०७३२१
२१४ रीवा	१३०००	१५८७४४५
२१५ समथर	१७८	३३३०७
२१६ सरीला	३५	६०२२

बाय्य रियासत

		रक्षा	आषाढ़ी
२१७	सीतामऊ	२६२	२८४२२
२१८	सोहावल	२५७	४२१६२
२१९	तारोन (पायरोडी)	१६	३३८७
२२०	सैलाना	२६७	३५२२३
२२१	योरी फतहपुर	३६	५५६७

डेक्कन इंडिया पन्ड कोल्हापुर रेसिडेंसी

२२२	अकलकोट	४६८	६२६०५
२२३	ओंध	५०१	७६५०७
२२४	भोर	६१०	१४१३४६
२२५	जमखिडी	५२४	११४२८२
२२६	जंजीरा	३७६	११०३८८
२२७	जत	६८०	६११०१
२२८	कोल्हापुर	३२१७	६५७१३७
२२९	कुरंदवाड (सीनियर)	१८२	४४२०४
२३०	" (जूनियर)	११६	३६५८३
२३१	मिरज (सीनियर)	३४२	६३६५७
२३२	" (जूनियर)	१६६	४०६८६
२३३	मुघोल	३६८	६२८६०
२३४	फलटन	३८७	५८७६१
२३५	राम दुर्ग	१६८	३५४०१
२३६	संगली	११३६	२३८४४२
२३७	सावनुर	७३	२०३२०
२३८	सावन्तवाडी	६३०	२३०५८८
२३९	वाडी (इंस्टेट)	१२	१७०४

नाम रियासत	रकबा	आवादी
ईंटर्न स्टेट पञ्ज़सी		
२४० अयगढ़	१६८	५०१४८
२४१ अथमल्लिक	७३०	६४२७६
२४२ बामरा	१६८८	१५१२५६
२४३ बांराकबा	१५४	४६६८८
२४४ बसतर	१३०६२	५२४७२१
२४५ बाँध	१२६४	१३५२४८
२४६ बोनाई	१२६६	२१६७२२
२४७ चंगभाकर	८०६	२३३२२
२४८ छुनिवादन	१५५	३१६६८
२४९ कूचविहार	१३१८	५६०८६६
२५० हसपल्ला	५६८	४२६५०
२५१ धेकनाल	१४६५	२८४८२८
२५२ गंगापूर	२४६२	३५६३८८
२५३ हिंडोल	६८४८	१३२४१
२५४ जासपूर	१६६३	१६३६६८
२५५ कालाहाड़ी (करौद)	३१७४५	५१३७१६
२५६ कंकेर	१४३१	१३६१०१
२५७ कन्दरघा	७६८	७२८२०
२५८ केंजहर	३०६६	४६०६४७
२५९ खैरागढ़	६३१	१५७४००
२६० खाँडगारा	२४४	७७६३०
२६१ खरसाँवन	१५३	४३११०
२६२ कोरिया	१६३१	६०८८८
२६३ मयूरभंज	१२४३	८८६६०३

नाम रियासत	रक्का	आवादी
२६४ नादगांव	८७५	१८२३८०
२६५ नरसिंहपुर	१६६	४०८८२
२६६ नवागढ़	५६०	१४२३६६
२६७ नीलगिरि	१८४	६८१६८
२६८ पालज़ाहारा	४५२	२७६७५
२६९ पाटगा	१३६६	५६६६२४
२७० रायगढ़	१४८८	२७०१६०
२७१ रायराख़	८३३	३५७१०
२७२ रानपुर	२०३	४३७१३
२७३ महार्वा	१३८	४८१८८
२७४ सारनगढ़	५८०	१८८६७
२७५ रंगेला	४५६	१२८८३१
२७६ सानेपुर	६०६	८३३४५
२७७ मुखुना	६५५	५०१६३६
२७८ न लकर	३६६	६६७०२
२७९ डिग्रिया	४६	२१६८०
२८० त्रिपुरा	४११६	३८२४१०
२८१ उद्दीप	१०५५	८७७८८

आसाम स्टेट

२८२ भावल	..	७३७
२८३ घैरीम	...	४३५५८
२८४ लंगरीन	...	१३४४
२८५ माहराम	१५००३
२८६ मलाई सोहमट	...	४३३
२८७ मनीपुर	८८५६०६	

नाम	रियासत	रक्या	आवादी
२६८	मारीएव.	...	२१६२
२६९	मावेंग	...	३२१८
२७०	मावसेनराम	...	२००७
२७१	मायलिम	...	२०८६५
२७२	नोबोसोह फोह	...	२५४६
२७३	नंगस्पंग	...	३६५३
२७४	नंगस्टंग	...	१४५७
२७५	राम ब्राई	२६८५
२७६	नाम गव्लाव	१४२७३
२७७	क्लेरा	...	६७३८

वरमा स्टेट्स

२८८	कर्तारावाडी	.	.
२९६	कैवोगई	७००	१४२८८
३००	वावलोक	५६५	१३८०२

वेस्टर्न इण्डिया स्टेट प्रजाती

(रक्या वर्गमील में है। और आवादी सन १६३१ की गणना के अनुसार है।)

३०१	श्राकादिया	२	१६३६
३०२	श्रलामपुर (दीनानी)	३	५००
३०३	श्रलिदा	२५	२६५४
३०४	श्रंवलियरा	८०	१०१७८
३०५	श्रमगपुर	८	१७७१
३०६	श्रानन्दपुर	१३	६२४
३०७	श्रानंदपुर	२५	२५२६

नाम	रियासत	रक्षा	आवादी
३०८	आनंदपुर	७०	३७६८
३०९.	अनके वालिया	१७	२२३६
३१०	बाब्रा	१०	८२४२
३११	बागासरा (मज्जू)	२५	६५०
३१२	,, (नं०१)
३१३	,, (नं०२)
३१४	बजाना
३१५	बामन बोर	१२	८१२
३१६	बनठवा (मज्जू)	२७	१५६१३
३१७	,, (तालूका)	५६	७८३८
३१८	बरवाला	४५	४८५५
३१९	भाडली	१५	४११२
३२०	भडराना	१५	११०८
३२१	भावडा	७	१४०८
३२२	भलाला	६	३७६
३२३	भलगम बाल्डोह	११	...
३२४	भालगावडा	१६	१६०३
३२५	भंडारिया	३	
३२६	मारिजडा	२	२६८
३२७	भाथन	४	४६५
३२८	भावनगर	२६६१	५००२७४
३२९	भिसोरा	३६	१६१८
३३०	भोईका (थाना)	३०	३३६५
३३१	भालुस्ना	२	...
३३२	मोजावडार	३	७०९
३३३	बिलडी	३	४८४

परिशिष्ट धं

१३७

गाम रियासत	रकवा	आशदी
३३४ विलखा	१०७	२०५८६
३३५ बोडानोनेस	१	२०५
३३६ बोलुन्द्रा	६	१०७८
३३७ छुलाला	५	६५०
३३८ छुनचाना	६	३४०
३३९ छुमरडी (बचानी)	७	१८६१
३४० छुमराज (जासा)	५६	६११२
३४१ चरखा	१०	११३४
३४२ चिरोडा	१	३६७
३४३ चितराव (दिवानी)	१	२७८
३४४ चौबारी	१३	४७२
३४५ चौक	४	१६३३
३४६ चोटीली	१०८	८८३४
३४७ चुडा	१०८	८८३४
३४८ चुडा सोराथ	१४	१६१०
३४९ कछु	८२४६	५१४३०७
३५० दाभा	१२	१७७४
३५१ ददालिया	२८	४०६२
३५२ दहिदा	२	६८७
३५३ दारोड	४	२६८
३५४ दसडा	१२६	६८८५
३५५ दाथा	६८	१३१४८
३५६ देदन (मजमू)	२५	४०११
३५७ देदन	२४	१७७८
३५८ देदरदा	२	७१७

४३८

रियासतों का सवाली

नाम रियासत

रक्षा

आवादी

३५६	देदरठा	१	
३६०	दिलोली	२	
३६१	देवदर	-	४८४५
३६२	,, (थाना)	-	४४५५
३६३	देरडी जानबाई	२	६८८
३६४	देरोल	१०	-
३६५	दिवालिया	११	८३७
३६६	धोला (दिवानी)	१	२६५
३६७	धोलरवा	४	४००
३६८	धराफा	४४	६७३८
३६९	ध्रांगध्रा	११६७	८८६६१
३७०	ध्रोल	२८२	२७६३८
३७१	धुदराज	१२	२६३८
३७२	इमाल बजसूर	७	११०९
३७३	गाबट	१०	११३८
३७४	गधाली	५	१६६१
३७५	गधीया	११	६७१
३७६	गदका	२३	२३६२
३७७	गधूला	१	२२४
३७८	गंधोला	१	२२६
३७९	गरमली (मोटी)	२	३८५
३८०	गरमली (नानी)	२	२३६
३८१	गवरिदाद		२२११६
३८२	गेदी	२	८५१
३८३	धोदासर	१६	६७०८

नाम रियासत	रकमा	आबादी
३८४ गिगासरन	६	७०३
३८५ गोडल	१०२४	२०५८४६
३८६ घुनडियाला	१५	१८२५
३८७ हडला	२४	५६१५
३८८ हडोल	२७	— —
३८९ हलारिया	६	१००८
३९० हापा	२	— —
३९१ हरसुपुर (स्टेट)	७	४८८८७
३९२ इवेज	७	१३५०
३९३ ईंडर	१६६६	२६२६६०
३९४ इजपुरा	२	— —
३९५ इलोल	१६	४६६२
३९६ इटारिया	६	१०५०
३९७ जाफराबाद (जंजीरा)	५३	१२०८३
३९८ जाखान	३	४६८
३९९ जलिया (दिवानी)	३६८८	३१३३
४०० „ (कायाजी)	२	५००
४०१ „ (मानाजी)	६	२०३
४०२ जसदन	२६६	३४०३६
४०३ जेतपुर-भायावडार	११	११०६
४०४ „ सनाला	७	६४४
४०५ भामर	४	५६१
४०६ भास्मका (विलानी)	४	६०६
४०७ भामपाहद	४	५०६
४०८ फिरूवाडा	१६४	११७४३

नाम	रियासत	रक्षा	आवधी
४०६	जूतागढ़	३,३३७	५४५१५२
४१०	जूनापढार	०	२२४
४११	कडोली	८	—
४१२	कमादिया	४	७२३
४१३	कमालपुर	४	६३२
४१४	कानेर	२	२६६
४१५	कनजाल	१	२५१
४१६	कंकासियाली	७६	२३३
४१७	कनपुर (इस्त्रारिया)	३	१४४४
४१८	कनथारिया	१४	१७५२
४१९	करियाना	१०	३०६४
४२०	करमद	३	४८४
४२१	करोल	११	१०८५
४२२	कसलपुरा	१	—
४२३	कटोडिया (बचानी)	१	३८१
४२४	कथरोटा	१	२३८
४२५	कठोसन (थाना)	१०	५८०३
४२६	केसरिया	३	३२५
४२७	खाडल	८	२५०५
४२८	खंभाला	६	११३७
४२९	खंबलाव	१०	६८३
४३०	खंडिया	५	५६०
४३१	खारी बागसरा	३०	४००४
४३२	खेडा बाडा	२७	—
४३३	खेराली	११	६६८७

नाम रियासत	रक्षा	आवादी
४३४ खिजडिया	-	२४३४
४३५ ,, (वावरा थाना)	२	३२६
४३६ खिजडिया ढोसाजी (सोंगद थाना)	१	२५४
४३७ खिजडिया नयानी (लखापादर थाना)	१	१३३
४३८ खिरासरा	४७	४६६३
४३९ कोटडा नयानी	३	१२४२
४४० ,, पिथा	२५	७०७०
४४१ ,, संगानी	६०	१०४२०
४४२ कोथारिया	२७	२४०७
४४३ कुबा	३	३१४
४४४ लखापादर	५	५७०
४४५ लखतर (लखतर थाना)	२४७	२३७५४
४४६ ललियाद	४	६३०
४४७ लाथी	४१	६३००८
४४८ लिखी	६	—
४४९ लिमडा	७	१७६५
४५० लिंबडी	३४४	४०६८८
४५१ लोधिका (मजमू)	८	१७३२
४५२ ,, (मुलवाजी)	७	२५७६
४५३ ,, (विजयसिंगजी)	७	२४४८
४५४ मागोडी	२३	३२३८
४५५ मागुना	५	—
४५६ महुवानाना	७६	३५६
४५७ मलिया	१०३	१३१४२
४५८ मालपुर	६७	१३५५२

नाम रियासत	रक्षा	आवादी
४५६ मववाहर (वनटवा)	१०१	२६०८४
४६० मनावाव	५	४८५
४६१ मानपूर	११	६६१
४६२ मनसा	२५	१६६४२
४६३ मत्राटिंबा	६	४७०
४६४ मायापदर	१४	११३२
४६५ मेहमदपुरा	१	—
४६६ मेनगानी	३४	३६४२
४६७ मेवासा	२४	६४५
४६८ मोहनपुर	८८	१४२६४
४६९ मोनवेल	३१	२७५५
४७० मोरछोपना	१	४८३
४७१ मोरखी	८२२	११३०२३
४७२ मोटाकोथासना	३	—
४७३ मुली	१३३	१७१०६
४७४ मुतीलाडेरी	१५	३०२५
४७५ मुंजपुर	३	४८८
४७६ नाडाला	१२	६१६
४७७ नटवरनगर	१४	१२०२
४७८ नवानगर	३७६१	४०२१६२
४७९ नरवानिया	२३	३६७२
४८० निलवाला	२	५४५
४८१ नोघनवडर	१	१७४
४८२ पच्चेगाम (दिवानी)	—	३२२६
४८३ पाह	१	२७२

नाम रियासत	रकवा	आबादी
४८४ पालज	२	—
४८५ पलाली	४	६२४
४८६ पाल	२१	३४६६
४८७ पालियद	८५	८७५८
४८८ पालिताना	३००	६२१५०
४८९ पंच्यवदा (वछानी)	१	४२०
४९० पटडी	१६५	१६५७३
४९१ पेठापुर	११	५३७६
४९२ पिपर्लिया	३०	१२६०
४९३ पिठाडिया जोतपुर	१०२	७८१३
४९४ पोर बंदर	६४२	११५७७३
४९५ प्रेमपुर	२५	—
४९६ पुन्दरा	११	२३३०
४९७ राधनपुर	११५०	७०५३०
४९८ रायसांकली	६	६३६
४९९ राजकोट	२८२	७५५४०
५०० राजपारा (चौकथाना)	१	६०४
५०१ राजपुर	२२	२११८
५०२ राजपुर (हलार)	१५	२६६१
५०३ रामनका	२	४८४
५०४ रामास	६	१६१५
५०५ रामपडदा	५	६२४
५०६ रामपुरा	१	—
५०७ रानासन	३०	४८७५
५०८ राधिया	३	७६६

नाम स्थिति

रक्षा-

आवादी

५०६	रानीगाम	३	८६३
५१०	रानीपुरा	१	—
५११	रन्परदा (चौकथाना)	५	५६१
५१२	रतनपुर धमानका	३	६०२
५१३	रोही सारा	१	५७२
५१४	रुपाल	१६	४५१५
५१५	साहूका	६	७८५
५१६	सामाधियाला (चौकथाना)	१	६१०
५१७	सामाधियाला	१	२०६
५१८	सामा (छमादिया)	१	१२०६
५१९	समला	१३	१११२
५२०	सनाला	२	५५०
५२१	सनोसरा	१३	१०२२
५२२	संतालपुर (थाना)		४१३
५२३	सरदारगढ़	३६	५०७५
५२४	सलनौनेस	३	२६६
५२५	सयम्बा	१८	४६३४
५२६	सतलासना	२५	०
५२७	सतदाव बावडी	३३	१५०३
५२८	सायला	२२२	१५२८५
५२९	सेजकपुर	२६	११०३
५३०	सेवडीवदार	१	३५८
५३१	शहापुर	१०	१५०६
५३२	सिलाना	४	८६७
५३३	सिसांग चादली	१	१७२८

नाम रियासत	रकमा	आवादी
५३४ सोंगढ़ (बछानी)	१	१५६३
५३५ सुदामढा ढंडलपुर	१३५	७७४२
५३६ सुदासना	३२	८६२५
५३७ सुइगम	२२०	५८४०८
५३८ लाजपुरी	७	--
५३९ ललसाना	४३	२४७२
५४० तावी	१२	७७५
५४१ तेजपुरा	४	--
५४२ तेरखाड़ा	६१	५७३६
५४३ थाना देवली	११७	१६०५
५४४ थाराड़	१२६०	५४३११
५४५ थारा	७८	१०६४१
५४६ ठिंबा	३	--
५४७ ठोड़ावछानी	१	६३५
५४८ उमरी	१०	--
५४९ उँटड़ी	६	४४३
५५० वडल भण्डारिया	१	४५८
५५१ वङ्गाली	२	७५६
५५२ वाडिया	६०	१३७१६
५५३ वडोद (भालाबाद)	११	१४१८
५५४ वडोद (दिवानी)	—	६३२
५५५ वाघावडी (वाघवोरी)	३	१०७
५५६ वखतापुर	४	--
५५७ वला	१६०	१४०६६
५५८ वलासना	२१	३६७१

नाम रियासत	रक्खा	आबादी
५५८ वाना	२४	३०८८
५६० वनाला	३	३८८
५६१ वनगढ़ा	(१)	३७६
५६२ वनोद	५७	४६७६
५६३ वरसोदा	११	४०२३
५६४ वसाखद मजमू	१६	६२३६
५६५ वावडीधरवाला	४	१५२१
५६६ वावडी बछानी	१	२७७
५६७ विज्यानोनेस	—	२०६
५६८ वेकारीया	३	६५३
५६९ विछुवद	३	४३४
५७० विजयानगर	१३५४	८४६१
५७१ विरपुर	६६	८०५०
५७२ विरसोदा	३	—
५७३ विरवा	१	१४६
५७४ विडलगढ़	५६	४०७३
५७५ बडगाँव	२८	३६३८
५७६ बढ़वान	२४२	४२६०२
५७७ बाँकानेर	४१७	४४२५८
५७८ बाव	६५६	२०७२१
५७९ बराही (१)	१२०	३६००
५८० „ (२)	४०	१४११
५८१ वासना	१०	६०७
५८२ जबरदस्त (खाजी स्टेट)	३६	५७४
५८३ जैनावाद	३०	३४१४

परिशिष्ट ५

रियासतों का वर्गीकरण

१. जन संख्या के अनुसार—

झज्जनकी आबादी	१ करोड़ से ऊपर है—	१
„	५० लाख से ऊपर किन्तु १ करोड़ से कम है—	२
„	१० „ ५० लाख „ „ १०	१०
„	५ „ „ १० „ „ १५	१५
„	४ „ „ ५ „ „ ७	७
„	३ „ „ ४ „ „ ६	६
„	२ „ „ ३ „ „ २१	२१
„	१ „ „ २ „ „ ३६	३६
„	१० हजार „ „ १ „ „ १२६	१२६
„	१ „ „ १० हजार „ „ १६४	१६४
„	१ सौ „ „ १ „ „ १३१	१३१
„	१ सौ „ „ १ सौ „ „ २	२
झज्जनकी आबादी का ठीक-ठीक पता नहीं—		२७
		५८४

२. आय के अनुसार—

झज्जनकी आय एक करोड़ से ऊपर है—	१२
„	५० लाख से ऊपर किन्तु एक करोड़ से कम है— ६
„	२५ „ ५० लाख „ „ १२
„	१० „ „ २५ „ „ ३०
„	५ „ „ १० „ „ ३८

जिनकी आय ५० लाख से ऊपर किन्तु एक करोड़ से कम है—

”	४	”	५	”	१५
”	३	”	४	”	२४
”	२	”	३	”	२४
”	१	”	२	”	४४
”	५० हजार	”	१	”	४३
”	४०	”	५० हजार	”	१५
”	३०	”	४०	”	३४
”	२०	”	३०	”	३६
”	१०	”	२०	”	७३
”	१	”	१००	”	१५२
”			१००	”	१८
अक्षयत					२
					<u>५८४</u>

३. रकबे के अनुसार—

जिनका रकबा	५० हजार वर्गमील से ऊपर है—	३
”	२० ” , किन्तु ५० हजार वर्गमील सेकम४	
”	१० ” ” २० ” ” ७	
”	१ ” ” १० ” ” ६६	
”	१ सौ ” ” १ ” ” १३१	
”	दस ” ” १ सौ ” ” १६८	
”	दस ” ” ” ” ” ” ...	
”	एक ” ” ” ” ” ”	
अक्षयत		<u>२३</u>
		<u>५८४</u>

परिशिष्ट (६)

लोक-परिषद्

अखिल भारत देशी राज्य लोक-परिषद् के
अधिवेशनों के सभापति

नाम	सन्	स्थान
(१) दीवान बहादुर श्री रामचन्द्र राव,	१९२७	बम्बई
(२) श्री सी. वाई चिंतामणि	—	—
(३) श्री रामानन्द चटर्जी	१९३१	„
(४) श्री नरसिंह चिंतामणि केलकर	—	—
(५) श्री के. नटराजन	१९३४	दिल्ली
(६) डा. पट्टाभिसीतारामैया	१९३६	कराची
(७) पं० जवाहरलाल नेहरू	१९३६	लुधियाना
(८) पं० जवाहरलाल नेहरू	१९४१	उदयपुर

अखिल भारत देशी राज्य लोक-परिषद् का

विधान

(उदयपुर अधिवेशन में परिवर्तित तथा स्वीकृत)

शारा १—अखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद् का ध्येय, स्वतन्त्र और संघबद्ध भारत के हिस्सों के रूप में, देशी रियासतों की जनता द्वारा शान्तिपूर्ण और उचित उपायों से पूर्ण उत्तरदायी शासन प्राप्त करना है।

धारा २—अखिल भारत देशी राज्यलोक परिषद् के निम्न लिखित अंग होंगे—

- (१) संबद्ध रियासती प्रजा-संगठन,
- (२) स्वीकृत रियासती प्रजा-संगठन,
- (३) प्रादेशिक कौन्सिलें,
- (४) जनरल कौन्सिल,
- (५) वार्षिक अधिवेशन,
- (६) परिषद् का विशेष अधिवेशन,
- (७) स्टेंडिंग कमिटी

धारा ३—किसी ऐसे व्यक्ति को इस परिषद् में या इसकी अंगभूत किसी संस्था में, कोई चुना हुआ पद लेने का अधिकार न होगा जो, किसी ऐसे साम्प्रदायिक या अन्य प्रकार के संगठन का सदस्य हो, जिसके उद्देश्य और कार्य-क्रम, स्टेंडिंग कमिटी की राय में, इस परिषद् के उद्देश्य और कार्यक्रम के खिलाफ हों।

धारा】 [४—(क) इस परिषद् के लिहाज से रियासतें निम्न लिखित समूहों में, जिन्हें प्रदेश कहा जायगा, विभाजित की गई हैं—

- (१) काश्मीर और जम्मू (सीमाप्रांत की रियासतोंसहित),
- (२) हैदराबाद,
- (३) बड़ौदा (गुजरात की रियासतों सहित),
- (४) मैसूर, (बैंगापल्ली और सॉँड्हर रियासतों सहित),
- (५) मध्यभारत की रियासतें, (बनारस और रामपुर सहित),
- (६) त्रावनकोर, कोचीन और पुदुकोट्टा,
- (७) उड़ीसा की रियासतें, तथा बस्तर और मध्यप्रान्त की रियासतें,
- (८) मणिपुर, कूचबिहार और त्रिपुरा,

- (६) दक्षिण की रियासतें, (महाराष्ट्र और कर्नाटक में)
- (१०) पंजाब की रियासतें,
- (११) हिमालय की पहाड़ी रियासतें,
- (१२) बिलोचिस्तानी रियासतें, (कलात लासबेला खरन और खेरपुर)
- (१३) काठियावाड़ की रियासतें (कच्छ सहित)
- (१४) राजपूताना की रियासतें

(ख) स्टेंडिंग कमिटी जब कभी उचित समझेगी, तब नये सिरे से विभाजन करके प्रदेश बना सकेगी ।

धारा ५—रियासती प्रजा के संगठन, चाहे उनका नाम प्रजा-मंडल, लोक-परिषद्, प्रजा-परिषद्, स्टेट कॉग्रेस, नेशलन कान्फ्रेन्स या ऐसा ही कुछ हो, जो किसी एक राज्य या राज्य-समूह के अन्दर काम करते हों, या विशेष परिस्थितियों में स्टेंडिंग कमेटी की मंजूरी से बाहर से काम करते हो, इस विधान के अनुसार प्रादेशिक परिषद् द्वारा या सीधे अखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद् में संबद्ध या स्वीकृत किये जा सकते हैं।

धारा ६—(क) कोई भी प्रादेशिक कौन्सिल उस प्रदेश के अन्दर किसी भी रियासती प्रजा संगठन को सम्बद्ध कर सकेगी, बशर्ते कि—

- (१) वह इस विधान की धारा १ को प्रस्ताव द्वारा मन्जूर कर चुकी हो,
- (२) उसकी सदस्य सूची में आवादी के प्रति एक लाख या कम पर, कम से कम एक सौ (१००) प्राथमिक सदस्य हों,

रियासतों का सवाल

(३) वह कम से कम एक साल के अरसे से बाकायदा काम करता रहा हो, और

(४) वह स्टेन्डिंग कमेटी द्वारा समय-समय पर निश्चित की हुई सम्बद्ध करने की फीस और सालाना फीस देना स्वीकार करता हो ।

(ख) विशेष परिस्थितियों में स्टेन्डिंग कमेटी भी किसी रियासती प्रजा-संगठन को सीधे तौर पर सम्बद्ध कर सकेगी ।

(ग) स्टेन्डिंग कमेटी मुनासिब कारण बतलाकर और मुनासिब नोटिस देकर, किसी भी सम्बद्ध किये हुए संगठन से सम्बन्ध छोड़ भी सकेगी । ऐसा नोटिस एक माह से कम का न होगा ।

धारा ७—स्टेन्डिंग कमेटी इस परिषद् के उद्देश्यों और ध्येय के अनुसार रियासतों की जनता के लिये काम करने वाले किसी प्रजा संगठन को स्वीकृत कर सकती है । ऐसे स्वीकृत संगठनों को इस सम्बन्ध में स्टेन्डिंग कमेटी द्वारा बनाये हुए नियमों के अनुसार इस परिषद् और उसकी अंगभूत कमेटियों में प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार होगा । स्टेन्डिंग कमेटी जब चाहेगी तब स्वीकृति को मन्सूख कर सकेगी ।

धारा ८—(क) हर प्रदेश को अधिकार होगा कि वह उस प्रदेश के अन्दर के किसी राज्य या राज्यसमूह के लिए, प्रति एक लाख आबादी पर एक डेलीगेट का चुनाव, परिषद् के अधिवेशन के लिए करे, बशर्ते कि उसमें, ऐसी हर मिली हुई सीट पर, कम से कम सौ प्राथमिक सदस्य हों।

(ख) स्टेंडिंग कमेटी को अधिकार होगा कि वह अखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद से, किसी कारणवश सम्बद्ध या स्वीकृत न हो सकनेवाले प्रजा-संगठनों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिये पचास तक प्रतिनिधि नामजद करे।

धारा ६—(क) धारा २ में बताये हुए प्रत्येक प्रदेश के लिये एक प्रादेशिक कौन्सिल होगी, जो इस प्रकार बनेगी:—

(१) उस प्रदेश के अन्दर के पारिषद् के प्रतिनिधि, तथा परिषद् के प्रेसीडेन्ट और भूतपूर्व प्रेसीडेन्ट जो उस प्रदेश में रहते हों।

(२) रीजनल कौन्सिल के डेलीगेटों द्वारा अपनी संख्या के $\frac{1}{2}$ तक कोआप्ट किये हुए व्यक्ति। इन कोआप्ट किये हुए मेम्बरों को भी प्रतिनिधि के अधिकार होंगे।

(ख) हर प्रादेशिक कौन्सिल को स्टेन्डिंग कमेटी के सामान्य नियन्त्रण व निगरानी के अधीन अपने प्रदेश के समस्त कार्य-संचालन का अधिकार होगा।

(ग) प्रादेशिक कौन्सिलें इस विधान के अनुसार रहनेवाले अपने नियम बना सकेंगी। परिषद् की स्टेन्डिंग कमेटी की मन्जूरी के बाद वे नियम काम में आ सकेंगे।

(घ) यदि कोई प्रादेशिक कौन्सिल इस विधान के अनुसार कार्य न करेगी तो स्टेन्डिंग कमेटी उस प्रदेश में, परिषद् का काम चलाने के लिये अस्थाई कौन्सिल बना सकेगी।

धारा १०—(क) जनरल कौन्सिल निम्न लिखित व्यक्तियों की बनेगी ।

(१) हर प्रादेशिक कौन्सिल द्वारा उस कौन्सिल
मेम्बरों की तादाद पर हर पांच के पीछे एक मेम्बर
के हिसाब से चुने हुए मेम्बरान ।

बशर्ते की जनरल कौन्सिल में हर प्रादेशिक
कौन्सिल को कम से कम दो प्रतिनिधि अवश्य
मेजने का अधिकार होगा, और,

(२) जनरल कौन्सिल के चुने हुए मेम्बरों द्वारा अपनी
तादाद के $\frac{1}{2}$ तक कोआष्ट किये गये मेम्बर ।

(ख) जनरल कौन्सिल के प्रत्येक मेम्बर को, अपने बोट-
का इस्तेमाल करने के पहिले सेन्ट्रल ऑफिस को ५० रु०
फीस अदा करना होगा ।

(ग) जनरल कौन्सिल उस कार्यक्रम को पूरा करेगी, जो
परिषद् अपने अधिवेशन में निश्चित कर चुकी होगी,
और अपने कार्यकाल में पैदा होने वाले तमाम नये
मामलों को भी निपटायेगी ।

(घ) जनरल कौन्सिल का कोरम ३० का, या कुल मेम्बर
संख्या के $\frac{3}{4}$ का, जो भी कम होगा, होगा ।

धारा ११—(क) स्टेन्डिंग कमेटी में प्रेसीडेन्ट, वाइस प्रेसीडेन्ट, एक
या अधिक जनरल सेक्रेटरीज, एक कोषाध्यक्ष और
१६ अन्य मेम्बर होंगे । प्रेसीडेन्ट, इसमें आगे बताए
हुए तरीके से चुना जायगा । प्रेसीडेन्ट स्टेन्डिंग कमेटी
के पदाधिकारियों सहित अन्य सब सदस्यों को,
जनरल कौन्सिल के मेम्बरों में से नामजद करेगा ।

(ख) स्टेन्डिंग कमेटी परिषद् की कार्यकारिणी होगी, और उसे अ. भा. दे. रा लोक-परिषद् तथा जनरल कौंसिल द्वारा निश्चित की हुई नीति तथा प्रोग्राम को कार्यान्वित करने का अधिकार होगा ।

(ग) स्टेन्डिंग कमेटी का कोरम ६ का होगा।

(घ) स्टेन्डिंग कमेटी को निम्नलिखित अधिकार भी होंगे—

१ विधान का मुनासिब अमल कराने तथा विशेष परिस्थितियों को नियटाने के लिये नियम बनाना, तथा हिदायतें जारी करना ।

२ गलत व्यवहार, लापरवाही या कर्तव्य के न पालने की सूरत में, किसी कमेटी या व्यक्ति के खिलाफ, जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहे, करना ।

३ तमाम अग्रभूत कमेटियों का निरीक्षण नियंत्रण तथा पथप्रदर्शन ।

धारा १२—(क) परिषद् का प्रेसीडेंट अगर्जे अधिवेशन तक काम करता रहेगा । वही जनरल कौंसिल का भी अध्यक्ष होगा ।

(ख) परिषद् का जनरल सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरीज़ जनरल कौंसिल तथा स्टेन्डिंग कमेटी के भी जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरीज़ होंगे । वह या वे जनरल कौंसिल के समक्ष संगठन व कामों के बाबत सालाना रिपोर्ट पेश करेंगे ।

(ग) परिषद् का कोष, कोषाध्यक्ष के जिम्मे रहेगा, और वह उस कोष का ठीक ठीक हिसाब रखेगा । जाँच किया

हुआ हिसाव जनरल कौसिल के समक्ष उसकी जानकारी के लिए पेश किया जायगा ।

धारा १३—(क) स्टेन्डिंग कमेटी प्रादेशिक कौन्सिलों से प्रेसीडेन्ट के चुनाव के विषय में सुझाव माँगेगी ।

(ख) जनरल कौन्सिल के मेम्बर इस सुझाई हुई सूची में से परिषद के अधिवेशन से कम से कम एक माह पहले प्रेसीडेन्ट का चुनाव करेंगे ।

(ग) स्टेन्डिंग कमेटी इस चुनाव के लिए नियम बनायगी ।

धारा १४—(क) वार्षिक अधिवेशन, स्टेन्डिंग कमेटी द्वारा निश्चित किए हुए स्थान व समय पर होगा ।

(ख) जिस प्रदेश में अधिवेशन होने वाला होगा वहाँ की प्रादेशिक कौन्सिल अधिवेशन के लिये स्वागत समिति निर्माण करेगी ।

(ग) परिषद की नई जनरल कौसिल अधिवेशन से पहले नये चुने हुए प्रेसीडेण्ट की अध्यक्षता में विषय-निर्वाचिती समिति के रूप में बैठेगी ।

(घ) प्रतिनिधि (डेलीगेट) फीस तीन रुपया होगी । ऐसी तमाम फीस स्वागत-समिति सेंट्रल आफिस को दे देगी । स्वागत समिति की बचत, स्थानीय प्रजामंडल, प्रादेशिक कौसिल और सेन्ट्रल आफिस, तीनों में बराबरी से बट जायगी ।

धारा १५—जनरल कौसिल, स्टैण्डिंग कमेटी की सिफारिश पर, विधान में उचित परिवर्तन कर सकेंगी । ऐसे परिवर्तन, परिषद के अगले अधिवेशन में उसकी स्वीकृति के लिए पेश किये जायंगे ।

अखिल भारत देशी राज्य लोक-परिषद् की वर्तमान स्थायी-समिति

१ अध्यक्ष	श्री. पं. जवाहरलाल नेहरू
२ कार्यवाहक अध्यक्ष	,, डॉ. पट्टाभि सीतारामैया
३ उपाध्यक्ष	,, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला
४ कोषाध्यक्ष	,, कमलनयन बजाज
५ मन्त्री	,, जयनारायण व्यास
६ ,,	,, बलवन्तराय मेहता
७ ,,	,, टी. एम. वर्गिस
८ ,,	,, द्वारकानाथ काचरु
९ सदस्य	,, स्वामी रामानन्द तीर्थ
१० ,,	,, पच. के. वीरण्णा
११ ,,	,, आचार्य नरेन्द्रदेव
१२ ,,	,, बाल गंगाधर खेर
१३ ,,	,, खान अचुल समद्धां
१४ ,,	,, हीरालाल शास्त्री
१५ ,,	,, है. इँडेंदा वाहियर
१६ ,,	,, शारंगधरदास
१७ ,,	,, बी. व्ही. शिखरे
१८ ,,	,, शिवशंकर राघव
१९ ,,	,, वैजनाथ महोदय
२० ,,	,, वृषभानदास

स्टेंडिंग कमिटी के दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव

(उदयपुर अधिकारीशन में नीचे लिखे दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर हुए हैं, जो लोकपरिषद् के संगठन से सम्बन्ध रखते हैं। अतः वे भी यहाँ दिये जा रहे हैं ।)

(१) सार्वजनिक आलोचना न हो

यद्यपि स्टेंडिंग कमिटी की यह राय है कि संस्था के सदस्यों को जहाँ अपनी राय रखने और प्रदर्शित करने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए तबाँ कमिटी का यह भी ख्याल है कि जहाँ तक संगठन के कार्य से सम्बन्ध है जबतक कोई आदमी उस संगठन का सदस्य है उसके लिए खुले तौर पर इस कार्य का विरोध करना उचित नहीं है। कमिटी इस बात को भी नापसन्द करती है कि मेम्बर एक दूसरे की या संगठन के किसी ऋण की व्यक्तिगत या अन्य कारणों को लेकर सार्वजनिक सभाओं में या अखबारों अथवा पत्तों में आलोचनायें करें। जब जरूरी हो ऐसी आलोचनायें सम्बन्धित कमिटी में ही करनी चाहिए और अगर वहाँ इनकी सुनवाई या उपाय नहीं हो तो उससे ऊपर की कमिटी में की जावें। अनुशासन और काम की दृष्टि से यह जरूरी है कि संस्था में दलबन्दी की दृति को प्रोत्साहन न दिया जाय। (प्रस्ताव १६)

(२) कम्यूनिस्ट पार्टी और रॉयलिस्ट दल के सम्बन्ध में—

“स्टेंडिंग कमिटी ने इस संगठन के कुछ ऐसे सदस्यों और दलों की कार्यवाही सम्बन्धी शिकायतों पर गौर किया, जो कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरिषद् के उस्तूओं और कार्यकर्ताओं के विरुद्ध पड़ने वाली नीतियों और प्रोग्रामों का अनुसरण करते रहे हैं। विशेषतः यह बताया गया कि पिछले लगभग चार वर्षों के बीच भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी तथा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की सामान्य नीति और प्रवृत्तियाँ अखिल भारत

देशी राज्य लोक परिषद् की नीति और प्रवृत्तियों से विरोधी रही हैं। कुछ आधारभूत मामलों में यह विरोध लगातार जारी रहा है, बढ़ा है और आज भी वह इन संगठनों के प्रकाशनों में पाया जाता है। यह साफ जाहिर है कि इस लोकपरिषद् में कोई कार्यकारिणी या चुनी हुई कमेटी असरदार ढंग से काम नहीं कर सकती, यदि उसके सदस्यों में इस प्रकार सिद्धान्तों का विरोध हो। इसके अलावा भी विधान की धारा ३ के अनुसार कोई भी व्यक्ति या दल, जो अ० भा० देशी राज्य लोकपरिषद् के कार्यक्रमों का खुला विरोध करेगा वह इसकी कार्यकारिणी या चुनी हुई कमेटियों का सदस्य नहीं रह सकेगा।

चूंकि इनका सवाल कुछ व्यक्तियों से सम्बन्ध नहीं रखता, बल्कि ऐसे माने हुए दलों की नीतियों और कार्यक्रमों से सम्बन्ध रखता है, जो कि सुविदित हैं और विवादग्रस्त नहीं हैं; इसलिए यह आवश्यक नहीं समझा गया कि स्पष्टीकरण माँगा जावे, या अनुशासन सम्बन्धी कार्य के लिए कारण बताने के लिए आरोप कायम किये जावें। इसलिए यह निश्चय किया जाता है कि भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी या रेडिकल डेमो-क्रेटिक पार्टी का कोई सदस्य अखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद् के संगठन में किसी कार्यकारिणी में न चुना जावे और न किसी चुने हुए पद या कमेटी में रखवा जावे। यह फैसला सम्बन्धित और स्वीकृत संस्थाओं के लिए भी लागू होगा। यदि ऐसे कोई व्यक्ति पहले से ही चुने जा चुके हों, तो उनसे पूछा जावे कि इस नियम के अनुसार वे जिस समिति के चुने हुए सदस्य हो गए हैं, उसकी सदस्यता से उन्हें पृथक क्यों न किया जावे।

परिशिष्ट (७)

छोटी रियासतों के प्रजामण्डलों के लिए नमूने का विधान

- धारा १—नाम**—इस संस्था का नामराज्य प्रजा मण्डल है ।
- धारा २—उद्देश्य**—इस प्रजा मण्डल का उद्देश्य अखिल भारत देशी राज्य लोक परिपद् के मार्गदर्शन में,.....राज्य की जनता के लिए शान्त और उचित उपायों द्वारा उत्तरदायी शासन व नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करना है ।
- धारा ३—सदस्यता**--राज्य का निवासी, कोई भी स्त्री या पुरुष, जिसकी उम्र १८ वर्ष की या ज्यादह हो, इस प्रजा मण्डल के उद्देश्य को मन्जूर करने पर और चार आना सालाना चन्दा अदा करने पर इसका सदस्य हो सकेगा ।
- धारा ४—संगठन**--इस प्रजामण्डल के नीने लिखे अंग होंगे...
- (१) मुकामी कमेटियाँ,
 - (२) तहसील कमेटियाँ,
 - (३) जनरल कमेटी,
 - (४) एकजीक्यूटिव कमेटी,
- नोटः**—मुकामी कमेटियों में सुविधानुसार आस पास के गाँवों में से भी सदस्य बन सकेंगे ।
- धारा ५—मुकामी कमेटियाँ**—किसी भी मुकाम पर या ग्राम-समूह में दस या दस से ज्यादा मेम्बर बन जाने पर वहाँ मुकामी कमेटी बन सकेंगी ।

धारा ६—तहसील कमेटियां—किसी भी तहसील की सब मार्गदर
मुकामी कमेटियों के डेलीगेटों को मिला कर तहसील कमेटी
होगी, जो तहसील के अन्दर प्रजा मण्डल के कामों की देख-
रेख करेगी।

धारा ७—जनरल कमेटी—राज्य भर की कुल मुकामी कमेटियों
से चुने हुए डेलीगेटों की मिलकर जनरल कमेटी होगी, इसके
अलावा हर मुकामी कमेटी के प्रेसिडेन्ट व सेक्रेटरी भी बलि-
हाज औहदा डेलीगेट होंगे और इस जनरल कमेटी को
विधान बनाने, बदलने, नीतियाँ व कार्यक्रम तय करने का
सर्वोच्च अधिकार होगा। इसका मामूली तौर पर हर साल
वार्षिक अधिवेशन होगा। डेलीगेट प्रारम्भिक सदस्यों के
हर १०० या १० के बाद बचे हुए जुज पर एक के हिसाब
से चुने जावेंगे।

धारा ८—एक्जीक्यूटिव कमेटी—एक्जीक्यूटिव कमेटी सात से
१५ मेम्बरों तक की हो सकेगी। और उसको प्रेसिडेन्ट
नामजद करेगा। वहाइस प्रेसिडेन्ट और खजांची के अलावा
एक जनरल सेक्रेटरी, व एक से ज्यादा सेक्रेटरी हो सकेंगे।

धारा ९—एक्जीक्यूटिव कमेटी के काम और अधिकार—यह
जनरल कमेटी की हिदायतों के मुताबिक कार्य संचालन
करेगी। और वही अनुशासन सम्बन्धी सब मामलों के
निर्णय करने का अधिकार रखेगी। इस कमेटी को चुनाव
सम्बन्धी भगाड़ों को निपटाने के लिए और दूसरे कायाँ के
लिए सब कमेटी मुकर्रर या खुद फैसला करने का अधि-
कार होगा। लेकिन भगाड़ों से सम्बन्धित व्यक्ति व्होट नहीं
दे सकेंगे। यही कमेटी अधिवेशन की तारीख मुकर्रर करेगी
और उसका मुनासिब इन्तजाम करेगी।

धारा १०—प्रेसिडेन्ट—हर अधिवेशन की तारीख से कम से कम दो महिने पहिले प्रेसिडेन्ट की नामजदगी के परन्ते, जिन पर कम से कम तीन डेलीगेटों द्वारा नामजदगी हो, प्रधान कार्यालय में आ जाना चाहिये। इन सब पर एकजीक्यूटिव्ह कमेटी में विचार होगा और आये हुए तमाम नामों की इत्तमा तमाम मुकामी कमेटियों और तहसील कमेटियों में भेज दी जावेगी। प्रेसिडेन्ट के चुनाव सम्बन्धी प्रधान कार्यालय से आई हुई हिदायतों के मुताबिक बताई हुई तारीख व मुकाम पर प्रेसिडेन्ट के चुनाव सम्बन्धी ब्होट लिये जावेंगे। जिनमें सिर्फ डेलीगेट ही हिस्सा ले सकेंगे। हर कमेटी हर एक उम्मीदवार के लिए आये हुए ब्होटों की तादाद, प्रधान कार्यालय को, चुनाव के तीन दिन के अन्दर खाना कर देगी। प्रजा मण्डल के प्रेसिडेन्ट व सेक्रेटरी या एकजीक्यूटिव्ह कमेटी द्वारा मुकर्रर की हुई विशेष सबकमेटी चुने हुए प्रेसिडेन्ट की घोषणा करेगी।

अगर बीच में कभी प्रेसिडेन्ट त्यागपत्र दे दे या दिगर किसी वजह से उसकी जगह खाली हो जाय तो एकजीक्यूटिव्ह कमेटी अपना अस्थायी प्रेसिडेन्ट चुन सकेगी।

धारा ११—विशेष परिस्थिति में कार्यवाही—अगर कोई ऐसी विशेष परिस्थिति हो, जिसमें इस विधान का चलना मुमकिन न हो तो उस हालत में प्रेसिडेन्ट को, विधान या उसका कोई हिस्सा स्थगित करके कार्य संचालन का और मुनासिव इन्तजाम करने का पूरा अधिकार होगा।

धारा १२—प्रधान कार्यालय—इस प्रजामण्डल का प्रधान कार्यालय.. या जहाँ इसकी कार्य-कारिणी समिति-एकजीक्यूटिव्ह कमेटी तै करेगी, वहाँ रहेगा।

धारा १३—खाली जगह की पूर्ति—सामान्यतः खाली जगह की पूर्ति उसी तरह पर होगी, जिस तरह उनकी नियुक्ति या चुनाव होता है।

धारा १४—कोरम—प्रजा मण्डल की हर कमेटी का कोरम एक चौथाई का होगा।

धारा १५—केन्द्रीय संस्थाओं की हिदायतों की पाबन्दी—यह संस्था अपनी केन्द्रीय संस्था, अखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद् या उसकी प्रादेशिक शाखा, मध्यभारत प्रादेशिक देशी राज्य लोक परिषद से आई हुई हिदायतों का ख्याल रखेगी।

आवश्यक नोट,

मध्यभारत प्रादेशिक लोक-परिषद् ने मध्यभारत की छोटी रियासतों के लिये यह नमूने का विधान बनाया है। इसमें प्रजा मण्डल का नाम, उद्देश्य, स्थानीय हालात के लिहाज से अन्य आवश्यक नियम जोड़े जा सकते हैं।

परिशिष्ट (८)

नरेन्द्र मण्डल

शासन सुधार के विषय में मारेटेम्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के दसवें अध्याय में रियासतों के बारे में कुछ सुझाव दिये गये हैं। इनकी पूर्ति की दिशा में ता० ८ फरवरी १९२१ को ड्यूक आॉफ कनाट के द्वारा दिल्ली में चेम्बर आॉफ प्रिन्सेस अर्थात् नरेन्द्र मण्डल का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पढ़े जाने के लिए सम्राट ने खुद अपना एक सन्देश भेजा था; जिसमें कहा गया था कि “राजा-महाराजाओं का यह मण्डल उनके अपने तथा प्रजाजनों के स्थायी लाभ का पोषक होगा; ऐसी हमें आशा है। हमें यह भी आशा है, कि अपने राज्य तथा ब्रिटिश भारत के हितों को आगे बढ़ाते हुए वे मेरे समस्त साम्राज्य का भला करेंगे। यह नरेन्द्र मण्डल हमें एक दूसरे को समझने में सहायक होगा, हम एक दूसरे के अधिक नजदीक आवेंगे और देशी राज्य तथा समस्त साम्राज्य के सामान्य हितों की इससे अभिवृद्धि और विकास होगा।”

मण्डल का उद्घाटन करते हुए ड्यूक आॉफ कनाट ने कहा कि “यह आगे बढ़ने के लिए आप को बड़ा अच्छा अवसर मिल रहा है। पर ऐसे अवसरों के साथ साथ नई नई जिम्मेदारियाँ भी आया करती हैं, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं जानता हूँ कि सम्राट ने आप पर जो भरोसा किया है, उसे आप ठीक तरह से समझ रहे होगे। और अपने राज्य के अधिपति तथा साम्राज्य के स्तम्भ की हैसियत से आपकी तरफ से इस विश्वास के अनुरूप ही जवाब मिलेगा।”

नरेन्द्र मण्डल में केवल वे ही नरेश शरीक हो सकते हैं, जिन्हें सलामी का हक है। जिन रियासतों को भीतरी शासन सम्बन्धी पूरे अधिकार नहीं हैं, वे भी समूह रूपसे अपना प्रतिनिधि नरेन्द्र मण्डल में भेज सकते हैं।

ऐसे प्रत्येक ग्रूप का एक प्रतिनिधि उसमें रहेगा। भारतवर्ष में कुल ११८ पूर्व-धिकारवाली सलामी की हकदार रियासतें हैं। इनमें से केवल १०८ ही मण्डलमें शारीक हुईं। शेष, उद्घाहरणार्थ-हैदराबाद, मैसोर, झावण्कोर, कोचीन, बडौदा और इन्दौर-नरेन्द्रमण्डल की सदस्य नहीं बनीं। अन्य कारणों के साथ इन्होंने इसकी वजह यह भी बताई कि नरेशों के लिये व्यक्तिगत दृष्टि से यह अत्यंत अनुचित होगा कि वे ऐसी नीति या व्यवहारों का हासी अपने को बना लें, जो शायद उनके प्रजाजनों को पसन्द न हों। नरेशों को जो कुछ कहना हो अपने मन्त्रियों के मार्फत कहना या करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से अपनी जिम्मेवारी पर वे कुछ न कहें-करें; क्योंकि उनकी जानकारी बहुत अधूरी होती है। अनुभव और वक्तुत्व शक्ति की भी उनमें कमी होती है। जिनके नरेशों को सलामी का अधिकार नहीं है, ऐसी १२७ छोटी रियासतों की तरफ से मण्डल में १२ प्रतिनिधि हैं। सर पी एस शिवस्वामी ऐयर ने इसके कर्तव्य और सत्ता के विषय में एक बार कहा था—

“यह तो एक सलाहकार संस्था मात्र है। नरेश वर्ग, रियासतें या ब्रिटिश भारत के विषय में नरेशों को अपनी राय देने का भी मौका मिल जाय यही इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य रहा है। परन्तु नरेश इसके उद्देश्य से संतुष्ट नहीं हैं। जो इसमें शारीक हुए हैं वे भी उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, उन्हें अपनी प्रतिष्ठा का बड़ा ख्याल है। छोटे नरेश उनके साथ बैठने लग जावें यह उन्हें अच्छा नहीं मालूम होता। सब समानता पूर्वक बैठें या बातचीत करें, यह उन्हें बड़ा अटपटा लगता है, फिर यह बहुमत से किसी प्रश्न का निर्णय करने की पद्धति भी उन्हें पसन्द नहीं।”

नरेन्द्रमण्डल अपनी बैठकों में क्या करता रहता है, वाहरी दुनियां नहीं जानती। उसे तो अभी अभी तक उसके अस्तित्व का पता अपने सालाना जल्सों से होता था, जब कि वाइसराय आते और अपना टकसाली उद्घाटन भाषण देकर चले जाते थे। भाषण में हर साल वही बातें भाषा को बदल कर कही जातीं रहीं हैं जैसे—

मैं आपकी बुद्धिमत्ता भरी सलाह के लिए एहसानमन्द हूँ। आपके सामने इस वर्ष काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैं आशा करता हूँ, आप उसे निश्चयपूर्वक पूरा करेंगे। आप के सरपर अपने प्रजाजनों की भलाई और तरक्की करने की जिम्मेवारी है और मुझे विश्वास है, आप इसे पूरा करने में तनमन से जुट जावेंगे। आप साम्राज्य के स्तम्भ हैं। देश के गौरव पूर्ण इतिहास में आपको अपने महान गौरवशाली पूर्वजों की भाँति एक महान हिस्सा अदा करना है। समय के साथ आप को चलना चाहिए। मुझे विश्वास है, इस परिषद में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर आप विचार कर रहे हैं, उनके परिणाम बड़े दूरगामी होंगे। वगैरा।

परन्तु ऐसे जैसे देश में पूर्ण उत्तरदायी हुक्मत स्थापन करने का प्रश्न जोर पकड़ने लगा, नरेंद्र मण्डल को अपनी स्थिति के बारे में चिन्ता होने लगी। पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट ने भी संधियों और सुलहनामों की दुहाई देकर इस चिन्ता को कुछ बढ़ाने में सहायता की। नरेश अपने अधिकारों के लिये और भी उतावले होने लगे। कुछ नरेशों ने यह माँग भी कर दी (गई १६२७) कि इस प्रश्न का निपटारा एक बार हो जाना चाहिए। बट्टलर कमेटी की नियुक्ति इसी का परिणाम थी। परन्तु इधर कुछ वर्षों से नरेंद्र मण्डल ने नरेशों के हितों की रक्षा में काफी काम किया है और अब प्रायः सभी नरेश इस संगठन में शारीक हो गये हैं। नीचे लिखे नरेश अवतक नरेंद्र मण्डल के चान्सलर हुए हैं :—

१ श्री. महाराजा साठ पटियाला (१६२१)

२ श्री. महाराजा धोलपुर

३ श्री. महाराजा पटियाला

४ श्री. जाम साहब नवानगर

५ श्री. नवाब साहब भोपाल, (१६४४).



